छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 07, शक सम्वत् 1940)

[अंक 18]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 07, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना</u>

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी। प्रश्नोत्तर प्रश्नकाल के बाद कर लें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- नहीं-नहीं। ये आज देश की इच्छा और देश की भावना जो प्रतीक्षा कर रहे थे, आज एयरफोर्स के जवानों के द्वारा जो आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किये गये और उसके लिए हम लोग एयरफोर्स के जवानों को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही इस देश के रक्षा मंत्री, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, जिससे यहां के जवानों का मनोबल बढ़े और आतंकवादी जो गतिविधियां जो चला रही हैं, उनका मनोबल गिरना चाहिए और उनके मनसूबे पर पानी फिरना चाहिए और इसके लिए हम लोग बधाई देना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पुलवामा की घटना घटी और उसके बाद अभी भारतीय वायु सेना के द्वारा प्रत्योत्तर में जो कार्रवाई की गई है, पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। भारतीय सेना अतुलनीय है। पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और उसने फिर से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है और आतंकवाद के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, किया जाना चाहिए। पूरा देश समवेत स्वर में शामिल है। साथ ही पूरा छत्तीसगढ़ भारतीय सेना के साथ है और हम उनका समर्थन करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, सारा हिन्दुस्तान अपनी फौज पर गर्व करता है। पुलवामा की घटना के बाद हम लोगों ने इस सदन में अपने जवानों की शहादत को सलाम किया था और आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे एयरफोर्स ने जो कार्रवाइयां कीं, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय है। देश की आंतरिक स्थिति में ये सब घटनाएं जो घटित हो रही हैं, अब चुनाव सामने है, पता नहीं ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? लगातार कश्मीर में शांति हुआ करती थी। अमन-चैन का शासन हुआ करता था। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इन 5 सालों में क्यों हुआ ? जवानों को लगातार शहादत देना पड़ रहा है और सदन में भी और सदन के बाहर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं लेकिन इन परिस्थितियों का जिन लोगों ने निर्माण किया, जो लोग जिम्मेदार हैं, उसको भी देश माफ करने वाला नहीं है।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- अध्यक्ष महोदय। अजय-अजय (श्री अजय चन्द्राकर की ओर इशारा करते हुए) अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने पुलवामा में जो कायराना हरकत की थी, जिसमें हमारे बहादुर जवान और प्रहरी शहीद हुए थे, आज पाकिस्तान को उसका करारा जवाब हमारी सेना ने, हमारी वायु सेना ने, हमारे बहादुर सैनिकों ने मिलकर दिया है और पाकिस्तान के उन ठिकानों को नष्ट किया है जिसे वे लांचिन पैठ के तरह इस्तेमाल करते थे। हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे। उम्मीद की जाती है कि उससे कम से कम 10 गुने लोग उनके मारे गये होंगे। हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। हम अपनी सेना के सामने नतमस्तक हैं और पाकिस्तान को यह याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे समय में पूरा भारत एक है। किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह सेना का प्रश्न है। भारत का प्रश्न है। भारत की एकता और अक्षुण्णता का प्रश्न है । हम सब एक हैं। हम सबने मिलकर , हम सबकी ओर से मिलकर हमारे सेना ने यह कार्रवाई की है। इसमें राजनीति का तिल भर भी स्थान नहीं है। मैं एक बार फिर से अपनी सेना को, विशेषकर वायु सेना को लक्ष्याधिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं यह आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई कायराना हरकत की गई तो उसको ऐसा ही करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वायुसेना के जवानों ने रात साढ़े तीन बजे पी0ओ0के0 में जो कार्रवाई की है। जो क्षति हुई और कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों में जो कार्रवाई देश चाहता था, उन्होंने उस शौर्य को देश के लिए किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन, पूरा छत्तीसगढ़, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है और पूरा उसके साथ है। लेकिन जोगी जी ने जैसा कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात पर समर्थन व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं। कश्मीर की स्थिति 5 साल की नहीं है। कश्मीर की स्थिति 1947 और उग्रवाद 3 दशक पुरानी है। यदि सेना कोई कार्रवाई करती है तो हमारी आंतरिक स्थिति जो भी है, आंतरिक स्थिति के विरूद्ध किसी बाहरी ताकत के विरूद्ध संघर्ष कर रहा है, तो उसके लिए यह देश और प्रदेश मजबूती के साथ खड़ा है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सेना के जवानों को सलाम करते हैं। सेना ने जो कार्रवाई की है, वह पूरे देश का जनमानस था, देश की आवश्यकता थी। जिस तरीके से आतंकवाद, उग्रवाद बढ़ रहा थ, हमारे जवान शहीद हो रहे थे। निश्चित रूप से देश की जनता की यह मांग थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये। हम निश्चित रूप से सेना के

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जवानों की प्रशंसा करते हैं। यह सदन प्रशंसा करता है। इस अन्य किसी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। हम सेना को सलाम करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसी सदन में पुलवामा की घटना पर अपने जवानों की बहादुरी के लिए उनको सलाम किया था। उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। आज भारत की सेना ने कुशल नेतृत्व के चलते हुए पाकिस्तर के ऊपर हमला किया है। हमने यह दिखा दिया है कि भारत की सेना और भारत का जनमानस इस प्रकार का है कि यदि वह तय कर ले तो भारत के ऊपर जो भी आंख उठायेगा, उसको करारा जवाब देने की स्थिति में है। आज हमारी सेना ने करारा जवाब दिया है। इसकी तो भूरी-भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे सेना, हमारे जवानों को बधाई दी जानी चाहिए। इसमें कहीं राजनीति देखना, यह दुर्भाग्यजनक है। हम पूरी सेना को बधाई देते हैं। राजनीतिक नेतृत्व को बधाई देते हैं। पाकिस्तान को हमारे सदन की ओर से, छत्तीसगढ़ की तरफ से कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता सेना के साथ है। राजनीतिक नेतृत्व के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जायेगी, पूरा छत्तीसगढ़ उनके साथ है, इस सदन के माध्यम से हम यह विश्वास दिलाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहादुर सेना ने बहादुरी का परिचय दिया। टी0व्ही0 में आ रहा था कि तीन सौ आतंकवादी मर गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इंतजार करना चाहिए कि कितने लोग मरे और कितने लोग नहीं मरे। लेकिन मुझे यह लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों नहीं मरे हैं और ये जब तक न मरे तब तक पाकिस्तान के ऊपर बमबारी होते रहना चाहिए। आखिर वह छोटा सा, पिद्दा सा देश 125 करोड़ लोगों को आंख दिखाता है। दो गुण्डे-मवाली भेजकर आतंकवादी हमलें से हमारे जवान मरते हैं। जब हमारी सेना पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बंगलादेश बना सकता है तो मुज्जफराबाद और लाहौर को भी हिन्दुस्तान में मिलाने की ताकत है। दो-चार दिन के हमले में लाहौर में तो हमारा कब्जा हो जायेगा। बाघा बार्डर से 25-30 किलोमीटर दूर तो है, वहां की लाईट दिखती है। वहीं सब ये आतंकवादी लांच पेड बनाकर रखे हुए हैं। यह पर्याप्त नहीं है। हम इस कार्य के लिए सेना की बहादुरी को सलाम करते हैं और हमें भरोसा भी सेना के ऊपर ही है। कोशिश यह होनी चाहिए कि अभी लगातार 10-15 दिन वहां बम गिरते रहे। हम प्रतिदिन यहां पर सदन में अपने जवानों को बधाई देते रहे और वहां आतंकवादी मरते रहे। आखिर हमारा देश कब तक ये बर्दाश्त करेगा । हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं ओर आतंकवादी हमारे देश को लहुलूहान करते हैं । सेना के बहादुरी को सलाम और पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्य की निन्दा करते हैं। लाहौर और मुजफ्फराबाद में कब्जे की कामना करते हैं ।

अप्रमाणित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेवा की बहादुरी की विश्व में एक अलग पहचान है । चाहे 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, वह अपनी काबिलियत हमारी सेना ने दिखाई है, मैं उनको सलाम करता हूं और साथ ही साथ जो बातें आई हैं, वह कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है । भविष्य में इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए क्योंकि सेना का काम है कि अपनी ड्यूटी करना है, मगर उसका राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए । पिछली बार सर्जिकल स्ट्राईक हुआ, मगर सरकारों ने उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया, मगर वर्तमान सरकार ने श्रेय लेने का प्रयास किया । इसी का परिणाम गलत निकल रहा है ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एयरफोर्स के जवानों ने आतंक कैम्प में जो हमला किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम है। हमारे देश के वीर जवानों ने हमेशा देश की एकता और अखण्डता को मजबूती प्रदान करने का काम किया था । मैं रविन्द्र चौबे जी की बात से सहमत हूं कि हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी और हम अपने जवानों पर हमेशा गौरवान्वित होते रहेंगे।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश सर्वोपरि है और इस देश को जो भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, यहां की एकता को खंडित करने की कोशिश करेगा तो हमारी सेना, यहां के जवान ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे । जो कार्यवाही हुई है, उसको हम लोग सब एकतरफा समर्थन करते हैं और जो भी कार्यवाही हुई है, जिसमें हमारे वायु सेना हो, थल सेना हो, जो भी जवान शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी आतंकी ठिकाने ध्वस्त किये जाने चाहिए, इनके सारे काम मानवीय मूल्यों के खिलाफ है । भारतीय सेना ने जो कार्यवाही की है, हम उसका स्वागत करते हैं। सेना को सलाम करते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है । 14 फरवरी को पुलवामा की जो घटना हुई, उसका एक बदला हमारी सेना ने लिया है । जहां हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं, वही एक विषय आया कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए । पिछले पांच वर्ष में स्थिति क्यों बिगड़ी । मैं तो यही कहूंगा कि जो पांच वर्ष की बात कर रहे हैं, वे 1985 से 90 के बीच का काश्मीर का इतिहास पढ़ लें और काश्मीर में जो स्थिति बिगड़ी है, वह 85 से 90 के बीच ज्यादा बिगड़ी है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ने के लिए पूरा इतिहास दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आज तड़के भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर सफल कार्यवाही कर सी.आर.पी.एफ. के जवानों की शहादत का बदला

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिया । यह सदन वायु सेना के इस पराक्रम की सराहना करता है । हम और समस्त प्रदेशवासी भारतीय सेना के साथ हैं ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में हुई मौतें

1. (*क्र. 1501) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में 1 दिसंबर, 2018 से जनवरी 2019 तक कितने पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की मृत्यु हुई है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में 1 दिसंबर, 2018 से जनवरी, 2019 तक 424 पुरुषों, 261 महिलाओं एवं 166 बच्चों की मृत्यु हुई है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जनवरी तक जिला अस्पताल के बारे में मरीजों की मृत्यु के बारे में बताया, हमारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल और बाकी हॉस्पिटल में भी कुल कितनी मृत्यु हुई है, जरा इसकी जानकारी दे दें।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जिला अस्पतालों के संदर्भ का था। अगर माननीय सदस्य और कोई भी जानकारी प्रश्न के दायरे के बाहर की चाहते हैं तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दायरे के बाहर नहीं है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पताल का स्पेशिफिक प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्रश्न में जिला अस्पताल लिखा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, मैंने जिला अस्पताल लिखा है, परन्तु जब प्रश्न से उद्भूत की पूरे प्रदेश में कितने मरीजों की मृत्यु निजी अस्पतालों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में हुई है, ये तो इस प्रश्न से उद्भूत होता है । मैं पूरे प्रदेश का प्रश्न पूछ रहा हूं । मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं कि आप जरा ये बता दें कि ये जो मृत्यु है, वह कितने दिनों की है और उसके पूर्व के महीनों में अस्पतालों में कितनी मृत्यु हुई है ? जरा ये बता दें ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल में और जवाब में भी स्पष्ट है कि 1 दिसम्बर 2018 से जनवरी 2019 तक की जानकारी चाही गई थी, 424 पुरूष और 261 महिलायें और 166 बच्चों की मृत्यु की जानकारी आई है । माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि पूर्व की स्थिति क्या थी, एक वर्ष पूर्व 1 दिसम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक मृत्यु की संख्या 433 और 1 जनवरी

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

2018 से 453 इस प्रकार से 886 मृत्यु हुई है । वर्ष 2018-2019 में 851, वर्ष 2017-2018 में 886 मृत्यु हुई है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि इसके पूर्व के महीने की मृत्यु, मुझे आपने दिसम्बर से जनवरी तक बताया है, कृपया अक्टूबर, नवम्बर के एक-एक महीने में कितनी मृत्यु हुई है, यह जानकारी दे दें ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, समय लगेगा । जानकारी लेकर उपलबध करा दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ एक महीने की जानकारी है । इस एक महीने के अंदर 851 लोग जो हॉस्पीटल में भर्ती हुये, आपकी सरकार आने के बाद 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक उनकी एक महीने में मृत्यु हो गयी है । अस्पताल में इतनी संख्या में मृत्यु हो जाना, बहुत ही भयावह और आश्चर्यजनक है । हमारा यह कहना है कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है । आप इसमें यह बता दें कि कितनी एक्सीडेंटल मृत्यु है, कितनी महतारी योजना के अंतर्गत मृत्यु है, कितनी स्वाभाविक मृत्यु है, कितने बीमार लोगों की मृत्यु हुई है, यह बता दें ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हृदय रोग से और हृदयाघात से 144, फेफड़ों की दीर्घकालिक बीमारी सीओपीडी के साथ जटिलता के कारण 97, समय पूर्व जन्म के साथ जटिलताओं के कारण 75, जहरीली पदार्थ का सेवन 37, सड़क दुर्घटना के साथ हेड एंजरी एवं अन्य जटिलतायें 34, लेबर एवं पेट के रोग 27, मधुमेह के साथ जटिलतायें 22, सेरेब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट के साथ जटिलतायें 21, सेफटीसीमिया के कारण 17, किडनी सेसंबंधित बीमारियों के कारण 12, उदर रोग के कारण 11, जलने के कारण 10, मिर्गी के कारण 4, अन्य जिसमें रक्त की कमी, सर्पदंश, कैंसर आदि से 340 और कुल 851 लोगों की मृत्यु हुई ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री विद्याभूषण भसीन ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें जो एक्सीडेंटल मृत्यु है, जन्म से पूर्व मृत्यु है, उसका मुख्य कारण आपने स्मार्ट कार्ड योजना बंद कर दी है, आपने सौभाग्य योजना बंद कर दी, उसके कारण गरीब मरीज इलाज नहीं करवा पा रहे हैं । उनकी मृत्यु हो रही है, आपने कोई योजना नहीं लाई है । सबसे दुर्भाग्यजनक है कि बिना किसी योजना के गरीब मरीजों को जो ईलाज मिलता था, वह ईलाज पूरी तरह बंद हो गया है । जब तक कोई नई योजना नहीं लाते तब तक उन मरीजों को इन दोनों योजनाओं का लाभ या फायदा मिले, आप इसकी व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, शासन का हिस्सा रहते हुये इनका गहरा अनुभव है । मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे सदन के सामने ऐसी बात रख रहे हैं कि इन योजनाओं को बंद कर दिया गया है । सदन के सामने जानकारी आ चुकी है कि

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना विद्यमान है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का समावेश एक प्रकार से मान लें कि आयुष्मान योजना में लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी बता दूं कि यह जो आयुष्मान भारत के नाम पर पांच लाख तक की सीमा का उपचार करने की बात का श्रेय केन्द्र की सरकार को दिया जा रहा है । मात्र 50 हजार के बीमा का ही आधार 1100 रूपये के इन्श्योंरेंस प्रीमियम के ऊपर है । शेष राशि राज्य की सरकार उपलबध करा रही है । पांच लाख तक का लिमिट है । यहां ट्रस्ट मॉडल में काम हो रहा है । आपकी सरकार संपूर्ण राशि उपलबध करा रही है । केन्द्र सरकार इसमें 50 हजार के ऊपर एक नया पैसा खर्च के लिए नहीं दे रही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि इन 851 मरीजों में से कितने मरीजों ने स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान योजना का फायदा लिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपकी पर्याप्त जानकारी आ गई है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं उपलबध करा दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मरीज अस्पतालों में आयुष्मान योजना और स्मार्ट कार्ड का पैसा नहीं मिलने के कारण, लागू नहीं होने के कारण, डॉक्टरों को हॉस्पीटल्स में पेमेंट नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा । आदरणीय जोगी जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हास्पिटलों में मरीजों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, हास्पिटलों ने मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है। स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान योजना दोनों का पेमेंट नहीं हो रहा है और उसके कारण मरीजों का इलाज होना बंद हो गया है और उसके कारण मृत्यु हो रही है। मेरा कहना है कि आयुष्मान योजना और स्मार्ट कार्ड योजना में हास्पिटलों को पैसा नहीं मिलने के कारण जिन अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने दूसरे ही प्रश्न में स्वीकार किया है कि एक करोड़ 62 लाख रूपये का भुगतान बाकी है और ये भुगतान नहीं होने के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 01 करोड़ 62 लाख रूपये के भुगतान पेंडिंग के कारण सारे स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पर्याप्त उत्तर आ गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पेमेंट पेंडिंग है उसे आप कब तक पेमेंट करवा देंगे?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक अलग सवाल है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगले सवाल में है उसका भी परीक्षण करके उसका भी भुगतान अवश्य हो जायेगा।

प्रश्न संख्या 02 :- XX XX

<u>प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध डायलिसिस मशीनें</u>

3. (*क्र. 245) श्री अजीत जोगी:- क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में दिनांक 15-01-2019 तक कितनी डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं? (ख) शासकीय अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की कमी को पूरा करने के लिए शासन की क्या योजना हैं?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- (क) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में दिनांक 15-01-2019 तक कुल 89 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध है. (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीनस्थ शासकीय चिकित्सालयों से मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के द्वारा क्रय करने की कार्यवाही की जाती है।

श्री अजीत जोगी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में आया है कि प्रदेश में 89 डायलिसिस मशीनें हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हर डायलिसिस मशीन को चलाने के लिए एक नेफ्रोलाजिस्ट और एक टेक्नॉलाजिस्ट की आवश्यकता होती है तो क्या हमारी इन पूरी 89 मशीनों के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में नेफ्रोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट उपलबध हैं? और क्या ये पूरी 89 मशीनें चल रही हैं और यदि नेफ्रोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हैं तो कितनी मशीनें ऐसी हैं जो बेकार पड़ी हैं, लग गई हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है? उनका उपयोग कब से होने लगेगा और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे पास 89 मशीनें हैं, आपने क्या कोई आंकलन किया है कि प्रदेश में डायलिसिस करने के लिए कुल कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, क्या अभी भी मशीनों की कमी है और कितनी कमी है?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कमी है और जो वर्तमान में डायलिसिस की मशीनों को उपलब्ध कराया गया है इसमें 74 मशीनें चिकित्सा महाविद्यालयों में लगी हैं जिसमें से 60 मशीनें अकेले डी.के.एस. में विद्यमान हैं। 60 में से एक मशीन को देवभोग जिले में गरियाबंद में स्थापित किया गया है, वहां की परिस्थिति के अनुसार और इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट की संख्या की बिल्कुल कमी है उनकी भर्ती के लिए प्रक्रियाएं भी चल रही हैं और शेष जगह जो लोग काम कर रहे हैं, डिप्लोमा टेक्निशियन्स हैं, वह सारी सूची मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजीत जोगी:- अपने पास कितने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफ्रोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से डी.के.एस. में होंगे। मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। इनकी कमी है इसे मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। एक तो हस्तांतरित हो गये बाकी की मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री अजीत जोगी:- अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 2017 में एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि डायलिसिस बहुत महंगा ट्रीटमेंट है इसलिए सस्ते में उसका इलाज सरकारी अस्पतालों के माध्यम से किया जाना चाहिए। 2017 को अब दो वर्ष हो गये हैं, मैं जानना चाहूंगा कि सस्ते इलाज की व्यवस्था हमारे यहां किन-किन अस्पतालों में है और सस्ते का क्या मतलब है? कुल मिलाकर एक व्यक्ति को अगर वह डायलिसिस पर जिन्दा रहना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुमान से 10 लाख रूपये लगते हैं। तो आप कितनी रियायत दे रहे हैं और कहां-कहां दे रहे हैं?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो कान्सेप्ट है वह इसीलिए वर्तमान सरकार ने बजट में भी प्रस्तुत किया है और छत्तीसगढ़ में लाना चाह रही है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका अत्यधिक भार नागरिकों और उनके परिवारों के ऊपर पड़ता है। तो इसके निदान के लिए ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कान्सेप्ट है। यह एक दिन में नहीं आ सकता। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस किम्स के माध्यम से भी एम.एस.बी.वाय और आर.एस.बी.वाय. आयुष्मान के माध्यम से भी ये ईलाज कवर्ड हैं। मेरे ख्याल से डी.के.एस में 1050 और अन्य जगहों में 2 हजार के आस पास इसके ईलाज के लिये व्यवस्था उपलब्ध होती है। उन नागरिकों के लिये जो इसके अंतर्गत कवर्ड हैं। इसके अतिरिक्त 11 चिकित्सालयों में 32 डायलिसिस मशीन स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से बात चल रही है, प्रस्ताव भेज दिया गया है। रायपुर के 100 बिस्तर अस्पताल के लिये 2, दुर्ग में 500 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिए 6, धमतरी में 200 बिस्तर अस्पताल के लिये 4, कोरबा में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 2, बिलासपुर में 200 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 4, जशपुर में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 2, कांकेर में 200 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 4, कोण्डागांव में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 2, दंतेवाड़ा में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 2, महासमुंद में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 2, कोरिया 100 बिस्तर अस्पताल के लिये के लिये 2, 32 अन्य वर्तमान में स्थापित डायलिसिस की इकाईयां हैं। इनके अतिरिक्त इनके लिये किया जा रहा है। परेशानी और दिक्कत उसी बात की है कि टेक्निकल हैंण्डस हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। स्पेस्लिस्ट डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। हम मशीन भी ले आयेंगे और उनको जब चलाने वाला नहीं होगा, यही कारण है कि आउटसोर्सिंग का और यूनिवर्सल हेल्थ केयर का है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने आउटसोर्सिंग कही, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं क्या ?

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी जानकारी और जानना चाहता हूं कि पिछले सरकार के समय में ये महसूस किया गया था कि पी.पी.पी माडल इंट्रोड्यूस किया जाये और उसके माध्यम से मशीनें बढ़ाई जाये। यह भी प्रस्ताव आया था, इस सदन में पारित हुआ था कि निजी लोगों को मदद देकर डायलिसिस का काम भी किया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पी.पी.पी. मॉडल पर कोई प्रगति हुई है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सुपेबेड़ा जिसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ बदनाम हुआ है। सुपेबेड़ा में मशीन लग गई तो क्या वहां डायलिसिस रेगुलर हो रहा है। क्या वहां आपने नेफ्रोलाजिस्ट और टेक्निशियन पोस्ट कर दिया है?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि नेफ्रोलाजिस्ट नहीं है। सुपेबेड़ा में मैंने तैनात होनी की स्थिति पहले ही बता दी है, मशीन वहां पर है।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मशीन का क्या फायदा होगा?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मशीन भेजकर वहां पर ईलाज कराये जाने की व्यवस्था भी रखी गई है। मेकाहारा में, सुपेबेड़ा में वहां पर टेक्निशियन हैं, जो वहां पर चला सकते हैं, राशि कितनी लगती है। मेकाहारा में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का डायलिसिस नि:शुक्ल उपलब्ध होती है। बाकियों से 500 रूपये के आधार पर लिया जाता है जिसका बीमा योजना के तहत दो हजार रूपये तक लेने का प्रावधान है। आउटसोर्सिंग के लिए भी आप बात कर रहे थे तो...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं, पहले सवाल।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि गौरेला सैनोटेरियम में मदर एंड चाईल्ड हास्पिटल केन्द्र के द्वारा बनाया गया है। वहां भी एक डायलिसिस मशीन इंसटाल्ड कर दी गई है। अभी, आज दिन तक वहां पर कोई टेक्निशियन उपलब्ध नहीं है। आप कब तक उपलब्ध करेंगे और उसका मदर एंड चाईल्ड केयर में क्या औचित्य है ? क्योंकि वहां लेडी डॉक्टर भी नहीं है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था करायेंगे और भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने सर्व सम्मति से सदन के माननीय सदस्य श्री लखेश्वर बघेल जी के अशासकीय संकल्प को स्वीकार किया था। जिला अस्पतालों में सभी जगह डायलिसिस की व्यवस्था की जायेगी। शायद आप भी उस चर्चा में भाग लेने वालों में थे। डायलिसिस से मशीनों से संबंधित प्रश्न है, आप स्पष्ट कर दें कि जिला अस्पतालों में आप कब तक व्यवस्था कर देंगे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सभी जिला मुख्यालयों में मैंने आपको जो व्यवस्था अभी पढ़ के बताई है। 6 मेडिकल कॉलेजेस में ये व्यवस्था हैं, और जिला मुख्यालय भी हैं। उसके अतिरिक्त 6 अन्य जिला मुख्यालय हैं जहां ये उपलब्ध हैं। 11 जिला मुख्यालयों के लिये और व्यवस्था मैंने आपको बताई कि केन्द्र सरकार से तय हो गया है कि ये 32 मशीनें उपलब्ध हो जायेंगी। ये व्यवस्था बन जायेगी और दूसरा कारण कुछ जिलों में लो लोड का भी है जहां केसस कम आते हैं। उस कारण से ये डायलिसिस की मशीन की स्थापना है या नहीं? एकाध जगह उस पर विचार जरूर चल रहा है। अगर ये आवश्यकता महसूस हुई तो वहां भी लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- इस पर पर्याप्त प्रश्न हो गये। अब हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर आपने जो जवाब दिया, उसमें आपने 12 जिलों में व्यवस्था की है। टैक्निशियन के बिना कैसे होगा? आप कहीं से भी उनकी भर्ती कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक के माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं जो समझ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बोल दिये हैं कि कोई डायलिसिस के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, वह उनके पास उपलब्ध नहीं है। आप कृपा करके ये तो कर सकते हैं कि बड़े-बड़े अस्पताल जैसे अपोलो, स्कार्ट है या बैलाडीला का कोई हॉस्पिटल होगा या यहां का कोई बड़ा प्राईवेट हॉस्पिटल जिसके पास बैड हों, आप एक एग्रीमेंट तो कर लीजिए, आपके लोग वहां रिफर कर दें। वहां ईलाज हो जाए। स्पेसिफिक इस केस के लिए कम से कम इतना अभी तो कराईये, आप ये करा लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी ने जो मूल प्रश्न किया था। पिछली सरकार ने इस सदन में चर्चा के बाद पी.पी.पी. मोड में ईलाज के लिए हम बढ़े थे। आज के दूसरे नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे तो बहुत सारे अस्पताल की सम्बद्धता खत्म कर दी गई है। यह उत्तर में दिया गया है। अब जब हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो एक बात आती है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में होने वाला है, वह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है और कब तक लॉन्च होगा ? यदि स्वास्थ्य के विषय में हम कोई भी बात करेंगे तो हमको एक सपना दिखा दिया जाता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर आ रहा है। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है और वह कब तक लॉन्च होगा ? आप कोई अवधि बतायेंगे ? और उसके लिए कोई कार्ययोजना कब तक प्रस्तुत करेंगे, ये बतायेंगे ? क्योंकि हर बात ये उत्तर आता है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में बता चुके हैं। कब तक लॉन्च होगा, आप यह बता दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य भूल गये कि जब वे इधर बैठा करते थे। उनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। हम तो सपना नहीं देख रहे हैं। हमने एक योजना बनाकर प्रस्तुत किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सपना नहीं देखा। हमने तो 25 करोड़ रूपये रखे थे, जिसको आपने काट दिया और आप उसकी जगह यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दो महीने से बात कर रहे हैं, आप कब तक लॉन्च करेंगे, यह बता दीजिए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्री जी ने सपने के बारे में कहा था। वह लॉन्च हो चुका है। इनने बजट भाषण शायद मुख्यमंत्री जी का नहीं सुना। जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक परिकल्पना हमारी है, हमने...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए। इस हाऊस में बजट भाषण है। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि अगले साल या अगले साल करेंगे। इस साल के बजट में शामिल करेंगे, ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है, वह कब आएगा ? ये हर प्रश्नों का उत्तर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये ऐसा नहीं होता। क्या है ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनने सोचा नहीं उसके बारे में तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आपने सोचा कि आप उसको क्या करना चाहते हैं ? आप ये तो बताईये ?(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय चन्द्राकर जी, ये बोलने का तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वोरा जी, आप बैठ जाएं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय मंत्री जी से माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल हेल्थ स्किम मैं इसके संदर्भ में नहीं पूछ रहा हूँ। उनका कहना है कि हमने उसको लॉन्च कर दिया है, उसके लिए बजट रखे हैं। प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना में ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इतने पैसे का ईलाज इसमें होगा, ये अस्पताल में जाएंगे। जो आपकी मुख्यमंत्री स्किम है, उसके अंतर्गत में 50 हजार रूपये के ये ईलाज होंगे। आप कृपया ये बतायें

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि कि आपके यूनिवर्सल हेल्थ स्किम में कितने रूपये के प्रावधान में मरीज किस अस्पताल में जाएंगे ? कितना ईलाज करा सकते हैं यदि आपने लॉन्च किया है तो मरीजों को इधर-उधर घूमना न पड़े। उनका ईलाज हो जाए। आप कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पहले भी हाऊस में चर्चा हो गई है। अच्छा है इस पर और चर्चा हो रही है। यूनिवर्सल हेल्थ स्किम नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की परिकल्पना है जिस परिकल्पना को लॉन्च किया गया है और इसके प्रावधान यही हैं कि नि:शुल्क ईलाज प्राथमिक द्वितीय और ट्रसरी स्तर के मरीजों को शासन अपनी ओर से देगा। ये आज हो जाएगा क्या ? इतना भी हम नहीं समझ सकते, सोच सकते हो, तब तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोच है एक व्यवस्था है इसको लागू किया जायेगा, समय लगेगा। हम लोगों ने बोला भी कि हम 2 महीने में इतना करेंगे, 4 महीने में इतना करेंगे, 6 महीने में इतना करेंगे। रोड मैप बताया हुआ है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो गोल-गोल घूमाने की योजना है। ये आप यहां पर यूनिवर्सल हेल्थ स्किम के नाम से पेसेंटों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खिलवाड़ की बात नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज अस्पतालों की अनिश्चितता की स्थिति हो गई है। अस्पताल वाले भी सोचते हैं कि पैसा देंगे या नहीं देंगे ? ये सरकार से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ? ये ऊहापोह की स्थिति निर्मित हो गई है

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई खिलवाड़ की बात नहीं है, ये दुर्भाग्यजनक और आपत्तिजनक बयान बहुत जिम्मेदार माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की ओर से आ रहे हैं। कहीं कोई खिलवाड़ का प्रश्न नहीं है, कहीं किसी व्यवस्था की कमी का प्रश्न नहीं है। जो व्यवस्था विद्यमान थी उसे बेहतर करने की दिशा में ये सरकार काम कर रही है और पहले से बेहतर है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर जब लान्च होगा तब आप देखेंगे कि आपको कई गुना बेहतर व्यवस्था मिलेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ईलाज कहां होगा, कहां जायेंगे? मैने दुर्भाग्यजनक नहीं कहा, मैंने यह कहा कि क्लीयर कांसेप्ट क्या है, मरीज इधर-उधर घूम रहे हैं, अस्पताल में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हमारा स्वास्थ्य विभाग हाल-बेहाल है। ये स्थिति हो गई है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए ध्यान से इस बात को नहीं सुना कि कई बैठकें हो गई हैं, कई वर्कशाप हो गये हैं, कई

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक्सपर्टस से मुलाकात हो गई है। वह थाईलैण्ड भी भूल गये। थाईलैण्ड की बात भी वह भूल गये कि वहां भी टीम गई थी और चर्चा करके आई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के नागरिकों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को जब काम करने का मौका था तो किये नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य में लापरवाही के खिलाफ हम इस सदन में बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:36 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में।</u>

(श्री अजय चन्द्रकार, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

<u>मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ करने की योजना</u>

4. (*क्र. 565) डॉ. विनय जायसवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संगीत एवं कला महाविद्यालय खोलने की क्या योजना है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संगीत एवं कला महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है.

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न था कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संगीत एवं कला महाविद्यालय खोलने की क्या उनकी कोई योजना है या नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा में चिरमिरी नगर निगम को छोटे इंडिया के रूप में जानते हैं, बहुत ही अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वहां के लिए संगीत एवं कला महाविद्यालय दे देते हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से उपस्थित था, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन आप बतायेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की सुविधा

5. (*क्र. 1398) श्री अरूण वोरा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने जिला शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की सुविधा है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) जिन जिला शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक संचालित हैं वहां 31 जनवरी, 19 की स्थिति में कुल कितने यूनिट ब्लड स्टोर में उपलब्ध हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश में 18 जिला शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की सुविधा है. जिलेवार जानकारी † संलग्न[1] प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) जिला शासकीय चिकित्सालयों में संचालित ब्लड बैंकों में 31 जनवरी, 2019 की स्थिति में कुल 505 ब्लड यूनिट उपलब्ध है. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहा था कि प्रदेश में कुल कितने जिला शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की सुविधा है ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 27 जिलों में से 18 जिला शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की सुविधा है। साथ ही मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जिन जिला शासकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक संचालित हैं वहां 31 जनवरी, 19 की स्थिति में कुल कितने यूनिट ब्लड स्टोर में उपलब्ध हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक से लिख कर लाया करें न, अटक-अटक कर पढ़ते हो।

श्री अरूण वोरा :- मेरे को आपको गुरूजी बताना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 साल में जो व्यवस्थायें बिगड़ी हैं, यह स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और उसको हम 60 दिन में कैसे ठीक कर सकते हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- यह हमारी सरकार को गलत ही सिखायेंगे।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो उस योजना का विरोध क्यों किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप अभी बैठिये। आप अपना प्रश्न करिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल तक यह रमन सिंह जी के पीछे बैठे रहे, लेकिन इसके बाद भी नहीं सुधर सके तो आपका भगवान ही मालिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में औसतन प्रतिमाह कुल कितने यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे दुर्ग जिले में सबसे बड़ा

[1] † परिशिष्ट- "एक"

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

चिकित्सालय है, उसमें अभी वर्तमान में 84 यूनिट ब्लड उपलब्ध है जबकि वहां पर 300 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। लगातार दुर्घटनायें होती हैं, सिकलसेल के मरीज पहुंचते हैं तो ब्लड की आवश्यकता होती है। कमोबेश यह स्थिति पूरे प्रदेश के जिला चिकित्सालयों मे है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरूण वोरा जी का प्रश्न आउटसोर्सिंग से बनकर आता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 जिला चिकित्सालयों के साथ-साथ 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में भी और एक रेडक्रास सोसायटी रायपुर में भी ब्लड बैंक उपलब्ध हैं, यानि कुल 25 ब्लड बैंक हैं। माननीय सदस्य की जानकारी और उनकी चिंता से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि 31 तारीख को दुर्ग के अस्पताल में एक ब्लड ग्रूप विशेष के संदर्भ में वहां पर उस दिन स्टाक सिकलसेल के मरीज के लिए उपलब्ध नहीं था, किन्तु उसको उपलब्ध करा दिया गया था, निजी बैंक से उपलब्ध कराकर उसका उपचार कर दिया गया था। और जो आपकी चिंता है कि भविष्य में इसकी कमी न तो शासन हर संभव यह व्यवस्था करेगा कि किसी मरीज को जिनको खून की आवश्यकता होगी उसकी कमी उनको कतई नहीं होगी, 100 परसेंट उनके लिये हर अस्पताल में ब्लड उपलब्ध करा दिया जायेगा इसका मैं इसका विश्वास दिलाता हूं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि प्रदेश में औसतन प्रतिमाह कुल कितने ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा कठिन सा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में बता दीजियेगा । श्री प्रकाश नायक ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- जानकारी आयेगी तो उपलब्ध करा दूंगा । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वह कठिन क्यों नहीं रहेगा, वह प्रश्न आऊटसोर्सिंग से बनकर आया है ।

श्री अरूण वोरा :- मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप डॉ. रमन सिंह जी के पीछे बैठकर कुछ नहीं सीख सके तो हम लोग आपको क्या सिखा सकते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सत्तू भैया के पीछे बैठकर क्या-क्या सीखे वह बताईये ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साल का जो आंकड़ा है, वह लगभग 2 लाख 55 हजार यूनिट का है उसको डिवाईड कर सकते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हॉस्पिटलों में आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क ब्लड की सुविधा दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश नायक ।

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री टी. एस. सिंहदेव :- जरूर दी जा सकती है । मेरे ख्याल से तो वह शासकीय में नि:शुल्क उपलब्ध होता ही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्लड से संबंधित केवल एक प्रश्न था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश नायक का पहला प्रश्न है, चलने दीजिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बलरामपुर जिले में ब्लड बैंक का नहीं दिख रहा है इसलिये आपके माध्यम से पूछना चाह रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश नायक का पहला प्रश्न है, उनके घर वाले उनको देखने के लिये आये हैं उनको प्रश्न करने दीजिये । बैठिए । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बलरामपुर जिले में अभी भी ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां भी ब्लड बैंक बनायेंगे ? (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बहू बैठी हैं, उनको प्रश्न पूछने दो नहीं तो घर में डॉट पड़ेगी । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 15 साल में ब्लड के लिये कोई जागरूक करने की योजना नहीं बनी तो क्या आप योजना बनायेंगे ताकि इसके लिये सुविधा मिल सके ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नायक जी पीछे खड़े हैं वे पूछ नहीं पा रहे हैं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था की कमी है जो सुझाव आयेंगे, अवश्य कराये जायेंगे । बलरामपुर में अभी पैथालॉजिस्ट नहीं है, पैथालॉजिस्ट की पोस्टिंग करा दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश नायक प्रश्न करें ।

<u>रायगढ़ मेडिकल में कॉलेज, हॉस्टल एवं स्टॉफ क्वार्टर निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति</u>

6. (*क्र. 1104) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भवन, छात्रावास स्टॉफ क्वार्टर निर्माण कार्य की कार्यादेश तिथि, भवन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्माण की लागत, कार्य पूर्ण करने की तिथि तथा 31-12-2018 की स्थिति में निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या-क्या हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : जानकारी परिशिष्ट पर ††[2] संलग्न है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भवन, छात्रावास भवन और भवन की निर्माण लागत और कार्य पूर्ण करने की तिथि की आज तक क्या स्थिति है ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज भवन रायगढ़ साथ में छात्रावास भवन, स्टॉफ क्वार्टर, गर्ल्स हॉस्टल जूनियर रेसीडेंस हॉस्टल बॉयस के लिये, जूनियर रेसीडेंस हॉस्टल गर्ल्स के लिये टायफाईड के 2 यूनिट, यूनिट ए और यूनिट बी, टाईप 6, टाईप 7, टाईप 3 स्टॉफ क्वार्टर, टाईप 4 स्टॉफ क्वार्टर, यूनिट ए और यूनिट बी बॉयस हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल इनके लिये निर्माण के कार्यादेश दिनांक 20.01.2010 को दिया गया था और नीचे की इकाईयों के लिये दिनांक 01.07.2014 को दिया गया था । क्रमश: राशि 125.8 करोड़ और 86.04 करोड़ कार्य पूर्णता की स्थिति मेडिकल कॉलेज भवन के लिये दिनांक 16.11.2013 और हस्तांतरण का इसका दिनांक 31.03.2016, गर्ल्स हॉस्टल कार्य पूर्णता की तिथि 31.12.2016, जूनियर रेसीडेंस हॉस्टल 16.11.2013, जूनियर रेसीडेंस हॉस्टल गर्ल्स 16.11.2013 इसमें हस्तांतरण की तिथि एक पहले की दिखती है, यह हस्तांतरित तो पूर्ण के बाद ही हुआ होगा किंतु चूंकि यहां पर स्टूडेंट बाहर रह रहे थे और अपने खर्चे पर रह रहे थे तो वे पीडब्ल्यूडी के विभाग के साथ बात करके हो सकता है कि इसका उपयोग प्रारंभ हो गया हो इसी तरह से यूनिट ए, यूनिट बी, टाईप 6, टाईप 7, दिनांक 31.12.2016 और टाईप 3 क्वाटर्स दिनांक 10.09.2016 यूनिट ए, यूनिट बी, बॉयस हॉस्टल और नर्स हॉस्टल 16.09.2016 और 10.10.2016 को यह कार्य पूर्ण किये गये और इसका हस्तांतरण दिनांक 04.11.2016 है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर मेडिकल कॉलेज भवन तैयार है तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिला अस्पताल में क्या लग रहा है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- कॉलेज और हॉस्टल । जो इकाई जिला अस्पताल में चल रही है । उसके भवन में काम की कमी है, गैस पाईप लाइन और एयर कंडीशनिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, उसकी जानकारी मैंने नहीं दी है । वह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । गैस पाइप लाइन नहीं लग पाई है और एयर कंडीशनिंग का काम पूरा नहीं हुआ है । यह बात सही है ।

[2] परिशिष्ट- "दो"

अशुद्धि सहित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज भवन का निर्माण शुरू हुए लगभग 13 साल हो गए हैं । आज तक जिला अस्पताल में ही कॉलेज का चलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कब तक भवन शिफ्ट हो जाएगा ?

श्री अमरजीत भगत :- यही तो चन्द्राकर जी के 15 साल की उपलब्धि है ।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, प्लीज ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं विरासत की बात तो नहीं कहूंगा लेकिन आश्वस्त करूंगा कि वहां जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, वहां प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी की जरूरत है और वहां पर 7 पम्प हैं जिसमें से 6 फेल हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब यह चालू होगा तो आप पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, पानी की भी व्यवस्था की जाएगी ।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए आवास मित्र</u>

7. (*क्र. 1323) श्री धनेन्द्र साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किस-किस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने-कितने आवास मित्रों की नियुक्ति की गई है ? आवास मित्रों की नियुक्ति किस आधार पर, कितने मानदेय या वेतन पर कितनी अवधि के लिये किया गया है? इन आवास मित्रों को कौन-कौन सी जिम्मेदारी एवं दायित्व सौंपा जाता है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : प्रदेश के समस्त 27 जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत चयनित 3803 आवास मित्रों की नियुक्ति की गई है. जिलेवार जानकारी प्रपत्र "अ" में ‡[3] संलग्न है. आवास मित्रों की नियुक्ति का आधार, मानदेय या वेतन, अवधि, जिम्मेदारी एवं दायित्व की जानकारी प्रपत्र "ब" में ‡ संलग्न है.

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जिलेवार आवास मित्रों की संख्या बताई है । उसमें बहुत विसंगति है । जहां बिलासपुर में 472 आवास मित्र हैं, वहीं सुकमा में मात्र 15 हैं और रायपुर जिले में मात्र 94 हैं । आवास मित्रों की नियुक्ति क्या पंचायतों की संख्या अनुपात में निर्धारित हुई है या स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर आवास मित्रों की संख्या निर्धारित की गई है ?

‡[3] परिशिष्ट- "तीन"

अनारक्षित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आवास मित्रों की व्यवस्था उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर 100 यूनिट के पीछे 1, इस परिकल्पना पर की गई है। 100 आवासीय इकाईयों पर एक ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नियुक्ति के आधार में बताया गया है कि जो बी.ई. और डिप्लोमा वालों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त मार्क्स दिए गए हैं । वैसे ही इसमें आई.टी.आई. के भी जो लोग हैं उन्हें भी उस व्यवस्था में शामिल करेंगे क्या और इस नियुक्ति का अधिकार किसको है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अगर अन्य क्वालिफिकेशन समकक्ष हैं तो उस पर जरूर विचार किया जा सकता है । यदि वे भी तकनीकी रूप से दक्ष माने जाएंगे तो उन पर भी विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 8 श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरूआत है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भाटो साहब, आपके प्रश्न में तो यही जवाब आएगा कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता इसलिए मुझे अब आगे बढ़ने दो ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें इनकी नियुक्ति की अधिकतम अवधि एक वर्ष के लिए है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने आवास मित्र हैं जिनको 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं और क्या उनको पुनर्नियुक्ति दी गई है या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति की जो परिकल्पना है वह आवास को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने की है । यदि आप 9 महीने या उसके अंदर आवास के कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो उसमें बोनस की भी व्यवस्था है । यदि आप उस काम में 1 साल से ज्यादा लगाते हैं तो पेनाल्टी की भी व्यवस्था है । इसलिए जो 1 साल की अवधि दी गई है वह टारगेट दिया गया है कि आपको समय के अंदर उस काम को पूरा करना है। नियुक्ति 1 साल की नहीं है । काम को 1 साल के अंदर पूर्ण करना है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें स्पष्ट दिया है । दोनों चीजें हैं 9 महीने से 1 साल के अंदर उन्हें आवास पूर्ण करना है । लेकिन इन्हें नियुक्ति ही एक साल के लिए दी गई है । यदि उसको एक साल से अधिक एक्सटेंशन किया जा रहा है तो उसके भी कुछ आधार होंगे और इसी तरह से उस पर जो आपके और पुनर्नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं । अध्यक्ष महोदय, चूंकि आवास मित्रों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है । एक आवास के पीछे एक हजार रूपया उनको दिया जा रहा है। लोग अतिक्रमण भूमि में मकान बनाए जा रहे हैं । उनकी जिम्मेदारी वहां है । मैंने अपने ही क्षेत्र में देखा है कि घर बना रहा है और उसके ऊपर से बिजली का तार गया हुआ है । उसका काम बंद हो गया । ऐसी गलत जगह पर मकान बना रहा है कि मकान बनने के पहले ही गिर जा रहा है । यह आवास मित्रों की

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

जिम्मेदारी तय है उस पर यदि ये लोग इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई करना चाहिए और उनके कामों को मॉनीटरिंग करने का अधिकार किसको है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, विभाग मॉनिटरिंग करता है। उनके ऊपर जो विभाग का अमला है जे.ई. है, एस.ई. है, ई.ई. है मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं भी अगर काम की कोई कमी है तो उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य से ले लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप उनको पूरी जानकारी दे दीजिएगा। अजय चन्द्राकर जी।

<u>रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार</u>

8. (*क्र. 695) श्री अजय चन्द्राकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार कार्यालय में 18 वर्ष के ऊपर कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं ? क्या इनको बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो प्रतिमाह कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 18 वर्ष के उपर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या दिनांक 31 जनवरी 2019 की स्थिति में 23,04,618 है. बेरोजगारी भत्ता दिया जाना विचाराधीन है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़े दिन सरकार में काम करने का अनुभव है। ज्यादा दिन तो नहीं है। आपने इसमें कहा है कि विचाराधीन है। प्रश्न में बेरोजगारी भत्ता दिया जाना विचाराधीन है तो यह विभाग अध्यक्ष के स्तर पर विचाराधीन है कि वित्त विभाग में विचाराधीन है, मंत्री स्तर में विचाराधीन है, समन्वय में विचाराधीन है कि केबिनेट में विचाराधीन है। किस स्तर पर विचाराधीन है? मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री उमेश पटेल :- यह विभागीय स्तर पर विचाराधीन है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको इस बात की शंका है क्या कि 15 लाख जैसे विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विभागीय स्तर पर..

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 लाख जैसे विचाराधीन है क्या ? आपके मन में यह आ रहा है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दो दिन तक कहां गायब थे ?

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, यह आपके शासनकाल ही प्रश्न है। इसका जवाब तो आपको देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप आगे बढ़िए।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन मेरा प्रश्न आउटसोर्सिंग से नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चन्द्राकर जी।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखकर लगता है कि ये आउटसोर्सिंग से ही प्रश्न लाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि विभाग में विचाराधीन है। तो विभाग में क्या प्रस्ताव विचाराधीन है? किस स्वरूप में विभाग में विचाराधीन है ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री उमेश पटेल :- बेरोजगारी भत्ता देने का जो जनघोषणा पत्र में घोषणा की थी, उसी में विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैंने पूछा है कि विभाग में विचाराधीन है तो क्या स्वरूप में, किस तरह का विचाराधीन है कि एक रूपया देंगे, 5 रूपया चूंकि आपने स्वीकार किया है कि विभाग में विचाराधीन हे तो किस प्रस्ताव में, कौन से स्वरूप में विचाराधीन है, मैं यह कह रहा हूं। किस-किस स्वरूप में विचाराधीन है।

श्री अमरजीत भगत :- इतने दिन मंत्री थे, आप भी जानते हैं। प्रक्रिया में टाइम लगता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे बहुत अच्छे सक्षम मंत्री हैं, उनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप बताइए। किस स्वरूप में विचाराधीन है?

श्री अजय चन्द्राकर :- जो हमारे घोषणा पत्र में है, उसको किस तरह से इम्लीमेंट किया जा सकता है, उसी पर विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- घोषणा पत्र और सरकार दोनों अलग-अलग विषय हैं। मैंने घोषणा पत्र का उल्लेख नहीं किया। घोषणा पत्र पॉलिटिकल डाक्यूमेंट है। आपने उत्तर दिया है सरकारी। आपने स्वीकार किया कि विभाग में विचाराधीन है। मैंने एक लाइन पूछी है कि विभाग में किस स्वरूप में कि आप इतने बेरोजगार हैं, प्रदेश में उसको इतना देंगे, इतना नहीं देंगे। वित्त विभाग में भेजेंगे, इस स्तर तर लागू करेंगे ऐसा प्रारूप या ड्राफ्ट तो आपने विचार के लिए रखा होगा। वह ड्राफ्ट क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं जब आपने कहा है कि विभाग में विचाराधीन है तो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी। अग्रवाल जी। अग्रवाल जी। जय सिंह जी आपके सामने प्रश्न हो रहा है प्लीज।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बनने से पहले जिस तरह से हमने घोषणा की थी और अपने घोषणा पत्र में इसे रखा था, उसी पर विचार किया जा रहा है कि इसको किस तरह से इम्पीमेंट किया जा सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- विचाराधीन तो है। प्रक्रिया चल रहा है। इनको इतनी जल्दबाजी क्या है। अभी दो महीने सरकार को बने हुआ है और आपको तो इतना भी तसल्ली नहीं है आपके यहां तो (व्यवधान) आपके समय भुगतान सालों साल नहीं मिलता था। यह प्रक्रियाधीन है।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- दो महीने सरकार को हुआ है और आप इतनी ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। इसको सोचना चाहिए। 15 साल (व्यवधान) विचाराधीन है (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- नहीं यह ठीक भी नहीं है। ये लोग भी खड़े हो गये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया था (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- 15 साल के बाद भी नहीं किये। 15 साल के बाद अभी तक (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियापूर्वक हमें सदन में घुसने का (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग उत्तर मत दीजिए न।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मंत्री जी तो जवाब दे रहे हैं। बाकी लोगों को जवाब देने की क्या जरूरत ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए-बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी अनुमति से खड़े हैं बाकि लोग बिल्कुल बिना अनुमति के खड़े हैं। आपका जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, कल ही सदन ने माननीय मंत्री जी का बेहतरीन जवाब सुना। बहुत सक्षम हैं।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- हम लोगों ने बधाई भी दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत पढ़े-लिखे हैं। मैं समझता हूं कि जब कोई सदस्य पूछ रहा हो। कोई मंत्री अच्छे से जवाब दे रहा हो तो बीच में किसी को भी पैरवी नहीं करना चाहिए। न इधर से न उधर से।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अमरजीत भगत :- यह सरकार भी पिछली सरकार की (व्यवधान), जिसको पूरा नहीं किया। आदिवासियों को (व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- आदिवासियों को (व्यवधान) देंगे। 15 साल (व्यवधान) और हम लोग कोई व्यवधान डालना नहीं चाह रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- प्रक्रिया चल रहा है। मंत्री जी तो उत्तर दे रहे हैं। आप ही तो तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- यह सरकार, वह सरकार करके आप उत्तर को नहीं रोक सकते भई। आपको जब बोलना होगा, आपको अवसर मिलेगा। बोल लेना। उनसे कई जानकारियां लोगों को आ रही हैं लोगों को सुनना है । आप लोग जबरदस्ती। जब मंत्री बनोगे तो कर लेना जवाब वहां से।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- इतनी ज्यादा तत्परता से पूछ रहे हैं आदरणीय इसलिए माननीय सदस्यों से अपोजिट कह रहे हैं। इतने ज्यादा तत्परता से बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं 15 साल इसलिए कहा जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भैय्या, वे सीनियर मंत्री रहे हैं, वे इतने कमजोर थोड़ी न हैं ?

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- वे इतनी तत्परता से बात कर रहे हैं। 15 साल तक मंत्री रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आज पहली बार अपने प्रश्न पर आये हैं। नहीं तो दूसरों के प्रश्न में ही प्रश्न पूछते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, उनको अपने प्रश्न को पूछने दीजिये न। उनका अपना प्रश्न है, पूछने दीजिये।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, 15 साल में उनकी घोषणा पूरी नहीं हुई है। ये लोग बोले थे कि हम पांच सौ रूपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने घोषणा-पत्र को संकल्प-पत्र बनाया था।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- इसीलिए आप नहीं दोगे क्या ? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, मनोज जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और बाकी लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप समय देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग प्रश्नकाल में अनावश्यक समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आसंदी से निर्देशित होना चाहिए। प्रश्नकाल को बाधा मत पहुंचाये। मंत्री जी अच्छा जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर प्रश्न को टालने के लिए इस प्रकार व्यवधान किया जा रहा है। .....(व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- वह 15 लाख कब तक आयेगा ?

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- वह 15 लाख कब आयेगा, यही बता दीजये। साढ़े चार साल तक नहीं आया।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- 15 लाख नहीं तो एकाध किश्त को जारी करो।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- डहरिया जी, आप मंत्री हैं भाई। आप मंत्री है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। सदस्य को प्रश्न पूछने से वंचित किया जा रहा है। .....(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप उनको प्रताड़ित करिये। ये क्या तरीका है ?(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को बाधित करने की यह गलत परम्परा है। प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। .....(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, प्रश्नकाल। उसको बाधित किया जा रहा है और प्लानिंग से किया जा रहा है।

श्री भीमा मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए सक्षम हैं। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चौबे जी, आप संसदीय कार्यमंत्री हैं। आप अपने सदस्यों को समझाइये कि प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न नही करना चाहिए। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार हमारा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप ट्रेजरी बेंच हैं। आपका सवाल आयेगा, तब जवाब दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, आसंदी का हर आदेश और निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन अगर अजय जी का प्रश्न है और शिवरतन जी भी खड़े होकर प्रश्न करेंगे तो क्या अमरजीत को अधिकार नहीं है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने खड़े होकर प्रश्न नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बोल रहे हैं। मैंने प्रश्न नहीं किया है। प्रश्न अजय चन्द्राकर जी कर रहे हैं। .....(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह आसंदी का अपमान है। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ तो जाईये। .....(व्यवधान) आप बैठ तो जाईये।

श्री नारायण चंदेल :- यह घोर आपत्तिजनक है। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, बैठिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप मेरी बात सुनिये। अजय जी के प्रश्न पर किसी भी विपक्षी सदस्य

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को या किसी भी सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आप जिनको अनुमति देंगे, वही खड़ा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। किसी को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन उधर से शिवरतन शर्मा जी बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। तो इधर खड़ा होना ही पड़ता है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को उत्तेजना फैलाने का भी अधिकार नहीं है। उत्तेजना फैलाते हैं। प्रश्न का उत्तर कोई सुनना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उनका बी0पी0 बढ़ा हुआ है।

श्री अरूण वोरा :- हां, उनका बी0पी0 बढ़ा हुआ है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनको कक्ष में ले जाकर इनका ब्लउ प्रेशर नपवाये। .....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तेजना ठीक नहीं है।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- भैय्या, सरकार की तरफ से कैम्प लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये, सुनिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, अजय चन्द्राकर जी का बी0पी0 चेक कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं।

समय :

12:00 बजे

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से प्रश्नकाल को ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने व्यवधान उपस्थित करने की कोशिश की है, आपकी व्यवस्था देने के बाद भी उन्होंने बार-बार व्यवधान उपस्थित किया है, ये घोर निन्दनीय है और इस प्रकार अगर प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष हमारे प्रश्नों को बाधित करेगा...।

अध्यक्ष महोदय :- ये प्वाइंट आफ आर्डर नहीं बनता, आप शून्यकाल में बात करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं । व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न रखने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात को शून्यकाल में रखें ।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप आसंदी के खिलाफ बर्हिमन करते हो, क्या व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल पूरा हो गया, उसके बाद अब क्या है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है । प्रश्नकाल के बाद ही व्यवस्था का प्रश्न होता है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनके पास कोई प्रश्न है ही नहीं, इनका कोई प्वाइंट आफ आर्डर बनता ही नहीं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज सदन में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, वह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि प्रश्नकाल को बाधित करने के लिए ट्रेजरी बेंच के लोग विपक्ष के सदस्यों को प्रश्न पूछने से रोकें, आपकी व्यवस्था के बाद भी इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहेगी तो दुर्भाग्यजनक है तो विपक्ष के अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था देता हूं, आगे बढ़िए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन के एक जिम्मेदार मंत्री के बारे में बात कही कि आप बाधित कर रहे हैं, अपने विभाग में बोलिएगा । उसके बाद आपने माननीय संसदीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्यमंत्री से भी आग्रह किया, उसके बाद भी प्रश्नकाल बाधित होता रहा, आज आपकी व्यवस्था की अवमानना हुई । हम इस विषय पर कहना चाहते हैं कि आखिर प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं और प्रश्नकाल किस तरह से चलेगा, इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए क्योंकि दो-तीन बार हो गया, सत्तारूढ़ दल बाधित करती है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम माननीय अध्यक्ष के हर आदेश का पालन करते हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप अध्यक्ष जी को भड़का रहे हैं, अध्यक्ष जी को गुस्सा दिला रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया, मैंने अध्यक्ष जी को निर्देशित नहीं किया । आपने अध्यक्ष जी का निर्देश नहीं माना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमने अध्यक्ष जी के हर आदेश का पालन किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में जब बाधा उत्पन्न हो रही थी तो आपने संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे जी को बात रखने की बात की और संसदीय कार्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अजय चन्द्राकर जी प्रश्न कर रहे हैं और शिवरतन जी खड़े हो गए। आप कार्यवाही निकालकर देख लीजिए, मैंने उस समय कोई प्रश्न किया क्या ? संसदीय कार्यमंत्री जी सम्मिलित थे । ....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- वह समय व्यतीत करने के लिए खड़े हुए, उस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी के पास नहीं था ।....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्नकाल में सरकार के पास जवाब नहीं था इसलिए प्रश्नकाल टले, इसके लिए संसदीय कार्यमंत्री भी सम्मिलित थे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने तो जवाब नहीं सुना, हल्ला किये न।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, आज शिविर लगा हुआ है, जरा आप चेक-अप करा लीजिए ।....(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सदस्य चन्द्राकर जी का बी.पी. बढ़ा हुआ है, हमें चिन्ता है इसलिए चेक-अप कराया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे तो बोलने दीजिए । चन्द्राकर जी, आप जरा चेक-अप करा लीजिए । आपकी अनावश्यक उत्तेजना बढ़ रही है ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, आपके इस प्रस्ताव से हम सहमत हैं, इनको बी.पी. चेक करा लेना चाहिए क्योंकि इनकी बी.पी. लगातार बढ़ती है। ....(व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजय चन्द्राकर जी बहुत शालीनता के साथ प्रश्न पूछ रहे थे, मंत्री जी भी जवाब दे रहे थे, लेकिन मंत्री जी को जवाब दे रहे थे, लेकिन मंत्री जी को जवाब देने से सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनको रोका ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ऐसा नहीं हुआ, कोई किसी ने नहीं रोका।

श्री धरम लाल कौशिक :- इसलिए रोका कि कोई उत्तर नहीं था और इस प्रश्न का अंत तक जवाब इसलिए नहीं आया तो ये जो प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, कम से कम प्रश्नकाल में सहयोग करें और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो हम लोग भी जवाब सुन रहे हैं, उनको उत्तर आने देना चाहिए, उसमें व्यवधान उत्पन्न न करें ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास चन्द्राकर जी का ईलाज है । मेरी बनाई हुई कैप्सूल पटकामाईसील खा लो तो आप फौरन ठीक हो जाओगे । पटकामाईसीन कैप्सूल फौरन पटक देती है ।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कल एक स्थगन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है । भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत की है और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दो हेक्टेअर से छोटे किसानों को 6000 रूपये साल प्रति वर्ष भारत सरकार देने वाली है । राजस्व विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है । छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ लगभग 30 लाख किसानों को प्राप्त होगा, पर छत्तीसगढ़ की सरकार जान-बूझकर इस योजना के क्रियान्वयन को रोकने में लगी हुई है । जिस योजना का लाभ 30 लाख किसानों को मिलना है, सरकार ये चाहती है कि हम फारमेल्टी पूरी न करें, भारत सरकार को जानकारी न भेजें, ताकि चुनाव आचार संहिता लगने तक इनको किसी प्रकार का लाभ न मिले । इस विषय पर हमारा स्थगन है । आप स्थगन ग्राह्य कर चर्चा कराएं, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अजीत जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दो-तीन दिन पहले, एक निर्णय दिया है, जिसे मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ । उन्होंने वन क्षेत्रों में पटटे दिये जाने से इंकार करते हुये आदिवासियों को न दिया जाये, इस तरह की व्यवस्था दी है । अगर उसका पालन किया गया तो विशेषकर हमारे प्रदेश में, जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जहां अधिकांश आदिवासी बिना पटटा के खेती कर रहे हैं । यदि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अक्षरश: पालन किया जायेगा तो बहुत भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस आदेश के पुनरावलोकन के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट पर आवेदन लगाये जाये, हमारे प्रदेश का उदाहरण देकर यह कहा जाये कि जहां हमने वर्ष 2007 का एक्ट बनाया, पटटे देने का प्रावधान किया, उसका बिल्कुल उल्टा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है । हम लोगों ने इस पर एक ध्यानाकर्षण भी दिया है । कृपया इसे स्वीकार करें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर लम्बी चर्चा होकर पुनरावलोकन रिव्यू पिटीशन जरूर लगाई जानी चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल राजस्व विभाग के अनुदान मांगों पर भी इस बात को कहा था कि छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान के उन प्रदेशों में से शामिल है, जहां लघु सीमांत कृषकों की संख्या ज्यादा है । अभी अपुष्ट आंकड़े नहीं आये हैं, लेकिन लगभग 33 लाख किसान प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि से लाभान्वित होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल जिस समय बोल रहा था, सिर्फ 1 लाख 30 हजार किसानों की ऑनलाईन एण्ट्री हुई थी । सरकार न तो डाटा उपलब्ध करा रही है, न ऑनलाईन करवाने के प्रति गंभीर है, न ही किसी प्रकार की गंभीरता दिखा रही है और जो पहली बार तेलंगाना या उड़ीसा की सरकारों के बाद केन्द्र सरकार ने यह सोचा कि किसानों को एक कैश बेनिफिट स्कीम दी जाये । छत्तीसगढ़ सरकार के जिम्मेदार मंत्री का यह बयान आया कि हम उसमें किसी तरह के कोई इन्ट्रेस्टेड नहीं है । हम उसकी जगह बिल्कुल यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम की तरह कोई नया स्कीम लायेंगे । जानबूझकर उस महती योजना को क्रियान्वित करने में छत्तीसगढ़ सरकार कोताही बरत रही है, किसानों की उपेक्षा कर रही है, किसानों के हित के साथ खेल रही है, इसके विरोध में हमने आपके सम्मुख स्थगन प्रस्ताव दिया है, यह किसानों का विषय है, इसलिए इस पर तत्काल कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा करवाई जानी चाहिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के अगर 30 लाख किसान भी हम मान लेते हैं, 6 हजार रूपये के हिसाब से 1800 करोड़ रूपये किसानों के खाते में जाना है । किसानों को जिस योजना का फायदा मिलना है, उस योजना का फायदा दिलवाने में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह कोताही बरत रही है, पूरी तरह लापरवाही बरत रही है और जानबूझकर किसानों के खाते में पैसा जाने से रोक रही है । केन्द्र सरकार को उन किसानों का डिटेल्स उपलबध नहीं करा रही है । यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि किसानों के पैसे को रोकने का काम यह वर्तमान सरकार कर रही है । हमने इसके ऊपर में स्थगन दिया है, हम चाहते हैं कि किसानों के खाते में जो 1800 रूपये जाने वाला है, वह जल्दी से जल्दी जाये । इसको जानबूझकर सरकार के द्वारा रोका जा रहा है, आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें, उसके ऊपर में आप चर्चा करवायें तो विस्तृत जानकारी इसके बारे में रखेंगे, इस बात का आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धनेन्द्र साहू जी ।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां महानदी जलाशय परियोजना समूह की एशिया की सबसे बड़ी लिफट एरिगेशन अभनपुर नहर उदवहन सिंचाई परियोजना है । पिछले 10-15 सालों से कोई मरम्मत नहीं होने के कारण, पंपों की नई खरीदी नहीं होने के कारण, पूरा कंडम हो गया है । सिंचाई की जो क्षमता है, लगभग 25 परशेंट हो गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में ध्यानाकर्षण दिया है ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के भूमि पुत्र और अन्नदाता किसानों से यह जुड़ा हुआ मामला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के सम्मान निधि के इस विषय पर राजनीति से परे हटकर, राजनीति से ऊपर हटकर और बड़े मन से वर्तमान सरकार को काम करने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विसंगति है कि किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का मीन-मेग निकालना, उसको रोकना, यह प्रदेश के किसानों के साथ में घोर अन्याय है । आप आसंदी से निर्देशित करें कि जो भी प्रक्रिया है, वह पूरी हो और हमने इस पर ध्यानाकर्षण और स्थगन दिया है । इस पर पर्याप्त चर्चा कराई जाये ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान समृद्धि योजना प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने वाली योजना है और इसमें सरकार की कोई रूचि नहीं है। तहसील स्तर पर किसान अपना प्रतिवेदन लेकर जा रहे हैं तो कोई संबंधित नोडल अधिकारी उपलब्ध नहीं है। योजना का क्रियान्वयन करने में सरकार की कोई रूचि नहीं है। वहां कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। तहसील स्तर पर कोई फार्म नहीं दिया जा रहा है और किसान अपनी ऋण पुस्तिका रिकार्ड लेकर जा रहे हैं तो उन्हें रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हमने इस पर स्थगन दिया है आपसे निवेदन है कि इस पर कृपापूर्वक चर्चा करायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि ये एक ऐसी योजना है जो किसानों को केवल एक वर्ष के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में छः हजार रूपये जाने हैं। पूरे हिन्दुस्तान में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, किसानों के खाते में पैसा पहुंचना भी प्रारंभ हो गया है लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो किसानों का प्रदेश है लेकिन यहां की सरकार की जो भूमिका है, इनकी इच्छा है कि किसानों का उसका लाभ न मिले। इसलिए जो सहयोग इनको करना चाहिए और जो दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात है ये सरकार जानबूझकर ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है और ये किसानों के हित में बड़ी-बड़ी बात करती है। लेकिन ये जो पैसा केन्द्र सरकार से मिलना है इसके लिए ये नहीं चाहते कि सरकार का पैसा उनके खाते में जाए और इसे लेकर जब हमारे किसान तहसील कार्यालय से लेकर बाकी जगह जो चक्कर लगा रहे हैं, किसानों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि केवल एक वर्ष के लिए नहीं बल्कि हर साल किसानों को पैसा मिलना है,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

इससे वह किसानों को वंचित कर रहे हैं। हम लोग इस पर स्थगन दिये हैं और यह इतना बड़ा मुद्दा है कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन में आचार संहिता लग जायेगी जिससे इस योजना से हमारे किसान वंचित होंगे। इसलिए सारी कार्यवाही को रोककर आज स्थगन पर चर्चा हो और हम सारे तथ्य उस पर रख सकें और उसमें हम विस्तार से चर्चा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय :- वह मेरे विचाराधीन है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के हित की बात है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कितने लोग बात करेंगे यह बता दीजिए? एक ही विषय पर पांच लोग बोले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह किसानों के हित का मामला है, इस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरा ध्यानाकर्षण कर रहे हैं तो कितने सदस्य करेंगे? आप सब करेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ, सब करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का विषय है। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह लोकमहत्व का विषय है इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर अविलंब चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने कह दिया कि मेरे विचाराधीन है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का विषय है इससे बड़ा कोई विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय ताम्रध्वज साहू ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों से बढ़कर कोई बड़ा लोक महत्व नहीं है। इसी सरकार ने कहा है कि किसान हमारे एजेंडा में हैं और यही सरकार किसानों के हित के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने सुन लिया, वह मेरे विचार में है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के भूमिपुत्र अन्नदाता किसानों का मामला है और इससे बड़ा कोई विषय नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए की गई)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय:

12:13 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

समय :

12:14 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टावर लाईन निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जाना.

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़), श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- जिला जांजगीर-चांपा के विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के ग्राम-ढ़ाबाडीह, कोशीर, मिलौनी, जोरैला, डोगाकोहरौद, मोऊभांटा में उड़ीसा जनरेशन फेस-II टॉवर कंपनी के द्वारा टावर लाईन का निर्माण सुन्दरगढ़, झारसुगड़ा से रायपुर तक डबल सर्किट का टावर लाईन ले जायी जा रही है, जिसमें किसानों की जमीन के ऊपर पेड़, फसल क्षति का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। इसी प्रकार ग्राम केरा, मुड़पार, तुल्मा, खरौद, देवरी, खोरसी, तनौद, डवेरघटा, खरगहनी, दुरपा, करमंदी में पावर ग्रीड टावर कंपनी के द्वारा खम्भे एवं तार का कार्य किया जा रहा है। टावर निर्माण के पहले किसानों को उनकी जमीन जिसमें खम्भा लगना है उसका 85 प्रतिशत तार के नीचे पड़ने वाले जमीन का 15 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान है। इस संबंध में शिकायत किये जाने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। लाईन प्रवाहित होने की स्थिति में है। किसानों को टावर निर्माण में आयी जमीन, पेड़ एवं फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलने से क्षेत्र के किसानों में शासन/प्रशासन एवं टावर कंपनी के प्रति भयानक आक्रोश व्याप्त है।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही पांच मिनट के लिये स्थगित।

(12.16 से 12.37 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही।)

समय :

12:37 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

<u>गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निम्नांकित माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

<u>भारतीय जनता पार्टी</u>

1. डॉ. रमन सिंह
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल
3. श्री अजय चंद्राकर
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
6. श्री सौरभ सिंह
7. श्री डमरूधर पुजारी
8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
9. श्री धरम लाल कौशिक
10. श्री नारायण चंदेल
11. श्री भीमा मंडावी
12. श्री रजनीश कुमार सिंह

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

समय :

12:38 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण पढ़ा हुआ माना जाता है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला - जांजगीर चांपा के विधानसभा पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम ढाबाडीह, कोशीर, भिलौनी, जोरैला, डोंगाकोहरौद, मेऊभांठा में उड़ीसा जनरेशन फेस-2 टावर कंपनी के द्वारा टावर लाईन का निर्माण सुन्दरगढ़ - झारसुगुड़ा से रायपुर तक डबल सर्किट का टावर लाईन ले जाया जा रहा है। यह सही नहीं है कि किसानों के जमीन के ऊपर पेड़, फसल क्षति का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 7-7 /सात-1/2014 नया रायपुर, दिनांक 29.11.2016 के आदेशानुसार टावर निर्माण में प्रभावित भूमि का बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत तथा तार के नीचे पड़ने वाली भूमि का बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत मुआवजा देने के आदेश के परिप्रेक्ष्य में टावर लाईन में प्रभावित ग्रामों के किसानों की प्रभावित भूमि एवं वृक्षों का क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह सही नहीं है कि किसानों को 20 हजार, 30 हजार का चेक बनाकर दे रहे हैं। सत्य यह है कि उड़ीसा जनरेशन फेस-2 टावर कंपनी के द्वारा टावर लाईन में विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के 08 ग्रामों के 632 प्रभावित किसानों की प्रभावित भूमि एवं वृक्षों का क्षतिपूर्ण राशि रूपये 3,28,69,110/- (रू. तीन करोड़ अट्ठाईस लाख उनहत्तर हजार एक सौ दस मात्र) निर्धारित किया गया है, जिसमें से 603 किसानों को रू. 3,01,44,956 /- (रू. तीन करोड़ एक लाख चवालीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) का भुगतान राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया है, शेष 29 किसानों की राशि रूपये 27,24,154 /- (रू. सत्ताईस लाख चौबीस हजार एक सौ चौवन मात्र) के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: क्षेत्र के किसानों में शासन/प्रशासन एंव टावर कंपनी के प्रति कोई रोष और आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रावधान में लिखा है कि शतप्रतिशत मुआवजा के बाद ही अपना कार्य चालू कर सकते हैं लेकिन आज भी मेरे क्षेत्र में किसी किसान को कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। धाबाडीह में एक भुलऊ दिनकर करके नाम है। उनको करीब 6-7 महीने से

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एस.डी.एम. और कलेक्टर ऑफिस के बहुत चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज भी उसको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उसमें कुछ आपसी विवाद का कारण हो सकता है और जिनका मुआवजा बाकी है वह मुआवजा राजस्व विभाग में है, हम लोग उनको मुआवजा का भुगतान जल्दी से जल्दी करायेंगे।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो किसान, जिसका प्रक्रियाधीन लिखा है, उसको डराया, धमकाया जाकर, ऐसा प्रक्रियाधीन है, ऐसा बताया जा रहा है। न तो किसी किसान को मुआवजा मिला है। किसानों को उल्टा घरों पर जाकर धमकाया जाता है और कार्य को किया जाता है और इसके साथ इसमें जो कार्य लिखा है, अभी कार्य बंद है। लेकिन वह कार्य चालू हुआ है और चल भी रहा है और जब उस कार्य को रुकवाने के लिए किसान लोग गये थे। तो उस कार्य को बंद नहीं किया गया और उनको डरा, धमका कर, वहां से भगा दिया गया था। मैंने जब एस.डी.एम. को फोन लगाया तो उसने मेरे फोन को रिसिव नहीं किया और जो ठेकेदार है उनका फोन रिसिव करके उनसे बात कर लिया और वह भी मेरे ही सामने किया।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप इसको स्पेशल देख लीजिएगा। आप स्वयं हस्तक्षेप करिये। माननीय केशव चन्द्रा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के फोन को एस.डी.एम. ने रिसिव नहीं किया। ये गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने तो कह दिया कि...।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और बिना बताये छुट्टी पर चले गये थे और मेरे फोन को रिसिव भी नहीं किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इसको देखना चाहिए। विधायक केफोन को रिसिव नहीं करना। ये आपत्तिजनक है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने निर्देश कर दिया है कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो उड़ीसा जनरेशन फेस-2 का तो जवाब दिया। लेकिन पॉवर ग्रिड भी अपना एक टॉवर लगा रहा है, आपके उत्तर में पॉवर ग्रिड के बारे में कोई जवाब नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पॉवर ग्रिड का भी कोई काम चल रहा है? और यदि पॉवर ग्रिड का टॉवर लगाने का काम चल रहा है तो उसमें अब कितने किसानों को मुआवजा दिये हैं और काम प्रारंभ हुए, कितने दिन हो गया है?

अशुद्धित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये 90 में बता रहे हैं?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ध्यानाकर्षण में है कि पॉवर ग्रिड टॉवर कंपनी के द्वारा खम्भे एवं तार का किया जा रहा है। आपने इनका जवाब नहीं दिया?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा भी आपके टॉवर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा और जनरेशन और ट्रांसमिशन द्वारा किया जा रहा है और पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा भी किया जा रहा है। कुछ कार्य जो पूर्ण हो गये हैं जो आपने अडानी के बारे में बताया था कि वह कार्य पूर्ण हुआ है और बाकी ..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, नहीं। पहले मैं पॉवर ग्रिड के बारे में जानना चाहता हूँ कि पॉवर ग्रिड ये छत्तीसगढ़ पॉवर से नहीं है। पॉवर ग्रिड एक कंपनी है भले वह सरकार की कंपनी रहे या कुछ भी। उनका टॉवर लग रहा है ये ध्यानाकर्षण में है दुरपा, करमंदी, खरगहनी, डबेरघटा, खदौर, खोरसी, देवरी, खरौद, इसमें पॉवर ग्रिड कंपनी के द्वारा खम्भे एवं तार का किया जा रहा है, उनका मुआवजा नहीं मिला है आप इनका जवाब बता दें कि वास्तव में उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ? और अगर हो रहा है तो क्या किसानों को मुआवजा दिया गया है या नहीं दिया गया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर चांपा विद्युत पारेषण टॉवर लाईन की 4 कंपनियों के द्वारा टॉवर लाईन का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं, कि शासन के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन की निष्क्रीयता टॉवर कंपनी को संरक्षण देने के चलते आज किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। यह सही है कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन रायपुर, जिला जांजगीर चांपा के विधान सभा पामगढ़ के अंतर्गत पावर ग्रिड पॉवर कंपनी के द्वारा खंभे और तार का कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- वह बस टॉवर ग्रिड के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या टॉवर ग्रिड का काम चल रहा है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- टॉवर ग्रिड का काम अभी चल रहा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नया आदेश आया है, उसमें जमीन का मुआवजा देना है, 85 प्रतिशत जहां टॉवर लगता है, तार के नीचे 15 प्रतिशत मुआवजा देना है, पेड़ की क्षति और इनके अलावा एक चीज का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, जबकि पत्र में स्पष्ट है कि अगर काम करने के दौरान कोई फसल की क्षति होती है तो उस फसल की क्षति का भी मुआवजा दिया जाना है। जांजगीर चांपा जिला में ये 4 टॉवर कंपनी काम कर रही हैं, एक तो उड़ीसा जनरेशन फेस-2 जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया, दूसरा पावर ग्रिड का लारा से चांपा 400 के.व्ही. डबल सर्किट का काम चार साल पहले चालू हुआ और दो साल पहले लाईन प्रभावित हो गई,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ डब्ल्यू.आर. ट्रांसमीशन अडानी की कंपनी है जो रायगढ़ से चांपा 765 के.व्ही. सिंगल सर्किल का इनका काम 4 साल पहले चालू हुआ, 1 साल इनकी लाईन प्रभावित हो गई, लेकिन आज भी किसानों को मुआवाजा नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी मैं जिस लाईन के बारे में बोल रहा हूं ये पावर ग्रिड जो रायगढ़ से मद्रास, चेन्नई जा रही है, ये नया टॉवर निर्माण का काम शुरू हुआ है और इसमें पूरा टॉवर खड़ा हो गया है और किसान को डंडा-डंडा मार-मार कर खड़ा कर दिये हैं और एक भी किसान को एक भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। टॉवर कंपनी भुगतान दे रही है यह तो अलग बात है। आपके शासन का स्पष्ट निर्देश है कि संपूर्ण भुगतान की जवाबदारी राजस्व विभाग की है। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक भी जगह का सर्वे नहीं किया है, मुआवजा का निर्धारण नहीं किया है और ये डंडे चला करके पूरे टॉवर खड़ा करके ले जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के हित और प्रशासन की सोच किसानों के प्रति होनी चाहिए, इनके प्रति नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ डब्ल्यू.आर. ट्रांसमीशन काम करके चला गया, लाईन चालू हो गई, उड़ीसा जनरेशन फेस-2 वाले काम करके लाईन चालू करके चले गये। आज आपके कलेक्टर को बोलते हैं तो वह बोलते हैं कि मैं उनको कहां खोजूंगा, वह तो चले गये। खोजना उनका काम है, सरकार का काम है। किसान के साथ अन्याय मत हो। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये सुनिश्चित कि जब तक शत-प्रतिशत मुआवजा न मिले, पावर ग्रिड का काम रोकवायेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले के 2-3 विधानसभा में ये समस्या है। कहीं कोई कंपनी काम पूरा करके चली गई, किसी का काम चालू है, कुछ जगह मुआवजा वितरण हो गया, कुछ जगह नहीं हुआ। इसके लिए मैं सदन में इस बात की घोषणा करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य जिन-जिन के क्षेत्र में जांजगीर में ये टॉवर लाईन की समस्या है, जिन किसानों की जमीन गई है, जितनी चिंता माननीय सदस्यों को किसानों की है, उससे कहीं ज्यादा मुझे भी और सरकार को भी है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 2 तारीख को रेवेन्यू सेकेटरी, कलेक्टर, वहां के विधायक, इन सब के साथ, और जो भी पावर कंपनियां हैं, उन सबके वरिष्ठ अधिकारी, उनकी सेकंड हॉफ में एक बैठक करके इस पूरी समस्या का वहीं पर समाधान करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के बारे में चिंतन किया है। लेकिन मैंने जो पहला आपने आश्वासन चाहा कि 2 तारीख तक भी क्या आप काम को रूकवायेंगे ? आप निर्देश तो यहीं से दे सकते हैं, जब मुआवजा नहीं दिये हैं तो वह काम क्यों करें ? मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आज और अभी तत्काल काम को रूकवायें।

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कितनी तारीख है, 26 तारीख है, टोटल 3 दिन बीच में है।

श्री धर्मजीत सिंह :- फोन में तो बोल दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जब मैंने स्वयं जाकर जांजगीर जिला मुख्यालय में बैठक करने की बात कही है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जायेंगे, मीटिंग लेंगे, क्या समस्या है, उसको देखेंगे, अभी जो काम हो रहा है, उसका क्या करेंगे, आप उस काम को अभी रूकवाईये न ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- चन्द्रा जी, आप मेरी बात सुनिये। जब मैंने कहा है कि मैं स्वयं जाऊंगा, रेवेन्यू सेकेटरी भी रहेगा, कलेक्टर भी रहेगा, संबंधित कंपनी के अधिकारी भी रहेंगे, अगर उनके बीच में फैसला नहीं होगा तो फैसला कैसे नहीं होगा, आप बताईए। वहां पर बैठकर आप लोगों के सामने बात करेंगे। क्योकि कहीं मुआवजा मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं काम करके चले गये तो मुआवजा नहीं मिला तो कोई काम कर रहा है, ये सारी चीजें अभी इसमें पूरा क्लियर होना संभव नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं कि 2 तारीख को बैठक करके उस समस्या का समाधान वहीं इस बात को किया जायेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठक तो होगी । सरकार का तो पहले भी निर्देश गया है । शत-प्रतिशत मुआवजा के बाद ही काम प्रारंभ करेंगे यह सरकार का निर्देश है, हमारा निर्देश नहीं है । काम भी हो गया, लाईन भी चालू हो गया और वे चले गये, मंत्री जी तो यह समीक्षा करेंगे कि मुआवजा क्यों नहीं मिला है ? लेकिन आज जो काम हो रहा है उसका क्या होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति होगी तो मैं इसको पटल पर रख दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, पटल पर रख दीजियेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ऐसे नोटिस देकर के किसान लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आप टॉवर को नहीं लगाने देंगे तो आपके विरूद्ध फलाना एक्ट के तहत् ....।

अध्यक्ष महोदय :- आप वह पटल पर रख दीजिये न, मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काम रोकवा दें न । किसानों को मुआवजा नहीं मिला है तो काम रूकवा दें । हम मंत्री जी से यही तो आश्वासन चाहते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसानों की बात कह रहे हैं । एक टेलीफोन करके काम रूकवा दीजिये, 3 दिन में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जायेगा और यह न केवल इनके क्षेत्र का मामला है बल्कि पूरे प्रदेश में लंबे-लंबे टॉवर खींचे जा रहे हैं और किसानों की जमीन का बिना मुआवजा दिये खींचे जा रहे हैं तो क्या आप एक नियम नहीं बना सकते कि जब तक आप किसानों का मुआवजा नहीं देंगे तब तक उसमें खंभा नहीं गाड़ सकते ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नियम है, जिस पत्र का जिक्र किये हैं उसमें स्पष्ट है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी प्राथमिकता किसान है तो किसानों का पक्ष लीजिये, यह लंबे-लंबे बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोग जो आये हैं चाहे वह अडानी का खींचे या अंबानी का खींचे तो उनको इतना अधिकार नहीं होना चाहिए और तहसीलदारों को तो कम से कम बोलिये कि किसानों को धमकाने की भाषा छोड़ें। तहसीलदार, एसडीएम को उनके एजेंट बनकर काम करने की क्या जरूरत है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय धर्मजीत भैया, जब मैंने इस बात की घोषणा कर दी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों के एजेंट बनने की जरूरत नहीं है । आप आसंदी से निर्देश दीजिये क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनको अगर मुआवजा भी नहीं मिलेगा तो किसान कहां जायेगा इसलिये यह गंभीर मसला है, आप 3 दिन बाद मीटिंग लेंगे, ठीक बात है, आपका स्वागत है कि आप कम से कम इतनी सहृदयता दिखा रहे हैं लेकिन एक टेलीफोन करिये कि जब तक आप नहीं आयेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा और जो तहसीलदार इस प्रकार की भाषा किसानों को धमकाने की भाषा करे उसको आप तत्काल निलंबित करिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है । आखिर किसान कहां जायेगा, तहसीलदार उसको धमका रहा है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार को निर्देश दिये जायेंगे, कोई धमकी-चमकी नहीं होगी । 2-3 दिन की बात है और मैं केवल समीक्षा करने के लिये नहीं जा रहा हूं मैंने यह कहा कि वहीं पर बैठकर वे पॉवर कंपनी के लोग भी रहेंगे, कलेक्टर भी रहेगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहेगा और मैं भी रहूंगा एवं संबंधित विधायक भी रहेंगे और सबके सामने जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, यह मैंने कहा है इसलिये 2-3 दिन थोड़ा पेशेंस रखिये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला इसलिये गंभीर है कि यह ट्रांसमिशन लाईन के भुगतान को लेकर के दिनांक 21.11.2016 को भी सदन में ध्यानाकर्षण लगा था, दिनांक 23.02.2018 को भी ध्यानाकर्षण लगा था तो माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि हम भुगतान करवायेंगे लेकिन वह टॉवर लग गया, लाईन चालू हो गया लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला । माननीय मंत्री जी, हम यही चाहते हैं न कि आज आप घोषणा कर दें कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा । क्या दिक्कत है, आपके नियम में है । दूसरी चीज यह मुआवजा नहीं मिला तो किसी न किसी रूप में राजस्व विभाग इसके लिये दोषी है तो कौन अधिकारी दोषी है, किसलिये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दोषी है कि मुआवजा बिना दिलवाये लाईन चालू करवा दिये, क्या आप उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे, आप हमें यह आश्वासन दे दीजिये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपने जो कहा है, जैसा आपने कहा कि अडानी अपना काम पूरा करके चला गया तो आज उस अडानी का कौन सा काम रूकेगा तो इसलिये मैं बोल रहा हूं कि जो भी कंपनियां हैं उन सब कंपनियों के अधिकारी, आप लोग स्वयं रहेंगे, मैं रहूंगा, सेक्रेटरी रहेगा, कलेक्टर रहेगा और उसके बाद भी कैसे हल नहीं निकलेगा आप यह बताईये तो इसलिये आप थोड़ा सा 2-3 दिन तो पेशेंस रखिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो हमारा कहना है कि अडानी काम करके क्यों चला गया ? किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला, इसके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अडानी काम करके अभी 20 दिन या महीने भर में तो गया नहीं है । आप स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि अडानी काम करके चला गया मतलब पिछली सरकार के समय गया होगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा जरासन फेस-टू काम करके चला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप ज्यादा कर रहे हैं, प्लीज ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तरफ से आश्वासन आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी आप बोल दीजिये न कि मैं अभी बाहर निकलकर फोन में बोलूंगा, काम रूक जायेगा इतना ही तो चाह रहे हैं, आप बाल दीजिये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जैसा कि आप खुद यह बोल रहे हैं कि कुछ कंपनी काम करके चली गयी है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको तो पुलिस भेजकर बुलवा लेंगे । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, कोई काम करके चला गया तो मुआवजा किनकी गलती के कारण नहीं मिला, उन पर कार्यवाही का आश्वासन शासन देगा । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- वह कंपनी चली गयी है तो उसको छत्तीसगढ़ की पुलिस जाकर ले आयेगी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वह काम करके चला गया, आपका पूरा प्रशासन था ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- कंपनी काम करके चली गयी तो कंपनी के अधिकारी भाग थोड़ी गये होंगे, प्रदेश में कहीं तो होंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- भाग गये हैं न ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हम उनको पकड़कर लायेंगे और आपको मुआवजा दिलवायेंगे, आप निश्चिंत रहिये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- उनको पुलिस भेजकर बुलवा लीजिए । दरोगा, एस.पी. भेजकर बुलवाइए उनको । अगर भाग गए हों तो उनको गिरफ्तार करवाइए । अमानत में खयानत, किसानों के साथ धोखा किया है । किसानों की सरकार है तो किसानों का पक्ष लीजिए ना आप ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुआवजा देने में भी अनियमितता बरती जाती है । जिस किसान की जमीन कम है और अगर वह पावरफुल है तो उसको ज्यादा मुआवजा दिया जाता है । जबकि ज्यादा जमीन वाले किसानों को कम पैसा दिया जाता है । माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी भी जांच कराकर योग्य किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए ।

(2) <u>नई राजधानी रायपुर में वेदांता को अस्पताल निर्माण हेतु नियम विरूद्ध जमीन आवंटित की जाना.</u>

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राजधानी रायपुर में वेदांता को अस्पताल के निर्माण के लिए 2004 में 1 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीन दी गई, किंतु 3 वर्ष में निर्माण के नियम का पालन नहीं करने के कारण 2009 में जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया । विभाग ने संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी करने ओर ब्लैकलिस्ट करने के नियम के विरूद्ध जनवरी 2018 में बाकायदा 50 एकड़ जमीन फिर से आवंटित कर दी गई । यह पहला संस्थान है जिसके साथ दो बार सरकार ने अस्पताल के लिए एमओयू किया और उसे निरस्त किया । 2008 में हुए एमओयू में यह शर्त थी कि अस्पताल में प्रदेश के गरीबों का इलाज फ्री होगा और अस्पताल का एक डायरेक्टर राज्य सरकार नियुक्त करेगी । किंतु इस एमओयू को अचानक ही रद्द कर आनन-फानन में 50 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई । जिसके लिए कोई लिखित प्रस्ताव या निर्देश नहीं था, इस जमीन आवंटन में भारी गड़बड़ी की गई है । इससे शासन व प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि नई राजधानी रायपुर में वेदांता को अस्पताल के निर्माण के लिए 2004 में 1.00 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीन दी गई थी । 03 वर्ष में निर्माण के नियम का पालन नहीं करने के कारण 2009 में जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया । वस्तुस्थिति यह है कि वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा उच्च स्तरीय कैंसर केयर अस्पताल केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में वेदांता

अशुद्धि/पुनरीक्षण के लिये नहीं

मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन तथा राज्य शासन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के मध्य प्रथम एमओयू दिनांक 15.08.2008 को किया गया था । राज्य शासन (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) द्वारा एमओयू की शर्तों के आधार पर ग्राम सड्डू स्थित 40 एकड़ भूमि वर्ष 2008-09 की गाईड लाईन एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कंडिका-26 के प्रावधान अनुसार प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक लेकर स्थाई पट्टे पर आदेश दिनांक 19.09.2008 द्वारा आवंटित की गई । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने उक्त आदेश को संशोधित करते हुए उक्त भूमि 1 रूपया प्रतिवर्ष लीज़ रेंट पर दिनांक 03.10.2008 को आवंटित की। इस मामले पर दिनांक 11.07.2009 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्थान को ग्राम सड्डू में उपलब्ध कराई गई भूमि निर्माण कार्य हेतु अनुपयुक्त है, इसलिए इसे नया रायपुर में स्थापित किया जाए । समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन तथा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मध्य दिनांक 17.09.2009 को पुन: एमओयू निष्पादित किया गया । एमओयू की प्रमख शर्तें निम्नलिखित थीं :-

1. छ.ग.शासन, कैंसर अस्पताल को 30 वर्ष की लीज के लिए 50 एकड़ भूमि, लीज रेंट 1.00 रूपए प्रति वर्ष के हिसाब से आवंटित करेगा ।
2. वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा ।
3. भूमि अन्य प्रयोजन के लिए वेदांता द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी ।
4. वेदांता कैंसर हॉस्पीटल, पेशेंट व उसके परिवार को आवश्यक सुविधा उपलबध कराएगा । वेदांता राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशन भोगी को मुफ्त में इलाज की सुविधा देगा । 20 प्रतिशत बीपीएल परिवारों को मुफ्त में इलाज देगा । उभयपक्ष में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जाएगा ।
5. उक्त संस्था के संचालक मंडल में राज्य सरकार की ओर से तीन प्रतिनिधि होंगे ।

उपरोक्तानुसार निष्पादित एमओयू की शर्तों के अनुक्रम में राज्य शासन (आवास एवं पर्यावरण विभाग) के आदेश दिनांक 24.10.2009 द्वारा वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को नया रायपुर के ग्राम खपरी एवं उपरवारा स्थित 20.23 हेक्टेयर भूमि छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के अधीन 30 वर्ष की लीज पर जो पुन: 30 वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी, आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई । आदेश के अनुसार उक्त लीज के लिए प्रीमियम प्रभारित नहीं होगा परंतु प्रतिवर्ष 1 रूपया लीज रेंट संस्थान द्वारा जमा कराया जावेगा । संस्थान के पक्ष में उक्त भूमि का लीज अनुबंध 03.11.2011 को निष्पादित किया गया । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सड्डू में आवंटित 40 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 31.03.2010 को निरस्त किया गया ।

अनुमोदित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्य शासन (चिकित्सा शिक्षा विभाग) द्वारा आदेश दिनांक 17 जनवरी, 2018 में निम्नानुसार उल्लेख करते हुए दिनांक 17.09.2009 को राज्य शासन एवं मेसर्स वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निरस्त किया गया है :-

छत्तीसगढ़ राज्य में कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए दिनांक 17.09.2009 को राज्य शासन एवं वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के मध्य एमओयू निष्पादन किया गया । निष्पादित एम.ओ.यू. की कंडिका क्रमांक (1) में उल्लेखित शर्तों में वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन को भूमि प्राप्त होने के 03 वर्षों के भीतर अस्पताल, रिसर्च सेंटर, नर्सिंग स्कूल, शैक्षणिक केन्द्र और संबंधित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना एवं कोरबा, कवर्धा, जगदलपुर, अंबिकापुर, व राजनांदगांव में 05 क्षेत्रीय केनद्रों की स्थापना सम्मिलित था, परन्तु इस संबंध में वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन ने आज तक केवल नया रायपुर में कैंसर हॉस्पिटल भवन का निर्माण कराया है, शेष सुविधाओं की स्थापना के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा निष्पादित दिनांक 17/09/2009 की कंडिका क्रमांक (1) की शर्तों का पूर्णतया पालन नहीं करने के कारण राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त संस्थान को प्रदत्त रियायत, प्रारंभ से ही प्रभाव-शून्य मानते हुये उक्त एम.ओ.यू. 17/09/2009 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।"

उपरोक्तानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग निरस्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आदेश दिनांक 24/10/2009 जिसके द्वारा मेसर्स वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन को 20.23 हे. भूमि रूपये 1 प्रतिवर्ष लीज रेन्ट पर आबंटित की गई थी, को निरस्त करने तथा आबंटित भूमि के उपयोग अवधि के वार्षिक भू-भाटक की राशि तथा उस पर नियमानुसार देय शास्ति की राशि संस्था से वसूल की जाए तथा भूमि को वर्तमान प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि का आबंटन किया जाए। शासन द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार दिनांक 24/03/2018 को आदेश जारी किए गए। उक्त आदेश के परिपालन में अटल नगर विकास प्राधिकरण ने वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन से वर्तमान प्रचलित दर पर आकलित लीज प्रीमियम राशि रूपए 34,94,47,068/- एवं लीज रेन्ट तथा सरचार्ज की राशि रूपए 3,18,04,702/- दिनांक 16/04/2018 को प्राप्त कर दिनांक 06/12/2018 को वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन से पूर्व में निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03/11/2011 को निरस्त कर नियमानुसार नया लीज अनुबंध निष्पादित किया गया जिसके कारण शासन और प्रशासन के प्रति लोगों के आक्रोशित होने की स्थिति नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत विस्तार से इसका उत्तर दिया और यह भी कहा है कि इसमें कोई आक्रोश की बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाद एम.ओ.यू. निरस्त होने के बाद भी ब्लैक लिस्ट करने की जगह 50 एकड़ जमीन का आबंटन किस आधार पर किया गया? क्या यह सही है कि वेदांता को रायपुर शहर में पूर्व में जमीन दी गई थी तो कहां पर कितनी और किस दर पर दी गई थी?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेदांता रिसर्च फाउण्डेशन को पहले सड्डू में जमीन दी गई। 19/09/2008 प्रब्याजी भू-भाटक लेकर स्थायी पट्टा ग्राम सड्डू 40 एकड़ 2008-09 की गाइडलाइन के आधार पर। इसके बाद दिनांक 11/07/2009 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सड्डू में उपलब्ध कराई गयी भूमि निर्माण कार्य हेतु अनुपयुक्त है। इसलिए नया रायपुर में स्थापित किया जाए। इसमें वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन को यह तय करना था कि यह भूमि उपयुक्त है या नहीं ? लेकिन एक हाथ आगे जाकर राज्य सरकार ने यह तय किया। राज्य सरकार को ऐसा लगा कि यह उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसको निरस्त किया गया। उसके बाद फिर नया रायपुर में उसका आवंटन किया गया।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि नया रायपुर में इसका आवंटन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वेदान्ता कैंसर हास्पिटल कितने हैक्टेयर जमीन, किस दर पर दी गई है ? इस पर कितना निर्माण हुआ है और इसमें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 अक्टूबर, 2009 को वेदान्ता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन एवं छत्तीसगढ़ शासन के परिवार कल्याण विभाग के मध्य 17 सितम्बर, 2009 को एम0ओ0यू0 हुआ था। उक्त लीज के लिए प्रीमियम प्रभारित नहीं होगी, परन्तु रूपया एक प्रतिवर्ष लीज रेन्ट आवंटिती द्वारा जमा किया जायेगा। लीज की अन्य शर्त सम्पादित एम0ओ0यू0 दिनांक 17.09.2009 तक छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र अचल सम्पत्ति विनियम 2008 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुविधाओं की बात है, तो वर्तमान में जो पूर्व में शर्तें निर्धारित थीं, पूर्व की शर्तों के हिसाब से जो सुविधा मिलना था। उसमें वेदान्ता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन भूमि अन्य प्रयोजन के लिए वेदान्ता द्वारा उपयोग नहीं किया जायेगा। वेदान्ता कैंसर हास्पिटल पेसेन्ट तथा उसके परिवार को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायेगी। वेदान्ता राज्य शासन के कर्मचारी-अधिकारी एवं पेंशन भोगियों को मुफ्त में ईलाज की सुविधा देगा। 20 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों का मुफ्त में ईलाज देगा। उभयपक्ष में किसी विवाद की स्थिति में मुख्य सचिव शासन को भेजेगा। ये सुविधाएं जो थीं, वर्तमान में नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि बी0पी0एल0 और गरीब लोगों की ईलाज की सुविधा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा है,

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

भास्कर समाचार-पत्र में आया है, इसमें लिखा है कि वेदान्ता समूह द्वारा नियमों के तहत गरीबों का फ्री ईलाज नहीं किया जा रहा है। तो इसमें कैंसर पीड़ित 14 माह की बच्ची समेत एक महीने में चार लोगों को वेदान्ता हास्पिटल से अम्बेडकर अस्पताल लौटा गया है। तो इसमें फ्री में ईलाज हो रहा है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि इसमें जो जमीन आवंटित की गई है, नया रायपुर में जितनी भी जमीन आवंटित की गई है, उसमें बीड के नियमों का पालन किया गया है या नहीं तथा फ्री में ईलाज किया जा रहा है या नहीं ? क्योंकि बहुत से मरीज वापिस लौटाये जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की शर्तों के प्रावधान को राज्य सरकार ने उस एम0ओ0यू0 को निरस्त किया। नया आवंटन किया, जिसमें यह शर्त हटा दी गई कि किसी भी गरीब का मुफ्त में ईलाज नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आवंटन की है तो आपका कहना है कि बीड में होना था। लेकिन जब राज्य सरकार, मंत्रिपरिषद् खुद फैसला ले ले तो बीड का विकल्प समाप्त हो जाता है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विषय है और ग्राम उपरवारा में स्थापित है। इतनी महंगी जमीन में यह अस्पताल स्थापित है। वहीं के गांव के लोगों का भी नि:शुल्क ईलाज की सुविधा नहीं है। इसका पुन: परीक्षण कराकर के पुन: गरीबों का नि:शुल्क ईलाज कराने के लिए निर्धारित शर्त में इसको जुड़वायेंगे क्या ? क्योंकि यह पूरे क्षेत्र का मामला है। वहां पर लोगों का कम से कम नि:शुल्क ईलाज हो जाये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामलें में चिंता का विषय यह है कि वेदान्ता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन के बताये अनुसार राज्य सरकार बार-बार अपने फैसले को बदलती रही है। जब मर्जी आये, वहां उन्होंने जमीन लिया, यह पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। केबिनेट की बैठक में माननीय मंत्री जी ने इसमें विरोध भी किया, लेकिन अंतत: राज्य सरकार ने उसको जमीन दे दी। इसमें कोई नियमानुसार कार्रवाई अब संभव नहीं है। राज्य सरकार कोई दबाव नहीं बना सकती है कि आपको इतने लोगों का ईलाज करना पड़ेगा, क्योंकि शर्तों में इस बात का उल्लेख नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य की जो चिंता है, एक बार उनसे बात करके अनुरोध करके इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एम0ओ0यू0 की शर्तों के अनुसार रायपुर नई राजधानी की काफी महंगी जमीन दे दी गई है। जबकि छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का कैंसर का ईलाज फ्री में करने की शर्त थी। अगर शर्तों का पालन नहीं किया गया तो क्या उस जमीन को सरकार फिर से

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वापिस लेगी ? क्योंकि शर्तों में स्पष्ट था कि गरीबों के कैंसर का ईलाज करायेंगे, उसके बाद भी सरकार ने इतनी महंगी जमीन दे दी है तो क्या एमओयू निरस्त करके फिर से करेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एमओयू में शर्तों का उल्लेख था कि गरीबों का ईलाज होगा, पेंशनर का ईलाज होगा, कर्मचारियों का ईलाज होगा, वह एमओयू पूर्ववर्ती सरकार निरस्त कर चुकी है। वर्तमान में जो नया आवंटन है, उसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है इसलिए जो आप कह रहे हैं, वह संभव नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों के ईलाज की व्यवस्था पुरानी सरकार ने खतम कर दी, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरबा, कवर्धा, जगदलपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव में पांच क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना भी सम्मिलित थी । ये अभी सम्मिलित है या नहीं है और नहीं है तो पूरी शर्त को, डील को केंसिल करके नया शर्त बनाने के लिए आप शासन की तरफ से कार्यवाही करेंगे क्या ? वेदांता की शर्तों पर छत्तीसगढ़ की जमीन थोड़ी दी जायेगी । लोगों को कैंसर की बीमारी की बहुत तकलीफ है और सरकार के 50-60 एकड़ जमीन को यूं ही तो किसी को नहीं दिया जा सकता न और इसमें आपने ही लिखा है कि कोरबा, कवर्धा, जगदलपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव में पांच क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करेंगे, गरीबों का अस्पताल बनाएंगे, कैंसर का अस्पताल बनाएंगे, अमीरों का, गरीबों का जो ईलाज कर रहे हैं, वह नहीं कर रहे हैं, वह बाद की बात है, पर पहले कम से कम अस्पताल तो बना दें, ईलाज तो शुरू हो और अगर वह भी न करें तो तत्काल एमओयू केंसिल करिए, आप विधान सभा में घोषणा करिए कि कब तक नहीं करेगा, नहीं तो आप केंसिल कर देंगे, सरकार को डील केंसिल करने का पूरा अधिकार है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन स्थानों का उल्लेख किया है, ये इसके पहले जो एमओयू हुआ था, उसमें ये शर्त थी । वह तत्कालीन सरकार के द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है, उसमें शर्तों का उल्लेख नहीं है । जो नया आवंटन है, उसमें इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जब ये कोई शर्त नहीं है तो वेदांता को आखिर 60 एकड़ जमीन चाहे जिस सरकार ने जिस कारण से दी हो, आप विधान सभा में घोषणा करिए कि इन शर्तों को इस पूरे लीज को निरस्त कराएंगे । जब हमारे प्रदेश के गरीबों का ईलाज नहीं होना है, जब कवर्धा में ईलाज नहीं होना है, कोरबा में ईलाज नहीं होना है, अंबिकापुर में ईलाज नहीं होना है । इसके पीछे मंशा यह है कि छत्तीसगढ़ में कैंसर के हॉस्पिटल की सुविधा कोई बड़े संस्थान के लोग दें, सरकार ने इस उद्देश्य से जमीन दी है । वहां उसको पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए तो जमीन नहीं दी है। आप उसको केंसिल करने की घोषणा कर दीजिए ।

अनुमोदित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बकायदा लीज डीड का पंजीयन हुआ है, उसमें सारी शर्तें निर्धारित हैं और ये एक पक्ष नहीं होता, दोनों पक्ष का होता है इसलिए जब तब आवंटन के नियमों का उल्लंघन न हो, तब तक इसे कैसे निरस्त किया जायेगा, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय :- आज शून्यकाल में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में मेरा ध्यानाकर्षित किया । मैं उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन की सूचना को ध्यानाकर्षण के रूप में लूंगा ।

समय :
1:12 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1 श्री सौरभ सिंह, सदस्य
2 श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
3 डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य
4 श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
5 श्री रामपुकार सिंह, सदस्य

समय :
1:13 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में निम्नलिखित सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती इंदू बंजारे
2. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
3. श्री सौरभ सिंह

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1:14 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई।

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री अनिला भेंड़िया की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

समय :
1:45 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-20120 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**1**	**सामान्य प्रशासन**
मांग संख्या	**2**	**सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
मांग संख्या	**6**	**वित्त विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**60**	**जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**12**	**उर्जा विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**25**	**खनिज विभाग से संबंधित व्यय**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 71 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मांग संख्या 65 विमानन विभाग

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदयाकी सिफारिश केअनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य कीसंचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए-तीन सौ बहत्तर करोड़ बारह लाख, तेरह हजार रूपये

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-तीस करोड़ अन्ठावन लाख, पैंतीस हजार रूपये

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए-आठ हजार पांच सौ छिहत्तर करोड़, पैंसठ लाख रूपये

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए-एक सौ चार करोड़, अस्सी लाख रूपये

मांग संख्या - 12 उर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो हजार तीन सौ सात करोड़, एक लाख इक्यासी हजार रूपये

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- सात सौ पच्चीस करोड, पचपन लाख, दो हजार रूपये

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए-एक सौ छियासी करोड़, बयासी लाख, पन्चानबे हजार रूपये

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए- एक सौ अटठाईस करोड़, निन्यानबे लाख, अन्ठानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिए- सड़सठ करोड़, चौरानबे लाख, चालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये माने जायेंगे ।

अशोधित/असंपादन के लिये नहीं

मांग संख्या- 1

सामान्य प्रशासन

1. श्री पुन्नूलाल मोहले 1
2. डॉ. रेणु अजीत जोगी 4
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल 8

मांग संख्या- 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी 2
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल 3
3. श्री नारायण चंदेल 1

मांग संख्या- 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

1. श्री अजय चन्द्राकर 1

मांग संख्या-12

उर्जा विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री धरमलाल कौशिक 4
2. श्री पुन्नूलाल मोहले 1
3. श्री सौरभ सिंह 1
4. डॉ. रेणु अजीत जोगी 7
5. श्री बृजमोहन अग्रवाल 1
6. श्री नारायण चंदेल 3

मांग संख्या- 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी 1

2.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या- 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री अजय चन्द्राकर 1

मांग संख्या- 71

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. श्री अजय चन्द्राकर 1

मांग संख्या- 65

विमानन विभाग

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल 1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

अब मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । डॉ.रमन सिंह जी ।

डॉ.रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी के अनुदान मांगों की मांग संख्या 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, और 71, 65 के विरोध के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोध इसलिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से जनघोषणा पत्र जारी करके पूरे छत्तीसगढ़ में एक भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है, जनता इस लोक लुभावन नारे के भ्रम में आ गई । जब किसी सरकार का पहला बजट आता है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर एक उम्मीद, एक विश्वास था, एक भरोसा था कि इतनी बड़ी संख्या में जिताया है, कहीं न कहीं उन जनघोषणा पत्र के वादों का विश्वास का कुछ न कुछ प्रतीकात्मक प्रावधान तो होगा । मगर पूरी तरीके से किसी सरकार के 60 दिन पूरे होने में ही, क्योंकि 60 दिन, 6 महीने और एक साल शुरूआत के छण होते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने तो पन्द्रह साल काम किया है । 60 दिन में विरोध के स्वर प्रकट होने लगे, कर्मचारी आंदोलन के लिए आगे आना शुरू हो जाये, जिस प्रकार वादा किया गया था, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नियमितीकरण का प्रावधान किया जायेगा । प्रतीकात्मक तो रहता, सिंबालिक तो कुछ रहता, मगर किसी वर्ग के लिए कोई बात नहीं रखा । प्रदेश के युवा, 23 लाख रजिस्टर्ड युवा पहले बजट को टकटकी लगाये देख रहे थे क्योंकि पहले नंबर पर युवकों के लिए घोषणा की गई कि 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने 25 लाख रूपये नहीं दिया, 10 लाख रूपये नहीं दिया, 1 लाख या 50 हजार रूपये से तो शुरूआत होती तो छत्तीसगढ़ के युवकों को इस बात का भरोसा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होता कि हमारे लिए घोषणा हो रही है, हमारे लिए काम हो रहा है और आने वाले बजट में कम से कम इसको बढ़ाया जायेगा। मगर उसका कोई जिक्र भी नहीं रखा है। 60 साल से अधिक बुजुर्गों के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए 1500 रूपये का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही शिक्षाकर्मियों के आंदोलन की सुगबुगाहट और शुरूआत हो चुकी है और शिक्षाकर्मी आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इस बार पूरे मन और मनोयोग से निश्चित रूप से आपको सहयोग और समर्थन दिया है और विश्वास प्रकट किया है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में किसी का विश्वास खंडित होना सबसे गलत चीज होती है। यदि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी का विश्वास आपने खंडित किया है तो इसका खामियाजा भी लोकसभा में ही आपको दिखने लगेगा कि आपने महिलाओं के विश्वास को तोड़ा है क्योंकि इसमें पूर्ण शराबबंदी का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, हमारी भी सुन लीजिए।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप सबको बोलने का अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, आप सुन लीजिए। जो सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं यदि वह आपके विचारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो आपको अधिकार नहीं है कि आप जबरदस्ती करें।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये एक प्रकार से विश्वास टूटने की बात होती है। आज लोगों के मन में था कि पूर्ण शराबबंदी की शुरूआत होगी। उल्टे अब तो शराब के ठेके होंगे, देशी शराब के अलग होंगे, अंग्रेजी के अलग होंगे। जिस प्रकार की पुरानी परंपरा थी कोचियाओं का राज हो जायेगा। ये पूरे छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण हुआ है। सिर्फ 60 दिन के अंदर लोगों का विश्वास जिस प्रकार से टूटा है, मुझे लगता है कि इसमें दो साल के बोनस का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि दो साल का बोनस दिया जायेगा। बजट में हम पढ़ रहे थे, किसानों को कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक साल का, दो साल का नहीं दिया और इन्होंने घोषणा की थी।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य में इतना बड़ा खिलवाड़ मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आयुष्मान भारत के लिए हम सोचते थे। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जिसमें गरीब लोगों की 5 लाख रूपये तक का इलाज चाहे हॉर्ट की प्राब्लम हो, किडनी का प्राब्लम हो, नी रिप्लेसमेंट हो, बाईपास सर्जरी हो इन सारी चीजों के लिए 37 लाख गरीबों के लिए 05 लाख रूपये तक के इलाज की व्यवस्था थी। मुझे लगा कि बजट में इसका प्रावधान होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी बात नरवा, गरवा, घुरूआ, बाड़ी। अध्यक्ष महोदय, नरवा, गरवा, घुरूआ, बाड़ी, गांव का किसान बोलता है पैसा कहां हे संगवारी। इसमें पैसा है ही नहीं। चार बड़ी फ्लेगशिप स्कीम और पैसे का प्रावधान ही नहीं रखे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है गांव का किसान और मजदूर पूछ रहा है कि पैसा कहां रखे हे संगवारी। इसमें बजट का प्रावधान है क्या? यानी इस प्रकार से

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं।

शुरूआत होती है तो यह छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में विश्वास टूटने का काम 60 दिन के अंदर हो गया है।

अध्यक्ष महादेय, जो सबसे बड़ा वायदा- जिस समाज ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने जिस प्रकार से इस सरकार को समर्थन दिया, इसके बजट के प्रावधान में मुझे पहली बार आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ कि आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए जो हमने 15 साल का विश्लेषण किया, 15 साल के बजट को मैं देखता रहा उस बजट में मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ, इन 15 साल के आंकड़ों को देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि आज तक के सबसे कम बजट अनुसूचित जाति और जनजाति के उपयोजना क्षत्र में हुआ है। अभी तक एवरेज जो मैं निकालकर देख रहा था 35, 36, 37 प्रतिशत खर्च होता था, अनुसूचित जाति क्षेत्र में 12 प्रतिशत खर्च होता था लेकिन इस बार 32 प्रतिशत और 11 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। इस क्षेत्र में भी जो कि हमारा प्रायारिटी सेक्टर है, अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में यदि बजट को कम किया गया है तो निश्चित रूप से इसका एक गलत प्रभाव समाज के अंदर पड़ेगा। ये इस क्षेत्र में 15 साल में सबसे कम खर्च करने वाला बजट है। यह बजट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े घाटे वाला बजट है। सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है। 2018-19 में पुनरीक्षित बजट घाटा 5 हजार 344 करोड़, जिसका अर्थ है कि सरकार के कुल खर्चे और कुल आय से ज्यादा है। ये 5 हजार 344 करोड़ का फर्क मतलब आमदनी अट्ठनी और खर्चा रूपये वाला बजट है। अगले साल ये बजट घाटा 4 हाजर 717 करोड़ रखा गया है। इसका अर्थ है कि इस साल का घाटा और अगले साल भी चलेगा। इतना ही नहीं 2018-19 में राजस्व घाटा 6 हजार 341 करोड़ और वित्तीय घाटा 18 हजार 768 करोड़ जा पहुंचा है। इसको यदि तुलना करेंगे, जी.एस.डी.पी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 3 लाख 11 हजार 360 करोड़ में यदि प्रतिशत देखेंगे तो 6.06 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सर्वाधिक है। जो 18 करोड़ का राजस्व घाटा है ये चिंता का विषय है। 3 प्रतिशत से बढ़कर हम 6 प्रतिशत की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट में 3 प्रकार के बड़े घाटे दर्शाये गये हैं। आप तकनीकी दृष्टि से देखिये, पहला राजस्व घाटा, यानी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर। दूसरा वित्तीय घाटा, राजस्व प्राप्ति और कुल व्यय का अंतर, जिसकी पूर्ति कर्ज लेकर की जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बजट घाटा है। यानी कुल आय और व्यय का अंतर। मतलब कर्ज समेत सभी प्राप्तियों के बाद खर्चे अधिक होना। ये गहरे आर्थिक संकट की ओर प्रदेश को ले जाने की निशानी है। इसके निपटने का उपाय बजट में नहीं दिया गया है। 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान में यह बजट घाटा 5 हाजर 344 करोड़, 2019-20 में 4 हजार 711 करोड़ बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जो राज्य को विकास से पीछे ले जाने का जिस प्रकार कम बढ़ा है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप इस बजट को बारीकी से देखेंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को वर्षों के काम से तुलना करेंगे । पूंजीगत व्यय का मतलब होता है जो निर्माण कार्य हमारे छत्तीसगढ़ के होते हैं, सड़क, पुलिया से लेकर स्कूल अस्पताल कॉलेज से लेकर जो अधोसंरचना में काम करते हैं । पूंजीगत व्यय में यदि लगातार कमी होगी, राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि होगी। ये छत्तीसगढ़ के विकास की जिस रफ्तार से 15 सालों में हम लोगों ने ले जाने का प्रयास किया है, सीधा नीचे ले जाने का प्रयास हो रहा है। राजस्व व्यय 78 हजार 595 करोड़, पूंजीगत व्यय 12 हजार 110 करोड़। चिंता का विषय यही है कि इस प्रकार यदि पूंजीगत व्यय में लगातार कमियां आती रही, राजस्व व्यय बढ़ता रहा, कर्ज पे कर्ज लेते गये और इस प्रकार बजट में लोड पड़ता रहा तो आने वाले समय में स्टेट की क्या स्थिति होगी। ये एक प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ को विकास में पीछे ले जाने वाला है। इस साल यानी 2018-19 के राजस्व घाटे 6 हजार 341 करोड़। जो इस प्रकार के घाटे होते हैं उसका स्टेट के फायनेंस में क्या डायरेक्ट इफेक्ट होता है? सीधा क्या असर पड़ा है। हमारी सरकार ने दो सालों के दौरान, बीते दो साल में राजस्व आधिक्य यदि सरप्लस होता है जो इस साल 1800 करोड़ अधिक कर्ज लेने की सुविधा मिली। यदि दो साल तक राजस्व आधिक्य होता है, तो हमें ये छूट रहती है कि 1800 करोड़ अधिक कर्ज ले सकते हैं। क्योंकि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दो साल राजस्व आधिक्य होने पर जी.एस.डी.पी के 3.5 प्रतिशत वित्तीय घाटा रखा जाता है। ये 0.5 प्रतिशत का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट से आप अलग हो गये। वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 1800 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लेने की क्षमता थी वह अपने आप समाप्त हो गया। आपने इस घाटा को बढ़ा दिया और वित्तीय घाटा को 3 प्रतिशत पर सीमित रखने पर, राजस्व घाटे की स्थिति में तीन प्रतिशत हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत भारत सरकार से मिलने वाली उधार सीमा की सहमति वित्तीय घाटे के बराबर कर्ज लेकर प्राप्त होती है। ये एक बड़े नुकसान की शुरूआत हो रही है। यदि हम अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक नहीं रखते, घाटे को बढ़ाते हैं कर्ज लेते जाते हैं, तो राज्य सरकार की कर्ज लेने की क्षमता अपने आप कम होती है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा एफ.आर.बी.एम. एक्ट की शुरूआत की। हमने वर्ष 2005 में एफ.आर.बी.एम. एक्ट लागू किया। 15 साल के शासनकाल में 13 साल, मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत अलार्मिंग इंडिकेशन है, ये खतरनाक संकेत है कि 13 साल राजस्व आधिक्य रहा। वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत के भीतर रखने में हम सफल रहे। वित्तीय प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के काम को आर.बी.आई. से लेकर कृषिल जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं ने तारीफ की कि हमने 15 सालों में बेहतर काम किया है। ये देश के अंदर सबसे बेहतर तरीके से बजट को हमने कुशल वित्तीय प्रबंधन करके और इसका फायदा हुआ कि हमें कम ब्याज दर पर बाजार का ऋण प्राप्त हुआ। ब्याज भुगतान की बचत हुई।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जिस बात का जिक्र कर रहा था कि पूंजीगत व्यय 13 प्रतिशत। जबकि वर्षों में यदि 15 सालों का देखें तो 17 प्रतिशत से अधिक था। हमने राज्य की अधोसंरचना के विकास के लिए बजट में 17 से 20 प्रतिशत की राशि रखी थी। पूंजीगत व्यय निर्माण कार्य, विकास कामों, अधोसंरचना निर्माण के लिए है। विकसित अधोसंरचना से ही स्टेट की इकॉनामी में ग्रोथ होता है। सड़कें बनेंगी तो बेहतर कनेक्टिविटी होगी, बिजली लगेगी तो विकास की गति बढ़ेगी। स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो इससे बेहतर व्यवस्था बनेगी। इस बार के बजट में जो चिंता का विषय है कि जो कमी आयी है जो विकसित अधोसंरचना के निर्माण में जो राजस्व आय की वृद्धि होनी थी उससे हम बचेंगे। लोक निर्माण में 13.5 प्रतिशत की कमी, सिंचाई में 8 प्रतिशत, ऊर्जा में 7.5 प्रतिशत की कमी, ग्रामीण विकास में 2.5 प्रतिशत, नई राजधानी के विकास के लिए 33 प्रतिशत की कमी, जबकि मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि पहला बजट कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हमने पहला बजट रखा था, उस समय हमने सिंचाई में 46 प्रतिशत की वृद्धि की थी। वर्ष 2004 में वर्ष 2003-04 की तुलना में 32 प्रतिशत बढ़ाया था और हमारे उस समय का वर्ष 2019-20 के बजट को यदि हम तुलना करेंगे तो ये भविष्य के लिए एक खतरा हमको नजर आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तुलना करना चाहता हूँ। कर्ज की स्थिति आज क्या है और कर्ज की स्थिति वर्ष 2003 में क्या थी? जब हम लोगों ने राज्य की बागडोर संभाली थी। राज्य पर 8 हजार, 121 करोड़ का कर्ज था। वर्ष 2003 में जी.एस.डी.पी. 38 हजार करोड़ की थी। यानी 21 प्रतिशत, 31 मार्च 2018 में राज्य पर 36 हजार, 690 करोड़ का कर्ज छोड़ा। जो इस साल के जी.एस.डी.पी. का मात्र 10 प्रतिशत है अर्थात् 15 सालों में केवल 28 हजार, 390 करोड़ रुपये कर्ज लिया गया यानी 15 सालों में सालाना 2 हजार करोड़ से कम कर्ज लिया गया। ये वित्तीय स्थिति इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक साल में नहीं होता। ये 15 साल बेहतर व्यवस्था करके 15 सालों में हमने केवल 28 हजार रुपये कर्ज लिया गया, सिर्फ 2 हजार करोड़ रुपये हर साल के एवरेज से लिया और इसका फायदा ये हुआ कि राज्य में अधोसंरचना निर्माण तेजी के साथ हुआ। राजस्व आय बढ़ी, जी.एस.डी.पी. प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी, नई सरकार आते ही पहले दिन से ही काम क्या शुरू हुआ?कर्ज लेने की शुरूआत अभी तक 6 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया जा चुका है। आर.बी.आई. की वेबसाईट और पेपर से लगता है कि 1 हजार करोड़ रुपये का और कर्ज लिया जा रहा है। इसका मतलब कि 55 दिन में 7 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले चुके हैं। पुनरीक्षित बजट अनुमान के अनुसार 12 हजार, 725 करोड़ रूपये का कर्ज इस साल लेंगे। इस साल 12 हजार, 725 करोड़ रूपये का कर्ज लेंगे और अगले साल फिर 11 हजार करोड़ रूपये का कर्ज अर्थात् सरकार बनने के 15 महीने में ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना कर रहा हूँ। 15 साल बनाम, 15 महीने जो इनके आने वाले हैं। हमने 28 हजार करोड़ का कर्ज लिया ये 15 महीने में ही 24 हजार करोड़

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रुपये का कर्ज हो जाएगा। जो हमने 15 सालों में हमने किया। मैं बहुत बारिक तुलना कर रहा हूँ किसी राज्य के किसी सरकार की उसके वित्तीय प्रबंधन और आने वाले समय में राज्य के ऊपर पड़ने वाले लोड कैसे बढ़ता है? मैं इस आंकड़े से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 15 साल बनाम, 15 महीने, कहां 24 हजार करोड़ रुपये कर्ज की स्थिति आ जाएगी और ये किसके लिए है? यदि ये पूंजीगत व्यय, निर्माण, विकास, सड़कों के लिए होता तो ठीक है कर्ज सिर्फ राजस्व व्यय के लिए है, इसका मतलब है कि उसका स्टेट के किसी इनफ्रास्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, हम इतने बड़े कर्ज के जाल में फंस गये हैं। कर्ज के बोझ में पूरा राज्य दब जायेगा। इस वित्तीय कुप्रबंधन, कुचक्र से निकलने के लिए वर्षों लगते हैं। एक बार जो वित्तीय प्रबंधन में नुकसान होता है, उसकी भरपाई आसानी से नहीं होती है। मुझे एक बात अच्छी लगी कि लोक निर्माण विभाग में 3500 किलोमीटर लंबाई की सड़क की परियोजना की बात कही है। यह ए.डी.बी. की परियोजना है, ये ऋण सहायता पोषित परियोजना है जिसकी हमारी सरकार द्वारा स्वीकृति देकर अग्रिम रूप से दिया जा चुका है, निविदा लग चुकी थी, बजट में ले आयें हैं मैं उसके लिए उनको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। बजट में आय प्रावधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में राजस्व प्राप्तियॉ हैं, कैसी वृद्धि और कमी होती है। राजस्व की राजस्व प्राप्तियॉ 24,200 करोड़ से 31,700 करोड़, केन्द्र की प्राप्तियां 38,668 करोड़ से 47,000 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 9,314 करोड़ से 10 हजार करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2018-19 की तुलना में 2445 करोड़ की कमी है। राज्य की राजस्व प्राप्तियॉ हैं। मैं इसको फिर से बोल रहा हूं राज्य की राजस्व प्राप्तियॉ 2018-19 की तुलना में 2019-20 के लिए 2445 करोड़ की कमाई दर्शाई गई है और केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 9332 करोड़ की बढोत्तरी दिखाई गई है। हमें केन्द्र से जो राशि मिल रही है, उसमें 9332 करोड़ की बढ़ोत्तरी है। इसी प्रकार पूंजीगत प्राप्तियों में 1600 करोड़ की वृद्धि दर्शाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि केन्द्र से प्राप्त होने वाले राशि और कर्ज की कुल वृद्धि 10923 करोड़ है तो यह मान लिया जाये कि धान के बोनस के 5 हजार करोड़, कर्ज माफी के 5 हजार करोड़ और बिजली हाफ के 400 करोड़ का प्रबंधन इसी राशि से किया गया है। केन्द्र सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए कि राशि बढ़ी है, अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ राजस्व प्राप्तियों में 5 हजार करोड़ आबकारी शुल्क से प्राप्त होने वाला है। इनके घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, उससे विपरीत जाने का काम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 किलो चावल की बात बड़े जोर-शोर से उठाई गई। दिल्ली में यू.पी.ए. की सरकार ने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेशनल फुड सिक्योरिटी एक्ट को लाया। इस एक्ट को लाने के बाद प्रति सदस्य 7 किलो चावल देने का दिल्ली की सरकार ने एक्ट में प्रावधान किया और डॉ. रमन ने उसका क्रियान्वयन किया, चूंकि उस एक्ट के अनुसार मुझे लगा कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसका क्रियान्वयन करना चाहिए, इसीलिए हमने 35 किलो से 7 किलो देने का प्रावधान किया। अब आप अपने खाद्य सुरक्षा से हट रहे हैं। केन्द्र सरकार की उस योजना का आप पालन नहीं कर रहे हैं। यदि 6 सदस्य, 8 सदस्य का परिवार है हैं तो क्या आप उसको 35 किलो चावल देंगे ? इसमें बहुत सारी बातें हैं। छत्तीसगढ़ का खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम देश के लिए माडल है और पूरा देश इसका क्रियान्वयन कर रहा है, इसलिए इस माडल को सुरक्षित रखने की जरूरत है।

माननीय अध्यख महोदय, एक विषय है आपने 2500 रुपये में धान खरीदी का निर्णय लिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं बधाई देता हूं कि आपने बड़ा काम किया है। लेकिन अब स्थिति यह हो रही है।

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो खाद्य सुरक्षा कानून 7 किलो प्रति व्यक्ति का लाया था, केवल जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जो योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने 35 किलो चावल प्रति परिवार लाई है, उसके साथ-साथ ये भी कहा है कि परिवार की संख्या जहां अधिक है तो उसको 7 किलो के हिसाब से, अधिक परिवार को जितने भी सदस्य हैं, तो 7 किलो के हिसाब से ही दिया जायेगा, यानि 35 किलो से ऊपर, वह केवल आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूं।

डॉ. रमन सिंह :- मैंने उस पूरे एक्ट को पढ़ा, उसका क्रियान्वयन भी हमने कराया था, उन्होंने व्यक्ति को यूनिट कर दिया। इससे दूसरा फायदा यह है परिवार की डेफिनेशन में दो आदमी, चार आदमी, 6 आदमी, बोगस संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए व्यक्ति को कर दें तो फिर झंझट ही खत्म हो जाती है, चिंता ही खत्म हो जाती है, हर व्यक्ति को 7 किलो मिलेगा, ये हमारा कांसेप्ट था और ये यू.पी.ए. गवर्नमेण्ट ने खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया था । उनके ही प्रावधान का हम क्रियान्वयन करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ, ढ़ाई हजार धान खरीदी कर रहे हैं इसके लिये मैं बधाई दूंगा लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात आने वाली है कि मार्कफेड बड़े घाटे नहीं सह सकती । मार्कफेड को चलाना और इस सीजन में धान खरीदी के लिये बैंक में राशि की व्यवस्था करनी होती है । एफ.सी.आई. नागरिक आपूर्ति निगम से धान के कस्टम मीलिंग उपरांत होने वाली राशि से बैंक के ऋण चुकाकर अगले सीजन के लिये ऋण दिये जाते हैं । मार्कफेड लगातार घाटे में चल रहा है, धान खरीदी की घाटे की भरपाई लगातार सरकार बजट से करेगी, अभी तो केवल और केवल हम उनको ढ़ाई हजार दे रहे हैं लेकिन जो घाटा स्टोरेज के लिये, मीलिंग के लिये और उसके डिस्पोजल के लिये जो होता है वह प्रक्रिया में 6 से 8-9 महीने लगते हैं । इंटरेस्ट जो आरबीआई से हमको मिलता है वह 4 महीने के लिये मिलता है । अब यह लोड बजट के ऊपर और एडिशनल पड़ेगा वह हजार करोड़ होगा, 2 हजार करोड़

अनारक्षित/प्रकाशन के लिए नहीं

होगा, 3 हजार करोड़ होगा । धान खुले में रखा है, सड़ रहा है, स्टेट के बजट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसकी चिंता करनी चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विषय महत्वपूर्ण है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा विभाग ऊर्जा लेना चाहता हूं जो 15 साल और ये 60 दिनों में, मैं किसी की तुलना नहीं करता लेकिन स्टेट अंधेरे में था । 15 साल में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ, विद्युत उत्पादन 3500 मेगावाट से बढ़कर 22 हजार मेगावाट यह छत्तीसगढ़ स्टेट के लिये, देश के लिये एक उदाहरण किसी स्टेट में है जो 15 साल में 3500 से बढ़कर 22 हजार मेगावाट पॉवर सरप्लस स्टेट बना । हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ायी, 442, 21, 30 के सबस्टेशन की संख्या, 39 से बढ़ाकर 96 किया । 442, 21, 30 के केव्ही के पारेषण लाईन 5 हजार से बढ़ाकर 11 हजार सर्किट किलोमीटर किया । 33-11 केव्ही स्टेशन गांव-गांव में जो लगे हैं, यह 35 हजार से बढ़कर 1 लाख 56 हजार बढ़ाने का काम किया । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जनरेशन बनाना, ट्रांसमिशन बनाना और डिसिट्रब्यूशन की लाईन नेटवर्क बनाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा पैसा मांगता है, बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट मांगता है और आखिरी गांव, 20 हजार गांव तक इस कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम बस्तर में 10 दिन अंधेरा हो गया, नक्सलियों ने टॉवर जला दिया, उसी दिन मैंने तय किया कि बस्तर में सिंगल लाईन नहीं लगेगा बस्तर में 132 केव्ही का एक लाईन लगवाया, 220 का दूसरा लगाया और 440 का तीसरा लगाया । पहली बार हुआ है कि 3 अलग-अलग कनेक्शन से बस्तर जुड़ गया है और बस्तर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता । वहां के विधायक जानते हैं कि 7 दिन तक बस्तर ने मोमबत्ती में जीवन जिया था । यह छत्तीसगढ़ की ताकत है जिसको हमने इस सेक्टर में मजबूती से काम किया । जब सरकार बनी, हमारी सरकार में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण में 14 हजार 846 मजरा-टोलों में विद्युत था, 14 हजार से बढ़कर 36 हजार 734 किया । घरों के विद्युत कनेक्शन 27 लाख से बढ़कर 47 लाख हुआ । एकलबत्ती 7 लाख 18 हजार से बढ़कर 19 लाख हुआ । ऊजीकृत पंप सिर्फ और सिर्फ 96 हजार थे उस 96 हजार से बढ़कर 4 लाख 18 हजार पंप कनेक्शन और हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ है जहां अनुसूचित जाति-जनजाति यानी आधी आबादी के पंप कनेक्शन का पैसा ही नहीं लगता, उनको बिजली का बिल ही नहीं जाता, फ्री कनेक्शन देने वाला स्टेट छत्तीसगढ़ है । सौभाग्य योजना में 7 लाख 7 हजार घरों में कनेक्शन दिये गये, इस प्रदेश के केवल दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में 20 हजार घरों में ही कनेक्शन नहीं हैं । अभी बिजली हाफ करके बहुत नारे लगाये, किसानों को डॉयरेक्ट, क्या सब्सिडी दी जा रही है ? कैसे हमने किसानों को उनके पैरों में खड़ा करने के लिये काम किया ? न केवल हमने किसानों के लिये 5 हॉर्स पॉवर के कृषि पंप में 2975 करोड़ की सब्सिडी, पंप कनेक्शन 5 हॉर्स पॉवर और 3 हॉर्स पॉवर के लिये दिया है । एकलबत्ती कनेक्शन के लिये 363 करोड़ की सब्सिडी, सौलर पंप के लिये 636 करोड़ की सब्सिडी, सौलर ऊर्जा योजनाओं के लिये 21 करोड़ की

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

सब्सिडी, 4 हजार करोड़ किसानों को मजबूत करने के लिये सब्सिडी के रूप में दिया है । बिजली हाफ करके, भ्रम फैलाकर केवल 400 यूनिट की बात नहीं करते, किसानों की आर्थक स्थिति मजबूत करने के लिये 4000 करोड़ का काम किया । इस प्रकार से पंप और पंप का कनेक्शन और छत्तीसगढ़ को ऊर्जीकृत करने के काम की जो शुरूआत हुई है, हम इस काम को कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, खनिज के बारे में बहुत लम्बा बोलने की जरूरत नहीं है । मैं दो ही विषय कहना चाहूंगा । खनिज का विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि गौण खनिज में रेत आम आदमी से जुड़ा हुआ है । चाहे छोटा किसान हो, चाहे आम आदमी हो या बिल्डर हो । रेत उसके जीवन का हिस्सा होता है । रेत को ऐसा रेग्युलेट करना चाहिए जिससे किसानों को और मकान बनाने वालों को आज जिस दर पर रेत मिल रही है, उससे कम दर पर मिले । सरकार की यही सफलता है । उसमें दूसरी चीज जुड़ी है कि पंचायती राज के सशक्तिकरण त्रिस्तरीय पंचायती राज का सपना राजीव गांधी जी ने देखा था । पंचायतों के पास अधिकार रहता है, उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है । यदि उसको बिचौलियों के हाथ में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा ? हमने कई राज्यों की हालत देखी है । जहां ऑकशन होता है, जहां ठेकेदार आता है, जहां गुंडागर्दी होती है । वहां पर इसके रेट पर 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार प्रति ट्रक बढ़ जाता है । क्योंकि ऑक्शन में जो मैक्जिमम बोली लगाएगा उसको रेत मिलेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब यह तो आपके समय चल रहा था । अभी तो सब बंद है ।

डॉ. रमन सिंह :- यदि उस ऑक्शन को हम पंचायतों को जो अधिकार दिया गया था यदि हम उसको सुरक्षित रखें और पंचायतों के माध्यम से रेग्युलेट कराएं तो कोई दिककत नहीं है । हां, इंटरस्टेट बॉर्डर में, जहां से रेत बाहर जा रही है, वहां रायल्टी 10 गुना बढ़ा लें । यदि हमें और ज्यादा राजस्व लेना है तो वह रॉयल्टी उनसे लेना है तो जो रेत उत्तरप्रदेश, बिहार आदि जगहों पर जा रही है, उनकी रायल्टी आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ाएं, राज्य में किसी को आपत्ति नही होगी, यहां के लोगों को आपत्ति नहीं होगी । ऐसे इंटरस्टेट बॉडर में बड़ी-बड़ी नदियों का किनारा है वहां पर कर सकते हैं, उसको करना चाहिए । मगर यदि ऑक्शन में सीधे ठेकेदारों के हाथों में चला जाएगा तो आप देखेंगे कि रेट में जा वृद्धि अभी 30 प्रतिशत दिख रही है वह शत-प्रतिशत और दुगुना, तिगुना हो जाएगा ।

श्री गुलाब कमरो :- जनकपुर में बहुत रेत खनन हो रहा था ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । छत्तीसगढ़ की माइनिंग पॉलिसी का आधार क्या था ? एमएमडीआर एक्ट, इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ, वह चाहे कोयले का हो, आयरन ओर का हो, हमने स्पष्ट और साफ नीति बनाई । उस नीति में सीधा सीधा जिक्र किया कि वेल्यु एडीशन विदिन स्टेट । जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो यहां इंडस्ट्री लगाएगा उसको हमारी प्रायरिटी रहेगी । पहले आओ, पहले पाओ की नीति नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिए यदि छत्तीसगढ़ में ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने जो डीएमएफ बनाया था । उसमें जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव ही सम्मिलित नहीं किया जाता था । केवल कलेक्टर लोग बांटते थे साहब ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसका बेनेफिट और फायदा क्या मिला ? वेल्यु एडीशन विदिन स्टेट । बस्तर के सुदूर अंचल में जिस स्टील प्लांट को आने में 100 साल लग गए । नगरनार का स्टील प्लांट बस्तर में आया, बस्तर का सपना था स्टील प्लांट, नगरनार का स्टील प्लांट तब आया, जब हमने कहा कि यहां के आयरन ओर को जापान, चाइना, कोरिया कब तक भेजते रहोगे ? यहां प्लांट डालो । एनएमडीसी ने पहली बार वहां प्लांट डाला और 3 मिलियन टन का स्टील प्लांट बनकर तैयार हो गया है । बस्तर में 100 साल बाद स्टील प्लांट आया है । अध्यक्ष महोदय, यह बस्तर की उपलब्धि नहीं है, छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है । यह माइनिंग पॉलिसी का प्रेशर था । उस समय इस योजना का हमने क्रियान्वयन किया । आज एक नया भिलाई जैसा शहर वहां तैयार हो रहा है । वहां पर लोग आएंगे और उस क्षेत्र के विकास के साथ जुड़ेंगे । इस प्रकार की पॉलिसी रहे, जिसमें निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिले और बेहतर फायदा मिले ।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग । किसी सरकार को चलाने के लिए उसके दो भाग होते हैं । पहला यह कि उसका गवर्नेंस कैसा है और दूसरा उसमें क्या राजनीति चल रही है । पिछले 60 दिनों में आपने प्रदेश की गवर्नेंस को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया । हमने पहला सुना था कि यूपी और बिहार में कलेक्टर और एसपी का कार्यकाल तीन महीने होता है, चार महीने होता है, 6 महीना होता ओर 4-6 महीने में कलेक्टर, एसपी बदल जाते हैं । हमने ऐसा सुना ही था लेकिन जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में स्थानान्तरण हो रहे हैं, यहां की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है । कुछ उदाहरण हैं, एसपी जांजगीर, एसपी नारायणपुर, एसपी रायपुर । ये आए कब और कब चले गए, यह किसी को मालूम ही नहीं हुआ । जब एसपी रायपुर की पोस्टिंग यहां हुई तो प्रेस में बड़े शानदार ढंग से आया कि पहली बार राजधानी में महिला एसपी को पदस्थ किया गया है । महिला एसपी को पदस्थ करके बड़ी वाहवाही लूटी गई और 60 दिन के अंदर ही पता चला कि वह महिला एसपी इतनी सक्षम है कि 60 दिन के अंदर ही उसको रायपुर से हटा । पता चला कि वह महिला एस.पी. इतनी सक्षम है कि 60 दिन के अंदर ही उसे रायपुर से हटा दिया गया। यह भरोसा इतनी जल्दी टूटने का क्या कारण है? मैंने दूसरा देखा। इसी प्रकार चिप्स के 3 सी.ई.ओ. 60 दिन में बदल गये। इतनी रफ्तार क्या है कि 60 दिन में ही सब कुछ बदल देंगे। रात को 12-01 बजे आर्डर निकलते हैं। अधिकारी सबेरे कहीं रहता है, दोपहर कहीं रहता है और डिनर कहीं करता है। प्रशासन में इस प्रकार की स्थिति बनी है। इस खराब स्थिति का प्रशासन में अच्छा इफेक्ट नहीं जाता। एक युवा आई.पी.एस. अधिकारी को एस.आई.टी. का प्रमुख बनाया गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, आपने नायक फिल्म तो देखी होगी। उसी स्टाइल में चल रहा है।

डॉ. रमन सिंह :- मै अभी फिल्म में भी आ रहा हूं। चिंता मत करिए। एक आई.पी.एस. को एस.आई.टी. का प्रमुख बना दिया। उसने किसी दबाव में कोई कार्रवाई करने से इंकार दिया। गलत आफ.आई.आर. नहीं किया। उसको तत्काल एस.पी. से हटा दिया गया, एस.आई.टी. से हटा दिया गया। इस प्रकार की कार्यवाही जन चर्चा में है। लोगों में चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था से प्रदेश में प्रशासनिक असफलता कैसे है?

श्री अमरजीत भगत :- महिला एस.पी. के बारे में बोल-बोलकर आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- मैं कुछ बारीक-बारीक बिंदुओं को ही टच करूंगा। बहुत डिटेल में नहीं जाउंगा। कुछ इशारा करूंगा। सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं सुधारेंगे तो यह प्रशासनिक असफलता चलता है। पर्यावरण मंडल के सदस्य सचिव। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में संविधान के बनाये कानून के अनुसार इसका आदेश कौन निकालेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश निकलता है जबकि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में पर्यावरण विभाग द्वारा निकाला जाना चाहिए। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कायदे-कानून से करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वह भी ध्यान में नहीं रखते और इतनी हड़बड़ी में कर रहे हैं कि भारसाधक मंत्री को पता ही नहीं। भारसाधक मंत्री के अनुमोदन से होना चाहिए था। ये कमियां हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पर्यावरण मंडल का अध्यक्ष कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं फिर से दोहराउं- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पर्यावरण मंडल का अध्यक्ष कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता लेकिन आपने पर्यावरण मंडल का अध्यक्ष विभागीय मंत्री को बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और उसमें एन.जी.टी. ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है। एन.जी.टी. ने guildeline issue किया है appointment of Chair person and Member of Secretariate of State Pollution Control Board उसने कहा है कि क्या-क्या क्वालीफिकेशन होना चाहिए। उसमें क्या-क्या एकेडेमिक क्वालीफिकेशन चाहिए। फिल्ड ऑफ एनवायनमेंटल में उसकी क्वालीफिकेशन दी है कि सिविल और केमिकल में होना चाहिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। पोस्ट गेज्युएट इनवायरमेंट इंजीनियरिंग में दो साल का कोर्स होना चाहिए। एम.एस.सी. एनवायरमेंटल साइंस में और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में इसके लिए जो रिकोग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसे क्वालीफिकेशन या क्वालीफाइड होना चाहिए। यह स्पष्ट कहा है। और दूसरी बात और जोड़ा है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कौन-कौन नहीं रह सकते। इसमें लिखा है कि person should not be appointed as a Chair Person of State Board by virtue of their designation कौन चीफ सेक्रेटरी, आई.एफ.एस. अफसर, ऑफिसर इन एनी सर्विसेस

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

एनवायरमेंटल Secretariate, पॉलिटिशियन, एम.एल.ए., लिटरेरी परसन ये नहीं रह सकते। हम पॉलिटिशियन को ला रहे हैं। बिना क्वालीफिकेशन के ला रहे हैं। एन.जी.टी. की गाइडलाइन की अवहेलना करके ला रहे हैं। कोई कायदा कानून इस राज्य में चलेगा कि मेरी मर्जी चलेगा। इस प्रकार की बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह अवसर है कि हम सावधान रहें कि हमारी गवर्नेंस का मामला पूरा देश देखता है और गवर्नेंस बेहतर हो, इसके लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र में सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए होती है। यह बड़ा प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति इसे जानता है लेकिन हमने आपके 60 देखे। आपकी सरकार एस.आई.टी. के द्वारा और एस.आई.टी. के लिए है। यह स्थिति है। एस.आई.टी. क्यों बने? एस0आई0टी0 के द्वारा, यदि ऐसे ही एस0आई0टी0 बनाते रहेंगे तो एस0आई0टी0 कार्य कर रही है या नहीं, उसके लिए भी एस0आई0टी0 बनाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक मंत्री के थाईलैण्ड यात्रा के सम्बन्ध में भी एस0आई0टी0 बनाई जा रही है। इतने एस0आई0टी0 ? अध्यक्ष महोदय, यह अजीब बात है। जांच जो होनी है, वह जो जाये, होनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप डेटा ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे कोई मुख्यमंत्री पढ़ रहा हो। आपका डेटा थोड़ी न है। अब सरकार बदल गया है।

डॉ0 रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक असफलता कैसी होती है, उसके बारे में सिर्फ इशारा करूंगा, बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं है। 60 दिन में कितना बोलेंगे। मैं प्रशासनिक असफलता की ओर इशारा कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर इशारा करूंगा। प्रशासनिक असफलता क्या है, उस पर दिखाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस महानिदेशक, स्थाई नियुक्ति दो महीने में नहीं हो पाया है। क्या स्थिति है ? दो महीने निकल गए। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी राज्य के डी0जी0पी0 नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को यू0पी0एस0सी0 में 3 वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल भेजना पड़ता है। यू0पी0एस0सी0 द्वारा वरिष्ठता तय कर राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार के आग्रह पर यू0पी0एस0सी0 द्वारा डी0पी0सी0 की तारीख तय की जाती है। लेकिन पहली बार किसी कारणवश मुख्य सचिव नहीं जा सके। दोबारा यू0पी0एस0सी0 द्वारा तारीख तय की गई, लेकिन इस बार भी मुख्य सचिव डी0पी0सी0 में नहीं जा पाये। यह क्या सामान्य घटना है या कोई सोची-समझी रणनीति है ? आज प्रदेश में दो-दो डी0जी0पी0 काम कर रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए एक पुलिस अधीक्षक एक डी0जी0पी0 को रिपोर्ट करेगा, बाकी जिलों के दूसरे पुलिस अधीक्षक दूसरे डी0जी0पी0 को रिपोर्ट करेंगे। नक्सल आपरेशन में जो एक डी0जी0पी0 है, वर्तमान डी0जी0पी0 से 3 साल वरिष्ठ है। अध्यक्ष महोदय, वह किसे रिपोर्ट करेगा ? पुलिस फोर्स को दो हिस्सों में बांटने का जो

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लक्षण दिख रहा है, काम दिख रहा है, वह उचित नहीं है। पुलिस का मनोबल, डी0जी0 उसका मुखिया होता है। लाखों पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी काम करते हैं। यदि इस प्रकार खिलवाड़ होता है, तो उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी प्रशासनिक असफलता देखिये। डी0जी0पी0 को हटाने की प्रक्रिया, क्या किसी को अपमानित करके हटा दिया जायेगा ? डी0जी0पी0 को हटाने की प्रक्रिया में स्पष्ट गाइडलाईन तय है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि डी0जी0पी0 को कब, कैसे हटाया जा सकता है और क्या-क्या कंडीशन होंगे। उसमें चार कारण बताये हैं कि डी0जी0पी0 को कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके खिलाफ disciplinary action हो, conviction हो, corruption charges हो और सक्षम न हो। ये चारो नहीं होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। यह किसी स्टेट के प्रशासनिक निर्णय के ऊपर है। इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है। The removal of D.G.P. Shri A.N.Uppadhaya is policitacly motivated. इसमें सीधा-सीधा 3.7.2018 को Prakash Singh Vs. Union of Government में जो फैसला दिया है। उन्होंने कहा revangfull activity है और policitacly motivated है। अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे कमेन्टस होते रहे, यदि ऐसी घटनाओं की चर्चा होती रहे, यह ठीक नहीं है। इसलिए पूरे देश में हमारे प्रशासनिक मजाक न उड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम निर्णय लें। हम काम करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर कम से कम, नियम, कायदा-कानून के अनुसार होना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए कि आने वाले समय में उदाहरण रहे। हमको इस प्रकार की प्रक्रिया करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और उदाहरण है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त एक आई0ए0एस0 अधिकारी के विरूद्ध चार्जशीट दायर की गई है। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने लंबा-चौड़ा चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा। मुझे भी कापी दी। इन्फोर्स डायरेक्टोरेट से जांच हो, इसको तुरन्त गिरफ्तार करो, उन्होंने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा और ई0डी0 को भी लिखा। वह अधिकारी, जिसे भ्रष्टाचार में लिप्त होना कहते थे, मगर दिसम्बर, 2018 को गजनी फिल्म के हीरो की तरह याददाश्त चली जाती है। याददाश्त कैसे जाता है ? अध्यक्ष महोदय, जो उस घटना में लिप्त था, जिसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरोटोरेट में कार्रवाई की बात थी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। अध्यक्ष महोदय, उसके आवेदन पर एस0आई0टी0 का गठन होता है। उस अधिकारी के पास सारे प्रशासनिक निर्णय के लिये जाते हैं। डी0जी0 बगल में बैठा है, जिसका जमानत नहीं हुआ है, जो आज प्रशासनिक निर्णय में सहभागी कर रहा है। इस प्रकार का कोई अधिकारी जिसके खिलाफ जमानत का केस चालू नहीं हुआ है । वह भ्रष्टाचार में लिप्त चार्जशीट दायर है ।

असंशोधित/अप्रमाणन के लिए नहीं

समय :

2:00 बजे

श्री अमरजीत भगत :- वह तो आपका बहुत विश्वास पात्र अधिकारी था, नजदीकी था, उसमें डरने की क्या बात है ?

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए कोई पैसा तो नहीं रखा गया है, मगर छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर उद्योग से बड़ा कोई उद्योग नहीं है। रात को 12 बजे, 1 बजे लिस्ट निकल रही है । कौन अधिकारी कल कहां रहेगा, उसको खुद को पता नहीं है । एक और घटना बस्तर के एक आईपीएस अधिकारी जिसकी नियुक्ति हुई ।

श्री बृहस्पत सिह :- अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकार ट्रांसफर में जैसे निर्धारित रेट था, वैसा तो नहीं है ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एनआईए के ऊपर आपने एक एसआईटी बनायी है। ठीक है, आप बना सकते हो । मगर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एनआईए के ऊपर एसआईटी बनाईए, मगर आपकी सरकार में जो व्यक्ति मंत्री बनकर बैठा है, उससे बड़ा चश्मदीद गवाह और कौन मिलेगा । पूरी घटना का सबसे बड़ा साक्ष्य है, उससे बात करके क्यों नहीं आगे की कार्यवाही बढ़ती ? एनआईए को कुछ डाक्यूमेंट देना है तो एनआईए को क्यों प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्या एसआईटी बना देना किसी समस्या का हल है ? ईमानदारी से उसका निष्कर्ष और जड़ जाना है तो उसको बिठाकर बात करना चाहिए, जो आज सम्माननीय पद में बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बस्तर के एक आईपीएस अधिकारी, जिसकी नियुक्ति नक्सल आपरेशन में आई.जी. के रूप में की गई थी । आपने उस अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें कीं, आदिवासी महिला से बलात्कार का आरोप, राष्ट्रीय मीडिया ने अधिकारी के खिलाफ हल्ला किया, शिकायत की आधार पर हमने उसको हटा दिया । वही अधिकारी अब ईओडब्ल्यू का प्रमुख बना दिया जाता है । कैसे, कैसे लोग कहां-कहां बिठाये जा रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- सब आपके पुराने लोग हैं साहब ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय से सेवारत् कार्य किये गए अधिकारी से शिकायत प्राप्त होती है । प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत पत्र मिलती है कि उसकी पदस्थापना बिना विजिलेंस के की गई । मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके विजिलेंस क्लीयरेंस संबंधी जांच अनेक संस्थाओं द्वारा किया जा चुका है, लेकिन आपने उस अधिकारी के विरूद्ध जांच के लिए एसआईटी बना दिया, अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सलाहकार की नियुक्ति करते समय जो आपके साथ सीबीआई के प्रकरण में सह आरोपी है, उसका विजिलेंस क्लीयरेंस लिया गया है

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

या नहीं लिया गया है, ये इसलिए नहीं लिया गया है कि आपके साथ सह आरोपी है, उसे विजिलेंस क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है क्या ? क्योंकि दोनों की नियुक्ति संविदा हुई है, दोनों की नियुक्ति एक ही शर्त में संविदा हुई है।

श्री अमरजीत भगत :- वह तो झूठा केश बनाया गया है, वह मनगढंत राजनीति से प्रेरित था ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में नीति और नीयत दोनों संदेह के दायरे में है । व्यक्ति का सम्मान और पद की मर्यादा दोनों खतरे में है, लोक लुभावन घोषणाओं से पार्टी को मिला बहुमत व्यक्ति तानाशाही में परिवर्तित हो रहा है, मंत्रियों की बेबसी और उनके बयानों से साफ झलकता है कि हालात खराब हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने फैसले को कैलेण्डर की तरह बदलते हैं, प्रशासनिक ढांचा को लकवा मार गया है । इसलिए मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूं कि निर्माण कार्य के लिए, विकास काम के लिए स्टेट को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन और हैल्थ के लिए चाहे आयुष्मान भारत हो या दूसरी योजना हो, उसके लिए पर्याप्त राशि रखते तो हम खुश होकर इसको आगे बढ़ाने का काम करते, मगर कहीं भी इस बजट में प्रदेश को आगे ले जाने का कोई काम नहीं है, पूरी तरीके से विकास में पीछे ले जाने की साजिश है इसलिए मैं इन अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने 45 मिनट तक अपना भाषण दिया है । मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बाकी लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना भाषण करें ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव):- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जावान लोकप्रिय किसान पुत्र ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या-1, 2, 6, 7, 12, 15, 32, 71 और 65 के संबंध में इस सदन से अनुदान की मांग की गई है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 15 सालों बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई है । हमारी सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की नई परिकल्पना के साथ, नई उम्मीदों, नई आशाओं के साथ छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है, उसके अनुसार ही बजट में प्रावधान है । उसी के अनुसार हर विभाग में प्रावधान है । राज्य एवं राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक प्रगति के लिए ऊर्जा पर्याप्त होना अति आवश्यक है । ऊर्जा के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सम्पन्न राज्य है, सरप्लस राज्य है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2000 में गठन हुआ था । उस समय 1360 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था । 18 वर्षों के बाद 3424.60 मेगावाट उत्पादन हो गयी है । माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट सेक्टर की उपक्षमता 3280 मेगावाट और जल विद्युत क्षमता का 138.70 मेगावाट है । माननीय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने किसानों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर किसानों को लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, कार्ययोजना बनाई है । 5 अश्व शक्ति तक कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, उनको लाभ देने के लिए इस बजट में 2164.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसमें लगभग 5 लाख 50 हजार 889 हितग्राही लाभ होंगे । कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अनुदान मांग है, उर्जा विभाग का अनुदान मांग है । इसमें पांच लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है । माननीय अध्यक्ष जी, एकल बत्ती कनेक्शन योजना, उपविद्युत प्रदाय योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जो हितग्राही है, 19 लाख 58 हजार 630 हितग्राही उनके लिए 585 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है । कहीं न कहीं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, एकल बत्ती कनेक्शन लिये हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल ग्रिड मिशन योजना अन्तर्गत स्मार्ट मीटिरिंग की व्यवस्था करने के के लिए जो शहर के एटीएनसी लॉस जो 15 प्रतिशत से कम लाने के लिए राज्य के चार बड़े शहरों में इसका प्रयोग किया जा रहा है । इसके लिए बजट में 32.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

समय :
2:06 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये)

माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, शहरी क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने के लिए इस बजट में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण, अविद्युतीकृत मजरा-टोला का विद्युतीकरण करने के लिए इस बजट में 30 करोड़ 74 लाख का प्रावधान किया है, जिसमें 1500 से अधिक मजरा-टोला का लाभ इस बजट में मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सौर सुजला योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों को सहायक अनुदान । माननीय अध्यक्ष जी, शुद्ध पानी की व्यवस्था गांवों में कैसी हो, उसके लिए शासन ने और मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ का प्रावधान किया है । इसमें 240 नग सोलर पम्प स्थापित होंगे । उसके माध्यम से गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी । माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई पम्प हेतु सोलर कृषि पम्पों की स्थापना, इसके लिए 467.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति जी, 20 हजार से अधिक कृषि पंपों का सोलर पंपों का उर्जीकरण होगा । पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में भी बिजली की सुविधा कैसे पहुंचे, उसके लिए सरकार ने विशेष कार्ययोजना बनाकर, विशेष प्रावधान किया है । माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कहा, वह पूरा किया । माननीय सभापति जी, बिजली बिल हाफ, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कह रहे

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

थे, एक भी जनघोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ है । हमारी 60 दिन की सरकार, दो महीने की सरकार ने, सरकार में आते ही पहला, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, बिजली बिल हाफ, 400 यूनिट तक जो भी उपभोक्ता है, माननीय सभापति जी, 400 करोड़ रूपये इस बजट में प्रावधान किया है । कहीं न कहीं ऐतिहासिक निर्णय सरकार में आते ही 60 दिनों के अंदर निर्णय लिया है । यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है । माननीय अध्यक्ष जी, हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, हम पिछली सरकार की बात कर रहे थे, पिछली सरकार 15 सालों से सरकार में रही है । इन्होंने कई एम.ओ.यू.किये । 91 पॉवर कंपनियों ने बिजली उत्पादन का एम.ओ.यू. किया था । 68,460 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था । वर्ष 2012 में क्रेडा ने 101 एम.ओ.यू. किया था । नवम्बर 2012 में तत्कालीन सरकार ने ग्लोबल इन्वर्सन मीट के दौरान अरबों रूपये के एम.ओ.यू. किये थे, हजारों की संख्या में रोजगार देने का सब्जबाग दिखाया था । मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने 15 साल राज करने के बाद भी आपने जितने एम.ओ.यू. किये थे वह आज कार्यरूप में परिणित हुए क्या? ततकालीन मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2004-05 में पहला भाषण दिया था उसमें कहा था कि हम वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचायेंगे। बिजली नहीं पहुंची और वे 2008 में फिर से सरकार में आये और उन्होंने वर्ष 2013 तक प्रत्येक गांव में बिजली लगाने की बात की। तब भी नहीं लगा। वह वर्ष 2013 में फिर से सरकार में आये और उन्होंने 2017 तक प्रत्येक गांव में बिजली लगाने की बात की। सभापति महोदय, बस्तर के आधा से अधिक गांव में आज तक बिजली नहीं लगी है। जबकि केन्द्र में हमारी तत्कालीन सरकार ने 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 920 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ सरकार को राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के तहत दिये थे मगर 15 वर्षों तक इन्होंने बिजली नहीं लगाई। जब वर्ष 2014 में केन्द्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई तो उसी योजना को बदलकर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना बनाया। पैसा हमने दिया था और ये कहते थे कि हमारी योजनाओं को आप बदलते थे। आप केंद्र में सरकार में आते हैं और पैसा हमने दिया था और उस पैसे की योजना का नाम आप दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखते हैं। आज 15 वर्ष तक सरकार में रहने के बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। आज लगातार जो बातें कही जा रही हैं, मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि वह याद दिला रहे थे कि आपने जन घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं कि अनियमित कर्मचारी, शिक्षाकर्मी को कुछ नहीं दिया और किसान को बोनस नहीं दिया। आपने 15 साल में जो-जो घोषणा की थी, पूरा नहीं किया। मैं आपको वर्ष 2003 के घोषणा पत्र की याद दिलाना चाहता हूं- प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक को नौकरी, 12वीं पास पढ़े-लिखे को बेरोजगारी भत्ता, आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे। आपने कितने लोगों को दिया? आपने 2100 रूपये समर्थन मूल्य से लेकर कई वायदा किये थे मगर उसे आपने 15 साल में पूरा नहीं किया। इसीलिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको 15 सीटों में समेट दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बार-बार एफ.आर.बी.एम. एक्ट की बात करते हैं। मुझे जो जानकारी है एफ.आर.बी.एम. एक्ट में चौदहवें वित्त आयोग का जो निर्देश है कि जी.डी.पी. से जिसका 3 प्रतिशत से कम है उन्हीं को अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन दिया जा सकता है। मगर हमारी सरकार ने एफ.आर.बी.एम. एक्ट का भी पालन किया है और 2.99 प्रतिशत तक अपना रखा है। आप हमेशा एफ.आर.बी.एम. (फाईनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट) एक्ट, वित्तीय मैनेजमेंट की बात कहते हैं कि पिछले 15 सालों में वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा था। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको एफ.आर.बी.एम. (फाईनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट) की रिस्पांसिबिलिटी थी, छत्तीसगढ़ की जनता के खजाने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी तो आपने ऐसी योजनाएं बनाई जो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखीं। आपने वर्ष 2003-04 के बाद योजनाएं बनाई थीं-लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। आपने इसमें 400-500 करोड़ रूपये खर्च कर दिया। किसके बाड़ी में डीजल मिल रहा है? आप करोड़ों रूपये लोन लेकर मोबाईल बांट रहे हैं। आपने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। आज कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि 15 साल राज करने के बाद आप 15 सीटों पर आकर सिमट गए।

माननीय सभापति महोदय, जनसंपर्क की बात है। लोकतंत्र में सूचना की शक्ति ही जनता और उसके द्वारा निर्वाचित लोक कल्याणकारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है। शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनमें जनता की व्यापक और सक्रिय भागीदारी होती है। हम देखते हैं कि जनसंपर्क विभाग में जो लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, जनसंपर्क विभाग का काम संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने में मदद करना और ऐसे वातावरण बनाये रखना है जिसमें मीडिया को भी अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करने में मदद मिले। हमने 15 साल इनके शासनकाल में देखा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने एक तरह से प्रेस की आजादी छीन ली थी। ऊपर पत्रकार दीर्घा में बैठे हमारे पत्रकार साथियों में से शायद कोई ऐसा होगा जिनके संस्थान एवं निजी संपर्कों में कोई भी पत्रकार पिछली सरकार से प्रताड़ित न हुआ हो। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि डॉ. रमनसिंह जी जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी थे वे ये बताते की सरकारी दखल से कितने पत्रकारों की नौकरी गई और कितने पत्रकारों का ट्रांसफर राज्य के बाहर कराया गया कि वे मजबूर होकर नौकरी छोड़ दें। मैं बहुत ही खुशी के साथ यह बताना चाहता हूं कि आज हमारी माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार में ने तो फोन ट्रैकिंग का डर है, न पत्रकारों का सरकार में दमन का डर है। आज हमोर मिडिया के साथी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें खुली हवा से सांस ले पा रहे हैं और आजादी से अपना प्रोफेसनल काम कर रहे हैं। राज्य में काम कर रहे दर्जनों चैनलों को अब इस बात का कोई भय नहीं है कि कोई चैनल उनके काम की निगरानी कर रहा है, वीडियो बना रहा है, या किसको किसको रिपोर्ट कर रहा है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की पहल हमारी सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार ने की है। उसके कारण पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में वास्तव में संविधान की भावना के मुताबिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला राज्य बन जायेगा। जन संपर्क विभाग, माननीय सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूं अभी तो शुरूआत हो रही है।

सभापति महोदय :- प्राय: प्राय: आपने सभी बातें कह दी है। आप संक्षेप में कर दीजिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, मैं आधे घंटे में अपनी बात करूंगा। आज भाजपा सरकार के दौरान जन संपर्क विभाग की छवि ऐसे घोटाले करने वाले विभाग के रूप में बन गयी है जो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा अजूबा, हजारों, करोड़ों बजट वाले विभाग ने नहीं किया जो जन संपर्क विभाग वालों ने कर दिखाया। विभाग का जो बजट सवा सौ से डेढ़ सौ करोड़ हुआ करता था, उसे चुनावी साल में बढ़ाकर दो सौ साठ करोड़ कर दिया। इससे भी नहीं भरा तो चार सौ करोड़ रूपये खर्च कर दिये गये। खर्चा भी ऐसा किया जैसे राजा महाराजा का राज हो, मौखिक कार्यादेश, फाईल में कुछ नहीं, एक पन्ने में करोड़ों की स्वीकृति और आचार संहिता लगने के बाद भी 28 करोड़ का लगभग, स्वीकृति दिला दिये। ये जन संपर्क विभाग की कार्यप्रणाली है वह भी हमारे तात्कालीन मुख्यमंत्री जी की है।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, श्री मोहन मरकाम जी, लिख के कौन दिया है, उसको थोड़ा बता देते।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, इस तरह से सरकार चल रही है थी कि किसी दिमाग से ऐसे काम हो रहे थे। अगर पिछली सरकार के मुखिया जो खुद जन सपंर्क विभाग के मुखिया भी थे वे सदन मे बोल देते तो कुछ भी सही बातें रहती तो सामने आती। आज हम देखें लगातार जो बातें आ रही है । आज पिछली सरकार की कारनामों के कारण आज उनके अच्छे अच्छे दिग्गज मंत्री धरासाई हुए, उसी का परिणाम है कि आज 15 सीटों में आ के सिमट गये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, 25, 30 बार बोलिये हम 15 सीट पर सिमट गये, हम 15 सीट पर सिमट गये, हम 15 सीट पर सिमट गये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, 60 साल आप 3 साल की याद दिला रहे थे। इसीलिए बार बार याद दिला रहा हूं कि 15 सीट में सिमट गये। इसीलिए मैं बार बार याद दिलाऊंगा। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों के मामले में प्रकृति ने हमको अनमोल उपहार दिया है। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का बहुमूल्य उपहार है। खनिज दोहन में लगी कंपनिया, पट्टेदार अधिक लाभ अर्जित करते हैं परंतु उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 27 प्रतिशत राजस्व

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिये, समृद्ध राज्य बनाने के लिये, ज्यादा से ज्यादा खनिज संसाधनों को दोहन कैस हो, इसके लिये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिये विशेष कार्य योजना बना रही है। कोयल ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत है। प्रदेश में खनिज राजस्व में 48.1 प्रतिशत कोयला का योगदान है। राज्य में कोयले का 56 हजार, 36 मिलियन टन भण्डार है। जो कि राष्ट्र के कोयला भण्डार का 18.1 प्रतिशत है। राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता 21.01 प्रतिशत है। ताप विद्युत, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग में इसकी उपयोगिता हो रही है मगर पिछली सरकार में इनके चहेते चाहे अंडानी हो या अन्य लोगों को हमारे कोयला खदानों को नियम विरूद्ध आंवटन किया गया है। मैं वर्तमान सरकार से चाहूंगा कि उसकी जांच होनी चाहिए जो कल तक केन्द्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार पर कोयले का आरोप लगाती थी। मगर इनकी सरकार आते ही चाहे केन्द्र में हो राज्य सरकार, उनके उद्योगपति मित्रों को कई कोयला खदानें और उनके चहेते लोगों को आवंटन किया है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और उसका फिर से पुनरीक्षण करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, लोह अयस्क के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि प्रदेश में खनिज राजस्व से लोह अयस्क से लगभग 26.28 प्रतिशत योगदान रहता है। कबीरधाम जिले के इकलामा क्षेत्र बलोद जिले से दल्ली राजहरा होते हुए बस्तर की बैलाडीला पहाड़ियों में..। माननीय सभापित महोदय, मैं केवल 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय :- नहीं। 10 मिनट नहीं, आप जरा और संक्षेप करिये। आपके दल के बोलने वाले 19 लोग हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, जी। आज हम देखते हैं कि लगातार महत्वपूर्ण खनिज हीरा, स्वर्ण धातु बस्तर और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आज हम देखते हैं चाहे हीरा का खदान, छत्तीसगढ़ में देवभोग एरिया में पाया जाता है। स्वर्ण धातु बलौदा बाजार सोना खान, राजा देवरी क्षेत्र में पाया जाता है। बलौदा बाजार सोना खान जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी पिछली सरकार, तात्कालीन सरकार ने नहीं छोड़ा, उस क्षेत्र में भी उद्योगपतियों को सोना निकालने की खुली छूट दे रही थी। तो हमारी सरकार ने एक एतिहासिक निर्णय लिया है कि जो हमारे वीर सपूत हैं। उनका जो जन्म स्थान बलौदा बाजार का सोनाखान है, वह क्षेत्र संरक्षित हो, ऐसा हमारी सरकार ने निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, आज गौण खनिज की बात है इमारती पत्थर, रेत, साधारण गिट्टी, बजरी, पत्थर, मुरूम आदि आते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सी.एम.डी.सी., छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेट से निकालने की बात की गई है। क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि खनिज

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माफिया, रेत माफिया, अर्द्ध रूप से खनिजों का दोहन करके, इसकी रायल्टी न देकर, सरकार को चूना लगा रहे हैं इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रेत का खदान सी.एम.डी.सी. करेगी।

माननीय सभापति महोदय, उसके साथ-साथ खनिज निधि में व्यय, खनिज निधि से प्राप्त आरक्षित राशि खनिज खोज अन्वेषण संयुक्त परीक्षण के लिए हमारी सरकार ने 338 करोड़ रुपये का इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में सीधा हस्तांतरण के लिए, 237 करोड़, 50 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा और जिस क्षेत्र में गौण खनिज निकाला जाता है और उसकी अधोसंरचना के विकास में रोड पुल पुलिया से लेकर पानी की उस क्षेत्र में सुविधा हो, इसके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते हैं सामान्य प्रशासन की बात कहना चाहता हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग शासन का मुख्य प्रशासनिक विभाग होता है। प्रशासन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक उपयोगी योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हैं। हमने 15 सालों में पिछली सरकार में देखा है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, 1 नवम्बर 2000 में इसका गठन किया गया था। पिछले 15 सालों में अपराधिक प्रकरण 65 जिसमें 31.12.2018 की स्थिति में आज भी 58 प्रकरण लंबित हैं। प्रारंभिक जांच प्रकरण 159 में 31.12.2018 की स्थिति में 129 प्रकरण लंबित हैं। 73 न्यायालयीन प्रकरण में 59 प्रकरण लंबित है। जनसमस्या निवारण शिविर, पिछली सरकार में वर्ष 2018 तक 58,765 प्रकरण लंबित थे, मगर उसमें आज भी 3 हजार प्रकरण लंबित हैं। माननीय सभापति महोदय, विमानन की बात कहना चाहूंगा। विमानन महत्वपूर्ण विभाग है। पिछली सरकार ने 2006 में शासकीय विमान 23 करोड 88 लाख का खरीदा था और 2007 में इटली की कपंनी से अगस्ता हेलीकॉप्टर 25 करोड़ 96 लाख में खरीदा था। मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर में आया था दो सालों में 78 करोड़ रुपये किराये के हेलाकॉप्टर में खर्च किया। इन्होंने कहीं न कहीं सरकारी खजाने का दुरूपयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी मितव्ययिता की बात करते थे, जीरो टालरेन्स की बात करते थे। पिछले 4 सालों में 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख रुपये का काला धन के रूप में सामने आया है, यह सरकार का बयान था। भ्रष्टाचार के 231 प्रकरणों में आदेश में 331 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए थे। इसमें 3 आई.ए.एस. अधिकारी, 3 राज्य प्रशासनिक अधिकारी, 307 अन्य प्रकारेण हैं। जो जीरो टारलेन्स की बात कर रहे थे, इनके 15 सालों के राज में इनके संरक्षण में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है। आज हम देखते हैं कि जो बातें लगातार आ रही हैं, आज कही न कहीं हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ, मितव्ययिता के साथ आगे काम का रही है। जब 2003 में हमारी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के राजकीय कोष में 600 करोड़ रुपये शेष थे, मगर 15 वर्षों के बाद डॉ. रमन सिंह जी की सरकार जाने के बाद 43,439 हजार करोड़ रुपया राज्य में कर्ज चढ़ा और

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रति व्यक्ति 17,034 रुपये का कर्ज हुआ। एफ.आर.बी.एम. एक्ट की बार-बार बात करते थे, मितव्ययिता की बात कर रहे थे, जो हमेशा कहते थे कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है, मगर वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगातार छत्तीसगढ़ में कर्ज का बोझ बढ़ा और 43 हजार करोड़ का बजट बढ़ा।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, समाप्त करें। आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गये हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, जो अनुदान मांग किया है। एक नई सोच के साथ हमारी सरकार ने अगर पिछली सरकार ने गड़बड़ियां की हैं, चाहे 36 हजार करोड़ का नान घोटाला हो, झीरम घाटी में हमारे 32 नेता शहीद हुए, उसमें एस.आई.टी. गठन की बात हो, अंतागढ़ कांड की देश की ऐसा पहली घटना है, लोकतंत्र को लज्जाजनक करने वाली घटना है। इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को पैसे के दम पर खरीदकर नाम पास लेने के लिए मजबूर किया। अगर वर्तमान सरकार जांच करा रही है तो इसमें बदलापुर की कहां की बात हुई। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आज इतनी हड़बड़ाहट क्यों हैं ? अगर आप गलत नहीं तो आप पाक साफ हो जायेंगे।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। माननीय अजय चन्द्राकर जी, मैंने अनुमति दे दी है, आप शुरू करें। मरकाम जी हो गया, बहुत समय हो गया। अब बिल्कुल नहीं, बैठिये। आप मेहरबानी करके बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने 12-13 साल प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, उनका भाषण सुना।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- भैया, क्या हो गया है ?

सभापति महोदय :- माननीय विधायक जी, ये ठीक नहीं है। अधिकारी दीर्घा से कोई माननीय विधायक चर्चा नहीं कर सकता। ये आप लोग नियम के विपरीत कर रहे हैं। माननीय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो 12-13 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री रहे, उनका भाषण सुन रहा था। आज मैंने अभी एक इकानॉमिस्ट का भाषण सुना। विधायक के साथ-साथ प्रदेश के सबसे अच्छे इकानॉमिस्ट का भाषण सुना। अच्छा लगा। माननीय सभापति महोदय, मैं छोटी-छोटी बात कहूंगा। जैसा आपने कहा है कि जनसंपर्क विभाग । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ऊपर हमारे साथी बैठे हैं, एक शब्द उपयोग होता है शब्द की सत्ता, वह भी किसी एक शब्द की सत्ता के मालिक हैं । हमारे जितने महापुरूष चाहे उन्होंने समाज सुधार के अभियानों का नेतृत्व किया हो, राजनीतिक नवजागरण का काम किया हो अथवा स्वतंत्रता संग्राम के लोकनायक रहे हों,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सबने जनसंवाद के लिये पत्रकारिता को किसी न किसी समय माध्यम बनाया है । हमारा छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जो विरासत है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो छत्तीसगढ़ के लिये करने जा रही है, उनका एक श्रेष्ठ माध्यम था और पत्रकारिता के माध्यम से हम छत्तीसगढ को और मजबूत करके हम छत्तीसगढ़ को आगे ले जा सकते थे।

माननीय सभापति महोदय, बजट में उनकी कटौती हुई । अब तो मैं किसी विभाग की बजट कटौती के बारे में बात ही नहीं करता । अब जो सबसे महतवपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ की छवि क्या बन रही है ? सबसे महत्वपूर्ण यह बात है, मैंने जनसंपर्क से बात इसलिये शुरू की कि छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग अब केवल जो ट्रांसफर, एस.आई.टी. या जांच इसी विषय पर छत्तीसगढ की ब्रांडिंग हो रही है, छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग के लिये कुछ भी विषय नहीं हैं, एक महत्वपूर्ण विभाग जो प्रदेश को देश में स्थापित कर सकता था, उसमें जांच और जांच और जांच । लगतार जांच और उसके बाद ब्रांडिंग का मैंने बताया कि छत्तीसगढ में अच्छी जांच होती है, छत्तीसगढ़ में अच्छी एसआईटी बनती है और अब आगे लिखना चाहिए श्री अमिताभ बच्चन की पिक्चर शहनसाह थी, रात के 12 बजे निकलता है और ऑर्डर सुबह निकल जाता है ऐसा बिल्कुल रॉबिनहुड की तरह छवि है कि 2 बजे रात को मीडिया लिखता है कि ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए तो जो उनके लिये बात कही गयी, किस सरकार, किस व्यक्ति के लिये मैं यह नहीं जानता कि उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी देखरेख उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके लिये जो बात कही गयी । दुर्भाग्य है कि वह बजट में नहीं झलकती । अब जो डॉ. रमन सिंह जी का भाषण हो रहा था कि आपने जो उनके लिये कमिटमेंट किया उससे आप पीछे क्यों हटे ? करना चाहिए, आपको किसने मना किया ? वे ऐसे संस्थान हैं, किसी भी स्वरूप में देश-काल परिस्थितियों को आप याद कर लीजिये । मैं कभी अवसर आयेगा तो मैं उसका उदाहरण दूंगा कि वे राजसत्ता से ही, राजसत्ता का स्वरूप समय-काल में अलग-अलग बदलती रही उसके द्वारा ही पोषित होते रहे लेकिन आज आपने स्वरूप बदल दिया कि उसके खिलाफ छोटी-छोटी एजेंसियों ने छोटे-छोटे काम किये होंगे । किसी के कहने पर आपने जांच की, भुगतान रोक दिया, दूसरे विभाग जो जनसंपर्क को भुगतान कर चुके हैं, आपका चुनाव आयोग भुगतान कर चुका है, आपके और अन्यान्य विभाग हैं जो भुगतान कर चुके हैं लेकिन आप उन छोटे-छोटे लोगों का पेमेंट रोककर रखे हैं । आप जांच करवाईये, गलती खोजिये, यदि एक एसआईटी से गलती नहीं मिल रही है तो दूसरी एसआइटी बनाईये उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन जो प्रक्रिया है उसको आप रखें और उन लोगों के साथ आपने जो वायदे किये हैं उन संस्थान को मजबूत करने के लिये जो वायदे किये हैं उसको पूरा करिये ।

माननीय सभापति महोदय, जनसंपर्क विभाग । जनसंपर्क विभाग बहुत लंबा-चौड़ा विभाग है । कुछ उदाहरण आये हैं लेकिन मैं जनसंपर्क विभाग में कुछ ही बातें बोलूंगा । हम लोग 13 मंत्री थे, 27

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

जिले थे । हम 15 अगस्त, 26 जनवरी में माननीय सांसदों की भी ड्यूटी लगाते थे । संसदीय कार्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आप मत लगाईये । आप बिलासपुर मुख्यालय के विधायक को छोड़ देते हैं, दूसरे मुख्यालय से लाते हैं । आप श्रीमती छाया वर्मा जी यहां की सम्माननीय सांसद हैं, श्री मोतीलाल वोरा जी सम्माननीय सांसद हैं । आप उनका अपमान करते हैं, यदि आप अवसर देना चाहते हैं तो प्रदेश में सांसद भी हैं । छत्तीसगढ़ में पुरस्कार इतने सारे हैं, इतने सारे पुरस्कार हैं कि उसकी पूरी महत्ताखत्म हो चुकी है और पुरस्कार, कब-कौन किसको देगा हर बात में यहां पुरस्कार है, हंसने पर भी पुरस्कार है, रोने पर भी पुरस्कार है, लिखने पर भी पुरस्कार है, आप जिसमें चाहें उसमें पुरस्कार दे सकते हैं । माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं । हमने एक कोशिश की थी लेकिन सहमति के अभाव में नहीं हो पाई । आप छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के पद्म पुरस्कारों की शैली में एक-दो पुरस्कार स्थापित कीजिए । नागरिक क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, इस तरह के । लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा मुक्त हस्त से भारत के किसी भी राज्य में नहीं बांटा जाता और इनके पुरस्कारों की कहीं कोई मान्यता नहीं है । कहीं कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, इस बात को मैंने कहा । मैं इस बात पर नहीं जाता कि किसने किया है । सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, जिस पर काफी लम्बी चौड़ी बात हुई है । विकलांगों के लिए आरक्षण के नियम, इसे सामान्य प्रशासन विभाग देखता है । अनुकंपा भर्ती, सामान्य प्रशासन विभाग देखता है । दुर्भाग्य से, विकलांगों के बारे में पदों की पूर्ति और उसकी सतत् मॉनीटरिंग, अनुकंपा भर्ती समय पर हो, पीड़ित परिवारों को समय पर लाभ मिले । इस पर गंभीरता की जरूरत है । मानव अधिकार संरक्षण 1993, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, सामान्य प्रशासन विभाग ही देखता है । राजनीति क्रियाकलापों को भी सामान्य प्रशासन विभाग देखता है । राजनीतिक क्रियाकलापों से मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि विरोधियों को निपटाने के लिए आप षडयंत्र करें । राजनीतिक क्रियाकलापों से अभिप्राय से मतलब प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है, आपको उसकी अद्यतन जानकारी होनी चाहिए । प्रदेश में धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, विदेशी घुस रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं । आप देखेंगे तो सारे आपके नियमों में मिलेंगे । शायद आप सामान्य प्रशासन विभाग में रहे हैं । अभी जो सबसे ज्यादा एक्टिव है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को और राजनीतिक क्रियाकलाप को मिक्स करके मैंने परसों शून्यकाल में उठाया था । इनकी 60 दिनों की उपलब्धि में पचासों घटनाएं बता दूंगा जब विरोधी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया । मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, अपमानित किया । ऐसे उदाहरण बता दूंगा लेकिन आज उसका समय नहीं है । इस बात का संज्ञान संसदीय कार्यमंत्री जी जरूर लेंगे । इस प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग की एक संस्था जो सबसे एक्टिव है वह है एंटी करप्शन ब्यूरो । अगर पूरे प्रदेश में इनकी 60 दिनों की

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपलब्धि गिनी जाए और यदि मुझे नम्बर देने के लिए कहा जाए तो दो चीजें हैं एक एसआईटी और दूसरा एसीबी । इनकी सबसे ज्यादा सक्रियता रही । अगर पॉलिटिकल स्लोगन लेंगे तो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी इन इक्वल टू सब । बाकी समाज में और कोई भी वर्ग नहीं हैं जिसके बारे में आपने पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट में कहा हो । मैं यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को मानता नहीं, आप सपने देख रहे हैं, वह हो सकता है लेकिन या तो आप उसको लेजिस्लेटिव सपोर्ट दीजिए कि यह कानून बना है, जैसा कि हमने खाद्यान्न सुरक्षा को दिया, हमने लोक सेवा गारंटी को दिया, हमने कौशल उन्नयन को दिया । यह यूनिवर्सल हेल्थ छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार होगा । उसमें लेजिसलेटिव सपोर्ट के बाद उसमें बजटीय प्रावधान दीजिए तब भारत सरकार या किसी अन्य के आयुष्मान भारत योजना की आलोचना कीजिए । आप कहते हैं कि केवल यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आ रही है । पहली बार छत्तीसगढ़ विधान सभा में काल्पनिक चीजों को जनता के सामने वोट पाने के लिए परोसकर देखा जा रहा है ।

सभापति महोदय, बिजली विभाग में दो बातें कहकर सूचना प्रौद्योगिकी पर बात करके खत्म कर दूंगा । बिजली विभाग की दो उपलब्धियां हैं । सभापति महोदय, मैंने अनुदान मांगों पर चर्चा के समय कहा था कि बिजली बिल हाफ का क्या मतलब क्या है ? ये बिजली बिल हाफ का मतलब कभी नहीं बतलाते ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हाफ का मतलब आधा, हाफ का मतलब आधा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आधा का मतलब 400 यूनिट नहीं होता । मेरे घर में जितनी बिजली जलती है उसका हाफ करिये । यदि घरेलू भी करते हैं तो बाकी टैरिफ भूल जाइए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वही करने जा रहे हैं साहब, जो 15 सालों में आपने नहीं किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुंदर । आपकी क्षमता हो जाए, आपकी उधर सुनवाई हो जाए फिर बोलना । अगली बार फिर यह मत बोलना कि हम करने जा रहे हैं । सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि एक चीज बहुत सफाई से छिपा ली जाती है कि कितनी बिजली गुल हो रही है । शाम पांच बजे से आप खेत में चल दीजिए, गांव में चल दीजिए । यदि भरोसा नहीं है तो किसी मंत्री महोदय से कह दें मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में दिखा दूंगा । मेरे क्षेत्र में रबी फसल में, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है वहां प्रतिदिन बिजली कटौती आम बात है । ये इनके 60 दिनों की दो प्रमुख उपलब्धियां हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आप कितने साल से खेत में नहीं गये हैं? चन्द्राकर जी, आप कितने साल से खेत में नहीं गये हैं? कभी खेती किये हैं क्या ? कभी खेत में गये हैं क्या ?

श्री सौरभ सिंह :- कल ही गये थे। कल तो गये थे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री जी। मैंने तीन बार संसदीय कार्य मंत्री जी कहा। 3 टाइम्स।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक विभाग। साहब, मुख्यमंत्री जी का है। एक विभाग में छोटा सा बोल देता हूं। ऊर्जा विभाग में मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी। फिर संसदीय कार्य मंत्री जी उधर चल देते हैं बताइए। छत्तीसगढ़ का पारेषण लॉस कितना है ? छत्तीसगढ़ की वितरण कंपनियां कितने घाटे में है ? यह आप जरूर बताइएगा और सौभाग्य योजना या उदय योजना के क्रियान्वयन में आप कौन से स्थान पर हैं, यह जरूर बताइएगा और यह लगातार 7 दिनों में नीचे गिरा है। सभापति महोदय, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। एक छोटा सा इलेक्ट्रानिक विभाग चिप्स है। मैं एक छोटे से बजट का उल्लेख कर देता हूं। इसकी मद संख्या 7776 है। कौशल उन्नयन एवं प्लेसमेंट हेतु अनुदान। पिछली बार 51722 इतने हजार करोड़ रूपये का बजट था। अभी उसमें 10 हजार रूपये हैं। कौशल उन्नयन एवं कहां है युवा मंत्री जी। कौशल एवं उन्नयन हेतु अनुदान है। उसमें जो आपने बेरोजगार लोगों की संख्या दी है, उसको कितना पैसा मिलेगा .0042 रूपये। माने लगभग 42 पैसे मान लीजिए। कौशल उन्न्यन और प्लेसमेंट के लिए आपने बड़ी राशि की व्यवस्था की है, उसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई स्वीकार करें। आप यू.पी.ए. की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं भी यू.पी.ए. की एक स्कीम की प्रशंसा कर देता हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रोफेशनल की व्यवस्था की। उन्होंने आर.पी.एम. आर.डी.एफ. योजना लागू की। पहले रूरल डेवलपमेंट में। राजा साहब। ओ बाबा साहब। (श्री टी.एस.सिंहदेव की ओर इशारा करते हुए) प्रधानमंत्री जी ने पहले यह योजना लागू की और रूरल डेवलपमेंट में अनप्रोफेसनल दिये गये और उस योजना के आउटपुट से प्रभावित होकर नरेन्द्र मोदी जी ने भी वह योजना लागू की। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री के नाम से एक योजना शुरू की और उसने 3 चरणों में ए.एम.सी.ए.टी. अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अनप्रोफेशनल के लिए परीक्षा आयोजित की। दूसरे चरण में जो थे आई.एम.आई.टी.एस.एस. के प्रोफेसर लोग थे। जो आवेदन किये थे उसमें से मात्र 40 लोग सलेक्ट हुए। 40 लोग सलेक्ट हुए, उसमें से 6 लोग छत्तीसगढ़ के थे। आप आये और एक सेकण्ड में आपने हटा दिया कि साहब ये कलेक्टर के ऊपर सुपर कलेक्टर की तरह काम कर रहे थे। उन लोगों ने 386 रूरल डेवलपमेंट में है आप जो 386 प्रोजेक्ट जमा किये एकाक प्रोजेक्ट का अध्ययन कीजिएगा। वो संवैधानिकता सत्ता नहीं थे। यह सिविल सर्विस कान्स्टीट्यूशनल यूनिट है। उससे ऊपर नहीं हो सकती। आप यह घुरवा बनाना चाहते हैं। आप स्मार्ट घुरवा बनाना चाहते हैं। यदि आप उस प्रोफेशनल को देते तो पूरे संसार में स्मार्ट घुरवा, घुरवा किसने, घुरवा है तो उसकी लागत क्या है ? नरवा...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- समाप्त करें, चन्द्राकर जी।

अध्यक्ष महोदय :- अब साहब, आखिरी चीज तो बोल रहा हूं। बस दो लाइन।

सभापति महोदय :- आखिरी तो बोलते ही नहीं न। आपका आखिरी कब होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारे यहां का एक नाम मैं काट दूंगा। आपके यहां का एक नाम आप काट दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा नाम काट दो। मेरी जगह दे दो इनको। आप मेरा नाम काट दो।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जितने तरह के घुरवा हैं जैसा घुरवा बनाना है, वह आप बना लो।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपकी उमर भी इधर लग जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह आपको अध्ययन करके दे देते।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आपका नाम काट दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आपने पूर्वाग्रह से। मैं तो चाहूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री जी उसके प्रोजेक्ट का अध्ययन कीजिए। आज कमलनाथ जी ने आदेश किया कि हम प्रोफेशनल रखेंगे। 9-10 स्टेट में यह प्रोफेशनल चल रहा है सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़कर। तो छत्तीसगढ़ में तो अब नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी ही है। उसके सिवाय कोई दूसरी बात तो हम कर ही नहीं सकते।

श्री बृहस्पत सिंह :- इसका मतलब आप समझते हैं क्या ? नरवा, गरूवा, घुरवा का मतलब समझते हैं क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं खत्म करता हूं। इलेक्ट्रानिक्स के लिए..।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट-एक मिनट। अभी मैं दो-चार झन का नाम बताउंगा न एक सांस में नरवा, घुरवा, बारी नहीं बोल पाओगे । अब जितना पढ़ाये हैं, उतना रट लो लेकिन इसके बारे में अभी जब वह बोल रहे हैं तो नरवा, गरूवा, घुरवा स्पेशलिस्ट हैं वे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- बस, अभी खत्म करता हूं।

सभापति महोदय :- और काहे-कहो में स्पेशलिस्ट हैं ये और किस-किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं ये भी बताएं।

श्री बृहस्पत सिंह :- और किस-किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं ये भी बताइए।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये नरवा और घुरवा के विशेषज्ञ हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसमें तो मेरी चर्चा लगी है, मैं उस पर बोलूंगा । आप समय दीजियेगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप दुर्ग में रहते हैं। भिलाई के

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

साफ्टवेयर पार्क निर्माण के लिए कितनी कटौती की गई है, आप उस बजट को पढ़ लीजिये, आपकी राजनीतिक क्षमता, आपका प्रतिनिधित्व दिखता है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रानिक इंजीनियर कितने निकल रहे हैं ? आप दूसरे से साफ्टवेयर बनवा रहे हैं, आप दूसरे से प्रयोग करवा रहे हैं। आपके पार्क में यहां के इंजीनियरों को जो नौकरी मिलती, भिलाई के आप भी हैं न, आपकी राजनीतिक क्षमता दिख गई, राजनीतिक क्षमता कम कर दी गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक योजना पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। स्काई योजना, कल प्रश्न नहीं हो रहे थे तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी बताने को उत्सुक दिख रहे थे। हमारे माननीया बहन जी ने प्रश्न नहीं किया, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी बताने को उत्सुक दिख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ, तो हम भी उत्सुकता से सुन रहे थे कि देखे स्काय योजना में क्या निकलता है ? स्काय योजना की पृष्ठभूमि क्या थी, इसको जानने के बजाय सरकार की रूचि इस बात पर है कि इसमें गड़बड़ी निकाली जाय और किसी आदमी को आरोपित किया जाए और उसके उद्देश्यों को प्रभावित किया जाए। मैं उत्तर में यह जरूर सुनना चाहूंगा कि चिप्स में स्काय योजना लागू होने के पहले छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी का प्रतिशत कितना था और पूरे हिन्दुस्तान में कौन से पायदान पर था और आज हिन्दुस्तान में कौन से पायदान पर है ? आप स्काय योजना बंद कर दीजिये, छत्तीसगढ़ में शत-प्रतिशत कनेक्टिविटी के लिए आपके पास वैकल्पिक प्रोग्राम क्या है ? चूंकि महिला बहन जी ने प्रश्न उठाया था, इसलिए मैं इस बात को नहीं कहूंगा। नई विधायक हैं। जो मेनीफैक्चरिंग एसोसियशन है, वह कहता है कि हिन्दुस्तान में 58 प्रतिशत महिलाओं के पास और 85 प्रतिशत पुरूषों के पास मोबाइल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वह 37 प्रतिशत महिलाओं के पास है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उस मोबाइल का भी उल्लेख कर दीजिये न कि मोबाइल कैसे फटता था, कैसे फट जाता था, कितने का मोबाइल था, कितने में बिकता था। आप उसको तो भी बता दीजिये। 1500 रूपये की मोबाइल 5 हजार में बिका, वह भी बता दीजिये।

डॉ0 श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- मोबाइल देने से पहले यदि नेट की सुविधा दे दी जाती तो ज्यादा होता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सब गलतियां थी, यदि गलतियां खोजना है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को नेट से जोड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी शत-प्रतिशत करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रोग्राम है ? यह प्रस्तुत करें। आज की दुनिया के नये विचारों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रतिबंधित किया। नई सेवाएं जो ग्रामीण जनता को मिलती, उससे वंचित किया। यदि रमन एप, मोदी एप में आपत्ति थी तो माननीय भूपेश बघेल जी भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, माननीय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टी0एस0 सिंहदेव साहब, आपकी तो खूबसूरती किसी को भी खत्म कर देगी, उसमें आपका एप लग जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि शत-प्रतिशत महिला, शत-प्रतिशत छत्तीसगढ़ कनेक्टिविटी से जुड़े। मैंने यंग प्रोफेशनल की बात इसीलिए कही। इलेक्ट्रानिक पार्क की बात इसीलिए कही। जो इलेक्ट्रानिक ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनके लिए बात कही। जो आप बाहर से साफ्टवेयर बनवा रहे हो उसको छत्तीसगढ़ में बनवाओ, इसीलिए कही। लेकिन अब नवाचारों के लिए छत्तीसगढ़ नहीं रहा। मैं इस अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय संतराम नेताम।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी बात है। बहुत दिनों बाद अमितेश शुक्ल जी हाउस में आये हैं। अध्यक्ष महोदय जी के साथ राजिम गये थे। आरती में फोटो छपा था उसमें रो रहे थे। क्यों रो रहे थे, आज तक समझ में नहीं आया ? इसमें भी एस0आई0टी0 जांच होनी चाहिए। अमितेश शुक्ल जी आरती करते-करते क्यों रो रहे थे ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, इनको बताईये कि शादी-ब्याह में जाने देंगे या नहीं देंगे ? किसी परिवार की शादी होगी तो वहां जाने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे अजय चन्द्राकर जी ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी को कैसे पता चला कि फोटो में ये हंस रहे हैं या रो रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पेपर में छपा है।

श्री अरूण वोरा :- फोटो में पता नहीं चलता।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं तो भावनात्मक हूँ। आप तो 15 साल रोये ही नहीं हो। जनता की जो परेशानी है, उसमें आप रोये ही नहीं हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी, पुन्नी मेला कैसे चल रहा है, यह बता दीजिये।

सभापति महोदय :- बस करें। माननीय नेताम जी, अपना भाषण शुरू करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, अमितेश जी बहुत दिनों बाद सदन में आये हैं उनको बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय :- कोई बात नहीं ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के विभाग की मांग संख्या-1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71 और 65 पर अपना विचार रखना चाहता हूं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप लोगों ने पुन्नी मेला मान लिया इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय माननीय भूपेश बघेल जी के लिए मैं चार लाईन कहना चाहूंगा, शर्मा जी इस कविता को सुनिएगा :-

सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती,

नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती,

जो बढ़ते हैं, जो बढ़ते हैं जमाने में, अपने मजबूत इरादों के बल पर,

उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारे भूपेश बघेल की जो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यहां बैठते थे और आज वहां मुख्यमंत्री जी के रूप में वहां बैठते हैं, उन्होंने किसानों के हित में, बेरोजगारों के लिए में एक बड़ी-बड़ी योजना लांच की है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संतराम जी, जरा सभापति जी से पूछो कि उनकी जगह बदली है कि नहीं बदली ।

श्री संतराम नेताम :- हमारे सभापति महोदय और आगे जाएंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आगे कहां ।

श्री संतराम नेताम :- हमारे सभापति के लिए अभी बहुत कुछ है। सभापति महोदय, जब डा. रमन सिंह जी सरकार में 15 साल मुख्यमंत्री थे, वे अभी भाषण में शिक्षा कर्मी की बात कर रहे थे । उन्होंने एक शब्द कहा था कि हम एक घंटे में शिक्षाकर्मियों की नियमितीकरण कर देंगे । 15 साल से शिक्षा कर्मियों को किस प्रकार से रूलाया, उनके साथ किस प्रकार से धोखा किया, वह प्रदेश की जनता जानती है, शिक्षा कर्मी जानते हैं । उन्होंने 60 दिनों में 15 साल की तुलना की, दैनिक वेतन भोगी असंतुष्ट हैं, हमारे संविदा कर्मी आंदोलन के मूड में हैं । आपने 15 साल में रहकर इन लोगों की मांग को पूरा क्यों नहीं किया ? छत्तीसगढ़ शासन के 34 विभागों के अधिकारी-कर्मचारी 2018 में वह मैदान में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आपने क्यों नहीं सुना ? इसलिए हमारी प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, कर्मचारियों ने आपको 15 सीटों में सिमटकर रख दिया । मैं बहुत समय से सुनता हूं, हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं और नरवा, घुरवा, गरूवा और बाड़ी के बारे में वे खिल्ली उड़ाते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम जी, मुख्यमंत्री के विभाग के बारे में बोलिए न, 15 सीट से क्या मतलब है ?

श्री संतराम नेताम :- मैं वही बात कर रहा हूं कि विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि नरवा, घुरवा, गरूवा और बाड़ी के लिए बजट नहीं है । आप चिन्ता क्यों करते हैं, ये जो नारा है- नरवा, घुरवा, गरूवा और बाड़ी से गांव का विकास होने वाला है । आप देखते जाईए, धैर्य रखिए, अभी 60 दिन हुआ है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसके लिए हमारी सरकार बजट देगी और गांव का विकास होगा । आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया काफी संवेदनशील हैं, किसान पुत्र हैं, उनको मालूम है कि कैसे गांव का विकास कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, आप 35 किलो चांवल की बात करते हैं । जब आप 35 किलो चांवल दे रहे थे, बाद में आपने 7 किलो कर दिया तो इस योजना के कारण हमारे बस्तर में बहुत से भाईयों का पेट नहीं भर पा रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने सीधा-सीधा प्रत्येक परिवार को 35 किलो चांवल देने की व्यवस्था की है, अगर ज्यादा सदस्य होंगे तो उनके लिए भी 7 किलो के मान से उनका भी चांवल बढाया जायेगा । आपने किसानों को सपना दिखाया कि हम 21 सौ रूपये समर्थन मूल्य देंगे । आज हमारी जन घोषणा की आप खिल्ली उड़ाते हैं, हमारी सरकार ने जो कहा, उसको किया । हमारे मुख्यमंत्री जी ने 25 सौ रूपये देने की बात कही थी, उसको करके दिखाया । आप तो 15 सालों से किसानों का धान खरीदने के नाम से आपने केवल नाटक किया, किसानों को धोखा दिया और 300 रूपये बोनस के लिए हम इस तरफ बैठकर जब मांग करते थे तो आप हमारी बातों को अनदेखा करते थे । आज बड़ी-बड़ी बात करते हैं, अगर आप किसानों के लिए संवेदनशील होते तो आज इधर नहीं बैठते । आदरणीय सभापति महोदय, अभी ऊपर मीडिया के साथियों के लिए, हमारे चन्द्राकर जी कह रहे थे, कार्यपालिका, व्यवसापिका, न्यायपालिका, इन तीनों जगहों के लिए आप वेतनभत्ता देते हैं । चौथा स्तंभ आप उस मीडिया को मानते हैं, इनके लिए भी कम से कम वेतन भत्ता होना चाहिये । बिहार में एक निधि के माध्यम से उनको प्रतिमाह 6 हजार रूपया दिया जाता है । वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे पत्रकार सार्थियों के लिए सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाया है, उसी प्रकार उनको भी एक निश्चित निधि दिया जाना चाहिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- घोषणा करवा दीजिए ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, वह अपने कक्ष में बैठकर लिख रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कक्ष में भी नहीं है, भईया । कहां है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बात कर रहे हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं नहीं ?

सभापति महोदय:- मंत्रीगण बैठे हैं (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पत्रकार की गति को मैंने देखा है । बस्तर में हमारे पत्रकार साथी अपने जान को जोखिम में डालकर दूरस्थ अंचलों में जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं । वैसे ही पत्रकार साथियों के खिलाफ में पिछले 15 वर्षों में बहुत से अपराध दर्ज किये हैं । जिस प्रकार से उनके साथ में अन्याय हुआ, इसलिए सुरक्षा कानून का गठन किया गया है । आपके द्वारा जिला जनसमस्या

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

शिविर चलाया गया । सभापति महोदय, शिविर एक पिकनिक रह गया है । शिविर में कोई जनता जाना पसंद नहीं करता है । केवल वहां पर एक पंजीयन होता है । वहां पर सब अधिकारी और कर्मचारी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं । सभापति महोदय, यहां पर उस शिविर के नाम से बहुत से हमारे अधिकारियों के द्वारा टेंट का, माईक का, बिल बनाया जाता है । उस बिल को कौन पटाता है, किसको पटाने के लिए बोला जाता है ? वहां के सरपंच को मूलभूत पैसे..।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- सभापति महोदय, ये सरकारी काम को पिकनिक कहना ठीक नहीं है ।

श्री संतराम नेताम :- आदरणीय सभापति महोदय, बिल्कुल पिकनिक के रूप में ही वहां पर सरपंच को बलि का बकरा का बलि बनाया जाता है । टेंट के लिए, माईक के लिए, उसके लिए आपने बजट में क्यों प्रावधान नहीं किये हैं । उसको आप सरपंच के ऊपर क्यों लादते हो ? इसलिए इस व्यवस्था में भी सुधार लाने की जरूरत है । हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बिजली के संबंध में बात कर रहे थे, मैं जबसे सुन रहा हूँ, हमारे बस्तर संभाग में वर्ष 2007 से बिजली कंपलीट कर दिया जायेगा । बाद में पता चला कि वर्ष 2012 में कंपलीट कर दिया जायेगा । जब हम क्वेश्चन लगाये, तब यही सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बस्तर में अंधेरा नहीं रहेगा । पूरे बस्तर को हम चकाचक कर देंगे । सभापति महोदय, लेकिन आज भी अंधेरा में डूबा हुआ है । इस प्रकार से 15 साल में बस्तर के आदिवासी भाईयों के लिए वहां के किसानों के साथ आपने किस प्रकार से किये । वह सब जान रहे हैं । राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम से जब था, उसको आपने परिवर्तन किया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आपने बदला है । आपको बस्तर में और बदलाव की आवश्यकता है । हमारे मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि अधिक से अधिक गांव जो अंधेरे में हैं, उस गांव की जल्द से जल्द विद्युत विस्तार की आवश्यकता है ।

समय :
2:58 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्रबहादुर सिंह) पीठासीन हुये)

सभापति महोदय, वहां पर हम खनिज की बात करते हैं, कलेक्टर कोंडागांव, आपने कलेक्टर को खनिज अध्यक्ष बनाया । सभापति महोदय, वह मनमानी करता है । आपके बोनस वितरण के नाम पर वहां लाखों रूपये लगाये जाते हैं । वहां पर गणवेश खरीदा जाता है । जबकि खनिज न्यास का पैसा वहां आम लोगों के लिए ...।

सभापति महोदय :- संतराम जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, आम लोगों के मूलभूत सुविधा के लिए यह किया जाता है । इसलिए पैसे का दुरूपयोग हो रहा था । हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुये अबवहां

असंपादित/मुद्रण के लिए नहीं

के प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधि वहां के अध्यक्ष होंगे, वहां केविधायक सदस्य होंगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूॅ कि यह जो निधि 1200 करोड़ प्रतिवर्ष दिया जाता है, इसकासही उपयोगहोना चाहिये। बंदरबांट नहीं होना चाहिये, कलेक्टर के द्वारा मनमानी नहीं किया जाना चाहिये ।आपने 15 साल कलेक्टर को छूट दे रखा है । वह किसी भी जनप्रतिनिधि से न तो कोई राय लेता था और वहां के स्कूलों में डामर पोत दिया गया है। आपकी गलत नीति के कारण, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यवस्था का ये आलम हुआ और पैसे का दुरूपयोग हुआ है।

सभापति महोदय, मैं सामान्य प्रशासन में अपनी थोड़ी सी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं। आप ट्रांसफर को प्रशासनिक असफलता बता रहे हैं। यह कोई असफलता नहीं है। सब नियम से हो रहा है। ट्रांसफर की एक प्रक्रिया है, वर्षों से वहां पर जो अधिकारी, कर्मचारी पदस्थ हैं, जो मनमाने ढ़ंग से काम कर रहे थे उन्हें बदलने के लिए, सुशासन लाने के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ बदलापुर की राजनीति नहीं की जा रही है। जो भी व्यवस्था हो रही है नियम के तहत हो रहा है लेकिन जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहां सदन में हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में बताया इसका भी मैं खंडन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री बृहस्पत सिंह :- सौरभ सिंह जी, पिछले 15 साल वाला कहानी भी बताईयेगा, आप बहुत सरकार में रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, कहानी बताने का समय नहीं है। अपने-अपने क्षेत्र की बात बोलने का निर्देश है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग संख्या के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, डी.एम.एफ. मद की बात हो रही थी। माननीय अजय चन्द्राकर जी के सवाल के उत्तर में आया है कि हमारे जांजगीर जिले में 300 करोड़ रूपये का डी.एम.एफ. मद आया है। इस 300 करोड़ रूपये में से 124 करोड़ रूपये आज तक लंबित है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अमोरा और नरियरा दो जगह हायर सेकेंडरी स्कूल की अनुमति प्रदान की गई थी। टेंडर हो गया, टेंडर के बाद एग्रीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता लग गई। उसके बाद पैसा यहां आ गया कि उसकी स्वीकृति नहीं की जायेगी। ये हायर सेकेंडरी स्कूल से क्या दुश्मनी है? आप हायर सेकेंडरी स्कूल को तो दे दें। कम से कम स्कूल के आहाता को तो दे दें। मैं मंत्री जी लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा लिख लेते तभी तो मुख्यमंत्री जी को बतायेंगे। (मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- वह लिख रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- भईया बता रहे हैं कि थोड़ा खर्रा लिख लेव। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बोलूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक जगह डोलोमाईड की माईंस दी गई है और सरकार बदलने के बाद जो डोलोमाईड की माईन्स थी उसके बगल की जो माईन्स हैं उस माईन्स का जो जीरा है वह गौंण खनिज में आता है माने गिट्टी है। तो जीरे को डोलोमाईड के रेट से बेचा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापित महोदय, रेत की नीति के बारे में बहुत चर्चा हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र अकलतरा में हसदेव नदी के किनारे चार ऐसे स्थान हैं जहां पर आज तक रेत घाट के खदानों में कभी भी मशीन नहीं उतरी और मशीन नहीं उतरने का कारण यह है कि लोग जब वहां से पलायन करके जाकर अन्य जगह पर काम करते थे, उन लोग वहां पर रोज की अपनी मजदूरी कमाते थे। माननीय सभापति महोदय, रेत की नीति की घोषणा से उन चार गांवों में चूल्हा नहीं जला है और पलायन की तैयारी हो गई है, एक हजार मजदूर पलायन करेंगे। यह कैसी रेत नीति है? उन एक हजार मजदूरों का क्या होगा? रेत नीति बनाते वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसी खदानें जहां पर कभी मशीन नहीं उतरी थी, वहां जो लेबर काम करते थे उन लेबरों के प्रति क्या नीति होगी?

माननीय सभापति महोदय, बिजली विभाग में मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोलूंगा। अमोरा नामक जगह पर लाफार्ज सीमेंट संयंत्र लिए अर्जुनी और अमोरा के बीच में एक जगह सब स्टेशन बनाया गया। उस सब स्टेशन में एक कंपोनेंट है कि सब स्टेशन से पास के गांवों को भी बिजली व्यवस्था दी जायेगी। 60 दिन से लगातार बिजली के अधिकारियों को मैंने निवेदन किया है कि वहां से लाईन की आपूर्ति क्यों नहीं कर देते, आप 10 किलोमीटर से लाईन ला रहे हैं तो लाईन लॉस हो रहा है और रोज बिजली जा रही है तो उसके लिए क्यों व्यवस्था नहीं कर देते? इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पूरे बिलासपुर संभाग में दीनदयाल जीवन ज्योति योजना के तहत 33/11 सब स्टेशन का निर्माण होना था।माननीय केशव चंद्रा जी ने इस संबंध में प्रश्न भी लगाया था। एक फेडरल्स लायर्स दिल्ली की कंपनी को ठेका दिया गया था। वह कंपनी काम बंद कर दी है। वह कंपनी पिछली सरकार बदलने के बाद काम बंद कर दी। क्यों बंद कर दी, कैसे बंद कर दी, ये कंपनी जाने और सरकार जाने, इस पर क्या कार्यवाही होगी। वो कंपनी वाले काम बंद करके भाग गये। कृपापूर्वक इस पर भी ध्यान देंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 48 गांव ऐसे हैं जहां पर एच.बी.डी.सी की लाईन नहीं है। एच.बी.डी.सी की लाईन का मतलब तीन तारों को बदलकर केबल डालना है। केबल डालने से लाईन लास कम होता है और बिजली चोरी कम होती है। उस पर कोई काम नहीं हुआ, वह काम ठप्प हो गया। मेरा निवेदन है उस पर ध्यान देंगे। मड़वा की एक्सपेंशन की बात हुई, बिजली उत्पादन कंपनी के जो चेयरमेन थे उन्होंने

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जांजगीर में जा करके स्टेटमेंट दिया कि हम मड़वा और ऐसे प्लांटों का एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन की क्या जरूरत है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे जिले में जांजगीर जिले में, कोरबा जिले में, रायगढ़ जिले में, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, जिनको कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बिजली का पी.पी.ए (पावर पर्चेस एग्रीमेंट) नहीं है। नये प्लांट क्यों लगाना, उन्हीं से पावर पर्चेस एग्रीमेंट से बिजली ले लें। ये क्या बात हुई कि हम नया प्लांट लगायेंगे जरूरत होगी आवश्यकता होगी तो लगायेंगे। उसी मड़वा पावर प्लांट में जो बेरोजगार हैं जिनकी जमीन गई है, जो भू-स्थापित हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उनके नौकरी के कई प्रकरण लंबित हैं, कभी कभी ये कहानी बताकर, कभी वो कहानी बताकर कृपापूर्वक उस पर भी ध्यान देंगे। उसी मड़वा पावर प्लांट में जिसमें चेयरमेन साहब स्टेटमेंट देकर आये कि उसका एक्सपेंशन होगा। वहां सी.एस.आर के मामले लंबित हैं। एक गांव में पिछले पांच साल में 6 लाख का सी.एस.आर, एक गांव में 45 लाख का सी.एस.आर, इस पर क्या व्यवस्था होगी। रूफ्त ऑफ सोलर हार्वेस्टिंग आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मेरे छत या किसी भी प्रदेश के नागरिक की छत उस छत पर, मैं रूफ्त ऑफ सोलर हार्वेस्टिंग कर सकता हूं, एक प्लांट लगा सकता हूं, जिससे मैं बिजली ले सकता हूं और उस बिजली को ग्रीड पर दे सकता हूं। उसके लिये सिर्फ 21 करोड़ की अनुदान राशि दी गई है। ये क्यों 21 करोड़ की अनुदान राशि दी, इससे पर्यावरण शुभ होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है। इस पर लोगों को अपने छत के उपयोग का मौका मिलता है। सिर्फ 21 करोड़ की राशि दी गई है। बायो एनर्जी, नरवा,गरूवा,घुरूवा और बाड़ी वहीं से तो बायो एनर्जी आई है। बायो एनर्जी के लिये सिर्फ दो करोड़ का अनुदान है। क्या नरूवा, क्या घुरूवा बाड़ी और क्या गैस, कहां से आयेगा बायोगैस एनर्जी ? माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री शिशुपाल सोरी (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव मांग संख्या एक सामान्य प्रशासन के लिये समर्थन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सामान्य प्रशासन विभाग में खासकर जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये विशेष सेल की स्थापना की जाती है और इसमें जो आरक्षण के प्रावधान हैं, उसकी व्यवस्था उस सेल के माध्यम से होती है। विगत 15 सालों में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस दिशा में कार्यवाही हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री रजनीश कुमार (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांग संख्या 1,2,6,10,12,25,32,71,65 में कटौती के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें अपने क्षेत्र के प्रमुख मांगों को रखूंगा।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, कटौती भी कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं दोनों तो नहीं हो सकती न या तो समर्थन करो या.....।

श्री रजनीश कुमार :- सभापति महोदय, उसको जोड़ दूंगा या उसको मैं वापस ले लूंगा न।

श्री मोहन मरकाम:- आप कटौती भी कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। या फिर आप समर्थन करिये।

सभापति महोदय :- कृपया मरकाम जी आप बैठिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, उसको जोड़ देंगे। यदि है तो मैं वापस ले लूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में दो पंचायतें ऐसी हैं जो एक पंचायत ग्राम लिंगाडीह जहां की वोटर संख्या 22 हजार है और ये पूरे भारत देश में किसी भी ग्राम पंचायत के सबसे ज्यादा मतदाता संख्या वाला ग्राम पंचायत है और बहुत दिनों से लंबित है मैं आपके माध्यम से उसको नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग वित्त विभाग से करता हूँ कि इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाये। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मंगला इसी विधान सभा में बिलासपुर से दोनों लगा हुआ पंचायत है और वहां की वोटर संख्या 18 हजार है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन दोनों ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जब माननीय कृषि मंत्री जी के बजट भाषण पर चर्चा हो रही थी तो मैंने एक विषय उठाया था कि अमृत मिशन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में चल रही है और इसी के तहत बिलासपुर में भी अमृत मिशन योजना में पाईप लाईन बिछने का काम अंतिम चरणों में है, लेकिन वहां जो खूंटा घाट, खारंग जलाशय से पानी आएगा।उसमें नगरीय निकाय और जल संसाधन मंत्रालय से एम.ओ.यू. हुआ है कि अहिरन नदी से खारंग जलाशय में पानी लाया जाएगा, उसके पश्चात् फिर बिलासपुर को पानी के लिए पानी दिया जायेगा। कभी बिलासपुर में जो 10 फीट हाथ से गड्ढा खोदने पर पानी मिल जाता था। लगातार पिछले वर्ष भी और अभी से जल संकट से जूझना प्रारंभ हो गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि अहिरन नदी से खूंटा घाट को जोड़ने का जो काम है, उसके लिए बजट में प्रावधान करके उसको जोड़ा जाए और उसके बाद फिर अमृत मिशन योजना के लिए खूंटा घाट से पानी दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार एक बहुत बड़ी पंचायत शहर से लगा हुआ, जहां लगभग 500 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। ऐसे मोक्का हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाये। सेलर हाईस्कूल को 10 वीं से 12 वीं में हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायत ग्रामीण मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं डी.एल.एस. कॉलेज से

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

खमतराई ग्राम पंचायत तक, रोड के लिए इसी प्रकार लखराम पंचायत से सरवनदेवरी तक रोड के लिए कार्य भेजा हूँ। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि माननीय पंचायत मंत्री जी एवं लोक निर्माण मंत्री को जो प्रस्ताव दिया गया है, उसे भी इस बजट प्रस्ताव में शामिल करके, उसके लिए भी इस वित्तीय वर्ष में प्रावधान करके, उस काम को पूर्ण किया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनूप नाग (अंतागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान मांग संख्या 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71 और 65 का समर्थन करता हूँ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपसे अपने क्षेत्र की आवश्यक मांग आपके समक्ष रखता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र चार गांव में मेटाबोदली लोह अयस्क की खदान संचालित है। मेरा आपसे इस संबंध में अनुरोध है कि उक्त माईन्स जो वहां पर संचालित हैं उसमें स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जावे। वहां पर माईन्स प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों को परिवहन कार्य से पृथक रखा गया है एवं बाहरी लोगों को ही कार्य दिये जा रहे हैं। वहां पर माईन्स प्रबंधन द्वारा सी.एस.आर. मद से जो राशि स्थानीय स्तर पर विकास के कार्यों में व्यय की जानी चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है। माईन्स के कारण वहां पर लगातार भारी वाहनों का आवागमन रहता है, सड़के जर्जर हो रही है, ओव्हर लोड और अधिक मात्रा में ट्रक चलने के कारण ड्रायवरों, वाहन मालिकों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है जिससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। डी.एम.एफ. फंड के तहत जो राशि क्षेत्र में प्राप्त होती है, उसमें भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मद में परिवर्तन कर विकास कार्यों में उपयोग न करते हुए अन्य कार्यों में उपयोग में लाई जा रही थी, इससे वहां का विकास अवरूद्ध हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं नक्सली क्षेत्र का विधायक हूं, मेरा क्षेत्र नक्सली प्रभावित एवं आदिवासी क्षेत्र है। वर्तमान में उस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव विद्युतविहीन हैं, जहां के लिए विद्युतलाईन भी प्रस्तावित नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके माध्यम से एक छोटी सी और मांग करना चाहता हूं कि मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रूकमणी आश्रम में आठवीं क्लास तक पूरे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे, नक्सली प्रभावित बच्चे पढ़ते हैं। आठवीं कक्षा के बाद जब उनको नवमीं कक्षा में जाना रहता है तो गरीबी के कारण उनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में उसका 12वीं कक्षा तक उन्नयन होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, यहां पर हमें जो विभागों से जानकारी मिलती है, वह जानकारियां

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गलत रहती हैं। मैंने परिवहन विभाग से जानकारी मांगी थी कि धमतरी में परिवहन विभाग क्या स्वयं के भवन में संचालित है? विभाग ने यह उत्तर दिया कि वह स्वयं के भवन में संचालित है जबकि वह कई वर्षों से एरिगेशन के भवन में संचालित हो रहा है। फिर मैंने खेल विभाग से जानकारी मांगी कि उन्होंने कितनी राशि धमतरी विधानसभा में भेजी है और कितनी राशि खर्च की है? उन्होंने भेजी हुई राशि की जानकारी नहीं दी, केवल जो राशि विभिन्न खेलों में खर्च की गई, उसकी जानकारी दी गई। मैंने पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से जानकारी मांगी की मेरे धमतरी विधानसभा में कितनी सड़कें जर्जर हैं? उन्होंने स्पष्ट लिखकर दिया है कि धमतरी विधानसभा में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अंतर्गत एक भी सड़कें जर्जर नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की जानकारियां देना उचित नहीं है जो हमें गलत जानकारी दी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, हम किसानों के लिए बात करते हैं कि लगभग 15 क्विंटल धान खरीदी कर सकते हैं। एक समय-सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इतने क्विंटल तक धान खरीदी होगी। लेकिन उसके बाद किसानों के पास जो धान बचता है, वह धान को वह बाजार में औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाता है। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि आप उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उसके बाद हमारे किसानों को क्या फायदा हो रहा है? यदि वह बचा हुआ धान औने-पौने रेट में बाजार में बेच रहे हैं, उससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा हो रही है, उसमें खनिज विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। हम सब काफी समय से देख रहे हैं कि रेत की किल्लतें बढ़ गई हैं और रेत का दाम बढ़ गया है। चूंकि मेरे विधानसभा में हमारे सरपंच बार-बार इन परेशानियों को झेल रहे हैं कि यदि उनको निर्माण कार्य कराना है, चूंकि वहां पर एक निश्चित राशि निर्माण कार्य के लिए आती है, वह दो गुने, तीन गुने रेट में रेत को खरीद रहे हैं तो वह कहां से पूर्ति कर पायेंगे? इस प्रकार की समस्यायें आ रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने बिजली बिल हाफ किया है। आपने बिजली बिल तो हाफ किया, लेकिन वहां पर बिजली भी हाफ दे रहे हैं, लोगों को 24 घंटे में केवल 12 घंटे बिजली मिल पा रही है, ये कहां तक सही है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि आयुष्मान केन्द्र की सबसे महती योजना है, उस योजना को यहां पर राज्य सरकार के द्वारा बंद किया गया है। यदि आपको नई योजना की शुरूआत करनी है तो बंद करने से पहले आप उस योजना को ले आते, फिर आयुष्मान योजना को बंद करना था तो आप बंद कर देते। लेकिन इन दोनों के बीच जो बहुत सी समस्यायें लोगों के पास आ रही हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा यही

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निवेदन था कि चूंकि हमें जनहित के मुद्दों पर काम करना है तो कृपया इस योजना को न बंद किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रकाश नायक :- XX

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी विभागों की मांगों का समर्थन करता हूं और जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उस विभाग में अपनी बातें रखना चाहता हूं । आज पूरे देश में आई.टी. और आई.टी. इनेबल्ड जो सर्विसेस हैं उसकी सबको जरूरत है । आज ऐसा कोई वर्ग नहीं रह गया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रह गया है जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी आई.टी. की जरूरत न हो, चाहे वे छात्र-छात्राएं हों, चाहे युवा वर्ग हों, चाहे वे वरिष्ठजन हों, चाहे वे नौकरीपेशा हों और चाहे वे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग हों, चाहे वे शहर में रहते हों, चाहे वे गांव में रहते हों आज सबको जरूरत है और चूंकि सरकार की सभी को जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें सरकार पर डिपेंड रहती हैं और सरकार ही उनको मुहैया भी कराती है इसलिये आज आई.टी. और आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है । मैं यह बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तब सरकार द्वारा सबसे पहले इस बात पर महत्व दिया गया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय प्रदेश में राजस्व मंत्री रहे थे और उनके इस कार्यकाल में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता को खसरा, बी-वन, नक्शा ये सारी चीजें देने के लिये उन्होंने संकल्प लिया था । मुझे उस वक्त की याद है, मैं उस कार्यक्रम में था । वहां पर उन ग्रामीणों को बुलाया गया था और उस वक्त हमारे पास कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा उपलब्धता नहीं थी । हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे हम यह सारी चीजें करा पायें तब उस वक्त माननीय राजस्व मंत्री जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ईसरो से, नागपुर से ये सारी संस्थाओं से उस पूरे डेटा को, छत्तीसगढ के डेटा को डिजिटलाईज्ड किया गया था और जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ में जो इतनी सुगमता से हर नागरिक को एक-एक सेवायें जो मिल रही हैं वह सारी सेवायें उनको प्राप्त हो रही हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना लायी थी उस परियोजना के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आई.टी. का काम किया गया, इसके बीच में प्रदेश में ऐसा कोई नहीं किया गया जिससे कि प्रदेश की जनता को कोई लाभ हो सके केवल अर्बन एरिया में जो च्वाईस सेंटर हैं केवल उन चवाईस सेंटरों का काम किया जाता था और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बड़ी आसानी से मिल जाती थी लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं जिले में और जिले के नीचे जाते हैं तो वहां पर हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी । जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आयी, उन्होंने जब कनेक्टिविटी दी, राष्ट्रीय गवर्नेंस परियोजना

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

जिसके 4 घटक हुआ करते थे । उस घटक के अंतर्गत उन्होंने स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क का, दूसरा घटक कॉमन सर्विस सेंटर और तीसरा घटक जो है वह स्टेट डेटा सेंटर जब उन्होंने बनाने का किया, पूरे देश में लागू किया तब जाकर सूचना प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी । उसके बाद छत्तीसगढ ने प्रगति की और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वह स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क जो उन्होंने बनाया है इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय चाहता हूं । स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जो हमारी कनेक्टिविटी है जिसमें लीज लाईन डाली गयी, जिसके अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल्स डाले गये और पूरे ग्रामीण क्षेत्र तक वह एक नेटवर्क फैलाया गया जिसके कारण डिस्ट्रिक में जो ई-गवर्नेंस के जो सेंटर बनाये गये, उन डिस्ट्रिक सेंटर के माध्यम से लोगों को खसरा, बी-वन, नक्शा, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और सारे प्रमाण-पत्र दिये गये। जो जीटूसी सर्विसेस थी, जो गवर्नमेंट को जाती थी । इसके अलावा भी बहुत सी बी 2 सर्विसेस, वे सर्विसेस भी पब्लिक को दी जाने लगी है जिसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग जैसी बहुत सी सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराने में हम लोग सफल हो सके । सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार प्रमाणीकरण, जनसंवाद परियोजना ये सभी परियोजनाएं हमारे आई.टी. डिपार्टमेंट के कारण हमारे प्रदेश की जनता को मुहैया हो पा रही है । मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि ई-प्रोक्यूरमेंट, मुख्यमंत्री डेशबोर्ड परियोजनाएं भी लोगों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई । आज सबसे ज्यादा भौगोलिक सूचना प्रणाली की जरूरत है । इसके कारण बहुत सारे गांवों में 70 लेयर के अंदर डाटा तैयार किया गया है । इसमें अभिलेखों को सड़क मार्ग, भूमि का उपयोग आम जनता के लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं । आज एक टैक्सी में बैठने वाला व्यक्ति, एक छोटे से छोटा बच्चा भी बता देता है कि मुझे किस जगह जाना है, किस जगह पर मोड़ आ रहा है, किस जगह दाहिने मुड़ना है, किस जगह बांये मुड़ना है । ये सारी उपलब्धियां आईटी डिपार्टमेंट की रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं । आगे भी इस तरह की परियोजना से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिल सकेगा । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद् ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग संख्या 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65 के विरोध में खड़ा हूं । सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग से अपनी बात को शुरू करता हूं और मैं नियम, विधि, योजनाओं पर बात न कहकर, सामान्य बातें, जो आम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जरूरत है, मैं उन्हीं मुद्दों पर बात रखता हूं । सभापति महोदय, आज

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

भी गांव में जो लूज़ लाईन है गांव के अंदर जो बिजली जाती है । उसके संधारण के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाते । परिणाम यह है कि आज भी अगर उस गांव में गाड़ी घुसती है तो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये बताओ कि लूज लाइन को टाइट करने के लिए क्या योजना बनेगी ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एक्सपर्ट लोग ही बताएंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- आप भी तो एक्सपर्ट हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, जो लाइन लूज हो गई है उसको टाइट कैसे किया जाए, इसकी योजना भी तो बताना चाहिए ना ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप नियम, विधि, विधान बनाइए तो फिर सब ठीक हो जाएगा ।

श्री अरूण वोरा :- इस पर चन्द्राकर जी स्पेशलिष्ट हैं मैं समझता हूं कि चंद्राकर जी को जानकारी होगी कि कैसे लूज को टाइट किया जाता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं पहली बार देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण चर्चा में नीरसता है । पूरा मैदान साफ है । आदरणीय टी.एस.बाबा के अलावा 10/11 सभी मंत्री गायब हैं, आपके विधायक भी नहीं हैं । 13/14 ही विधायक हैं । किसी की कोई आस्था ही नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम :- सब इंजेक्शन लगवा रहे हैं । स्वास्थ्य मंत्री महोदय का निर्देश है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सिर्फ बाबा साहब उपस्थित हैं और मंत्रिमंडल में बाबा साहब की क्या स्थिति है यह सबकी जानकारी में है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, अंदर में जो हैं ना उनमें जो टोपी वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा क्लीयर है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ग्राम लिमतरा में बिजली खंभा वालों ने दो पोल के बीच ऐसे तार खींचते हैं कि किसानों के घर के ऊपर से जाता है और उस गांव बंदर का प्रकोप है, दो लोग मारे जा चुके हैं । इतनी बार कहने के बावजूद भी बिजली विभाग ने उस तार की शिफ्टिंग तक नहीं की है । कई ऐसे गांव हैं जिनको मैंने भी कहा कि लूज कनेक्शन हैं, लूज तार हैं उनको खींच दिया जाए लेकिन आज तक बिजली विभाग वाले टस से मस नहीं होते । शिकायत भी नहीं सुनते । मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब आ गये हैं (श्री अमितेश शुक्ल की ओर इशारा करते हुए) अब आ गये हैं उनसे बात कर लो कैसे होगा वह?

श्री अरूण वोरा :- नहीं, ये संभावित मंत्री हैं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको तो सरकार ने लूज कर ही दिया है। अब वे तो कभी टाइट नहीं हो सकते। माननीय सभापति जी, पूरी अधिकारी दीर्घा खाली है। मुख्यमंत्री जी के आठ-आठ विभाग हैं। आठों विभाग के अधिकारी तो होने चाहिए। सेक्रेटरी होने चाहिए । इससे ज्यादा विधान सभा की अवमानना हम लोगों ने आज तक नहीं देखी है कि जब मुख्यमंत्री जी के विभाग में चर्चा चल रही है तब सरकार का करेंट गायब हैं। पूरे मंत्री गायब हैं, विधायक गायब हैं और पूरे अधिकारी ही गायब हैं। कम से कम आपको ताकिद करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के विभागों में चर्चा हो तो सरकार सजग रहे।

श्री अमितेश शुक्ल :- मंत्री लायक दमदार लोग तो हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिर्फ पून्नी मेला भर है।

श्री अमितेश शुक्ल :- मंत्री लायक दमदार लोग तो हैं न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप तो लूज हो गये हो। यह पूरी सरकार लूज हो गई है। पूरी सरकार का करेंट गायब हो गया है। पूरी सरकार के खंभे गायब हो गये हैं। देख रहे हैं पूरे खंभे गायब हैं। वायर तो गायब ही है। वायर तो दिख ही नहीं रहा है। ट्रांसफार्मर तो है ही नहीं। सब गायब हो गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- और आपको तो पहले ही उखाड़ दिया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- हम लोगों का एक पावर हाउस काफी रहता है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय वही मांग तो हुआ है देखेंगे, बुलाएंगे अधिकारियों को, बैठेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश शुक्ल जी को विशेष तौर पर पुन्नी मेला की जिम्मेदारी दी गई है। वे पूरा टाइम पुन्नी मेला को दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिए, बांधी जी बोलिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- खुशी है कि आप पुन्नी मेला बोलने लगे। कुंभ नहीं बोल रहे हो यह अच्छी चीज है। आप मान लिये हैं कि कुंभ के बदले पुन्नी मेला नाम हो गया है। आपका धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस दिन रो क्यों रहे थे? (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिए, प्रारंभ कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि देखिए उस लाइन से दो लोग मारे गये। यह गंभीर मामला है। फिर भी विभाग उस लाइन की व्यवस्था बनाने की ही कल्पना करते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अपने विधान सभा क्षेत्र में 20 गांव के लाइन स्टार्ट करें कि हम खीचेंगे, व्यवस्थित करेंगे। 10-10 गांव से कर दें हम उतने से हम स्वीकार करते हैं। 10 गांव से शुरूआत कर दे। क्या उतना भी मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के 10 गांव के जो लूज कनेक्शन हैं उसको ठीक करने के लिए नहीं करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा सब तरफ लूज ही लूज कनेक्शन है। (हंसी)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरे मस्तूरी क्षेत्र में सब डिवीजन ऑफिस बना हुआ है। उस सब डिवीजन ऑफिस में मस्तूरी विधान सभा पूरी बिलासपुर जिले में सबसे बड़ा विधान सभा, सबसे बड़ा संभाग है। उसकी जनसंख्या, उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है और उसकी व्यवस्था के लिए सब डिवीजन ऑफिस का निर्णय किया गया था। सब डिवीजन ऑफिस खुला है लेकिन उस सब डिवीजन ऑफिस में पद के अनुरूप कोई पदस्थ नहीं है। सब डिवीजन ऑफिस में मापदंड के अनुसार जो कुछ भी होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर गांव में ट्रांसफार्मर खराब होता है, उस ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए सब्सिट्यूट में इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण अंचल मेरा क्षेत्र नीलागर नदी अरपा नदी से घिरा हुआ है। वहां पर प्राकृतिक रूप से थोड़ी ईश्वर की कृपा है और उसके कारण लोग नीलागर नदी अरपा नदी से पानी ले लेकर अपने फसलों के बचाव का काम करते हैं लेकिन बिजली विभाग के द्वारा ठीक समय में जब ट्रांसफार्मर गोल होता है। वह एक-एक महीने के बाद ठीक होता है। दुनियाभर का प्रदर्शन करने के बाद दुनियाभर की बात बोलने के बाद अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम बिजली विभाग की अच्छी व्यवस्था की कैसे कल्पना कर सकते हैं ? आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से हम चाहते हैं कि मस्तूरी क्षेत्र में सब डिवीजन ऑफिस हो। वह अच्छे से काम करे। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर बने। लूज कनेक्शन ठीक हो और कई जगह क्रेडा का ऑफिस दिया हुआ है। क्रेडा की सुविधा प्राप्त है। उस क्रेडा के पास जो सोलर एनर्जी सिस्टम है उसे बनाने वाला नहीं मिल रहा है। बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह तो अच्छा है कि उच्च शिक्षा में आई.टी.आई. में हम सुधारने के लिए एक ट्रेड खोल रहे हैं लेकिन जो कई ऊर्जा के सोलर पावर सेंटर बने हुए हैं, वह ठीक नहीं हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, बांधी जी यह भी बता दीजिए कि आपकी सरकार में 5 हजार 10 हजार देने पर ट्रांसफार्मर पहुंचता था गांव में। उसका भी तो उल्लेख कर दीजिए।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, कृपया समाप्त करिए।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं सामान्य प्रशासन विभाग में एक बात कहना चाह रहा हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बृहस्पत जी, अभी फ्री में लग रहा है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- फ्री में लग रहा है। जहां लगता है गड़बड़ वहां सही है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- तो हम आपको फोन करेंगे जलेगा तो।

सभापति महोदय :- कृपया, जल्दी समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :-आरक्षण के लिए आपको बहुत सारे निर्देश सामान्य प्रशासन से मिले हैं। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात आई है। मैं अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में भी बात करना चाहता हूँ। जो पूर्व से 16 प्रतिशत था, वह किसी कारण से 14 प्रतिशत में

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

आ गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आरक्षण 14 प्रतिशत की जगह 16 प्रतिशत करने का कष्ट करेंगे। अनुसूचित जाति बड़े विश्वास व्यक्त किए हैं।

सभापति महोदय:- कृपया समाप्त करें।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, एक छोटा सा विमानन विभाग है। मैं उसके सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ। हम बिलासपुर के चकरभाठा के लिए कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं कि वहां पर एयरपोर्ट ढंग से संचालित हो। लेकिन एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है, वहां पर जिस ढंग से अधिकारियों-कर्मचारियों में तालमेल का अभाव है, वहां की जो प्रक्रिया है, उसको लंबित करने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय:- कृपया समाप्त करें।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि विभागों के बीच में इन्टर कोआर्डिनेसन्स रहे। खासकर विमानन विभाग में इसके लिए बहुत कम प्रावधान है। इसमें प्रावधान को बढ़ाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय:- कृपया जल्दी समाप्त करें।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, जन शिकायत पर बात करना चाहता हूँ। जन शिकायत वास्तव में आम जनता की बातों को सुनने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। इसके लिए जिला स्तर पर भी प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन जब शिविर लगता है, उस शिविर में जनता की बात आनी चाहिए। सरकार के पास जमीनी स्तर पर जनता की बात कहने वाले ही लोग होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं। ग्राम सचिव के माध्यम से कि कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, कितने किसान लोगों की समस्या है, किसी को बिजली की समस्या है, ये सब बातें प्रशासनिक तौर पर सचिव के माध्यम से जन समस्या निवारण शिविर में आना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता है। किसी भी शिविर में, हम कितना मेहनत करते हैं, सरकार पैसा लगाकर शिविर का आयोजन करती है, हमारे अधिकारी-कर्मचारी कार्य करते हैं। लेकिन जन समस्या निवारण शिविर को लेकर गंभीर नहीं हैं। इसके कारण पूरी बातें, आम जनता की बातें रह जाती है। ऐसा लगता है कि ये कागजों में, किताबों भर में रह गया है। जन शिकायत समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कृपया उसको व्यवस्थित करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय:- कृपया समाप्त करें। श्री धर्मजीत सिंह जी।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, एक अंतिम बात, खनिज के सन्दर्भ में है। हम खनिज में बड़े-बड़े रोड ठेकेदारों को दे रहे हैं। जब कोई सामान्य आदमी मायनिंग की अनुमति लेता है तो उसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब कोई रोड का ठेकेदार आयेगा, तो उसके लिए सब नियमों को शिथिल करके उसको ठेका दे देते हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय:- कृपया बैठें।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, जो लोग विधिवत मायनिंग की रायल्टी देते हैं, पैसा पटाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको प्राथमिकता नहीं मिलती है। ये जो महाशय लोग आते हैं, ठेकेदार आते हैं, उनसे खरीदने के बजाय सीधे-सीधे अपने अनुसार से चलाते हैं। इस पर संशोधन करिये।

श्री अमरजीत भगत :- वे सब रमन सिंह के लोग थे। इस सरकार में ऐसा नहीं है।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत जी, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं और हम देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी रेत में जिस तरीक से योजना बनाए हैं, उससे पूरे गांव के गांव परेशान हैं। लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, आपने ऐसी नीति बनाई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी तो नई सरकार की नई नीति शुरू ही नहीं हुई है। आपके पुराने सरकार में गड़बड़ हुई है।

सभापति महोदय:- कृपया समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत :- दोनों हमारे नेता हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- रेत का स्वाभाव है कि मुठ्ठी में रखे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गया।

सभापति महोदय:- डाक्टर साहब, समाप्त करें।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, मैं छोटी-छोटी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग में प्रदेश के सबसे बड़े पदों की भर्ती पी0एस0सी0 के नये सिलेबस में संस्कृत को हटाकर के अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है। जबकि यू0पी0एस0सी0, आई0ए0एस0 के एक्जाम में अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं रखा गया है। सभापति महोदय, यह कौन सा तरीका है ? न हमारे बच्चे पहली कक्षा में अंग्रेजी पढ़ते हैं, न कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ते, उसको अनिवार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार करिए ।

श्री अमरजीत सिंह :- धर्मजीत भैया, जब हम लोग दिल्ली गए थे तो आप फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कहां से बोल लेंगे ।

डा. कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत जी, आप अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा को नहीं समझ पाओगे । धर्मजीत भैया ठीक बोल रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत सिंह :- धर्मजीत जी अंग्रेजी में बात कर रहे थे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अमरजीत जी, देशी और अंग्रेजी को बंद करोगे, पूर्ण शराब बंदी बंद करोगे तो ठीक रहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग जमीन में टाटपट्टी में बैठकर पढ़े हैं, नहीं तो अंग्रेजी बोलकर कई लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, उनकी बहादुरी ठीक कर दिए होते ।

श्री अमरजीत भगत :- टैगोर जी के यहां गए तो आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे ।

समय :
3:41 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- बाद में उसकी जमानत जप्त हुई थी । अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष पूर्ण कर चुके या जिनकी 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो गई हो, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को पूववर्ती सरकार ने जबरदस्ती सेवा निवृत्ति दे दी है, जिनकी संख्या हजारों में है । आपको इनको बहाल कर देना चाहिए था, मैं तो उनकी बात कह रहा हूं, मैं तो कौन सी उनकी पैरवी कर रहा हूं । इनकी सरकार ने बर्खास्तगी की, हजारों की संख्या में इनकी संख्या है, लेकिन इन्हें बहाल करने के सिलसिले में कोई भी जिक्र माननीय मुख्यमंत्री के बजट में नहीं आया है । जब फरवरी में बजट सत्र चल रहा था तो रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अभ्यावेदन को सामान्य प्रशासन विभाग का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया कि आपको ये नौकरी नहीं दी जायेगी । इस प्रदेश को बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी लील कर सुरक्षित जा रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे हैं, अगर वे थोड़ी सी कोई गलती कर भी दिए होंगे तो उनको सीधा फांसी की सजा सुना रहे हैं । पूर्ववर्ती सरकार ने सुनाया, माननीय मंत्री जी, आप तो छत्तीसगढ़ के हितों की बात कह रहे हैं, आप तो उनके हित के लिए बात करिए, एक कदम आगे बढ़िए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के हित की एक ही परिभाषा है, कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ बात कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं तो नरवा, घुरवा, गरूवा और बाड़ी में दो, 5वीं बात तो आप करो ही मत, अपेक्षा भी मत करो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आप तो ऐसा मत बोलो, जब 15 साल राज किये हो । धर्मजीत भैया को बोलने दीजिए ।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, नरवा, घुरवा, गरूवा और बाड़ी यही तो छत्तीसगढ़ की लाईफ लाईन है, आप उसको क्यों नकार रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी आपने नहीं की । शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने का भी आपने कोई जिक्र नहीं किया । राज्य के कर्मचारियों और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिकारियों को डी.ए. भी आपने देने की बात नहीं की । वर्ष 2019-20 के अनुमानित आय में व्यय का जो आंकड़ा आपने दिया है, उसमें पूंजीगत व्यय अर्थात् सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल के लिए मात्र 13 प्रतिशत का बजट है और शेष 87 परसेंट रेवेन्यू व्यय हैं । इसका मतलब है कि खाली तनख्वे में पैसा जायेगा, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अन्य विकास और जनोपयोगी कार्य के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज संसाधन के बारे में बताना चाहता हूं । कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत है । प्रदेश में खनिज राजस्व का 47.27 प्रतिशत योगदान रहता है । लोहा, लौह अयस्क 20.4 प्रतिशत योगदान देता है, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में है। देश के लौह अयस्क उत्पादन में 16.17 प्रतिशत छत्तीसगढ़ भाग देता है, बॉक्साइड में 168 मिलियन टन उपलब्ध है, जो देश के भंडार का 40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है । चूना पत्थर 8959 मिलियन टन भंडार का 4.84 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, डोलोमाइट का 919 मिलियन टन भंडार का 11.37 प्रतिशत यहां उपलब्ध है । पूरे प्रदेश में गौण खनिज

है । रेत खदान 800 की संख्या में पर्यावरण स्वीकृति के साथ यहां विद्यमान है । इसके अलावा हीरा, स्वर्ण धातु, एलेक्जेंड्राइड, कोरण्डम, मैग्नीज और दुनिया भर के सभी खनिज यहां उपलब्ध हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का आशय यह है कि इस प्रदेश की खनिज नीति इतनी लचर है कि आप देखियेगा, वर्ष 2017 और वर्ष 2018 का आंकड़ा बताना चाहता हूँ, दिसम्बर, 2017 तक परिवहन में 2959 प्रकरण दर्ज किये गये है और दण्ड वसूली हुई 3 करोड़ 80 लाख रूपये । इसी प्रकार उत्खनन में 392 प्रकरण दर्ज हुये हैं और दण्ड वसूली हुई 1 करोड़ 7 लाख रूपये । अवैध भण्डारण 54 हुये, 34 लाख 42 हजार का दण्ड वसूली हुआ । मेरा कहने का आशय सिर्फ यह है कि अगर 3-4 करोड़ रूपया देकर, फाईन पटाकर, पूरे प्रदेश की खनिज संपदा को, लूटने का अधिकार माफियाओं को, आपको देने का अधिकार किसने दिया । आप कोई भी एक प्रकरण बताईये, जिसमें आपने खनिज माफिया को जेल के सींखचों के अंदर डाला हो । एक माफिया बताईये, जिसमें उसके पूरे प्रापर्टी को राजसात किया हो । अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदा का दोहन और शोषण करने के लिए तो 4 करोड़ में तो कोई भी ठेका ले लेगा । मेरा कहने का आशय यह है कि टी.एस.बाबा साहब, मुख्यमंत्री जी की जगह में अभी आप ही हैं । उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी रहेंगे । आप जरा सुनिये । आर्थिक दण्ड कोई अपराधियों को नियंत्रण करने का अस्त्र नहीं हो सकता । उनको दंडित करने के लिए कानूनी रूप से जेल में डालने का प्रावधान करिये, तब इन माफियाओं में भय व्याप्त होगा । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है । क्यों हो रहा है । कोरबा में 34 लाख मीट्रिक टन राख आज की तारीख में हुआ है । 10 माह बाद 96 लाख मीट्रिक टन होने जा रहा है । क्यों ? जंगल हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, मजदूर हमारे, बड़े-बड़े उद्योगपति यहां पर आकर उद्योग खोले हैं, धूल-धक्कड़, घुंआ, पीलिया, मलेरिया, डायरिया, येसब

अप्रकाशित/अप्रकाशन के लिए नहीं

चीजोंको हमको उपहार में हमको देंगे ? पैसा वह कमाये, बीमार हमारा बच्चा पड़े । पैसा वह कमाये, हमारा किसान बेमौत मारा जाये ? पैसा वह कमाये, हमारा किसान नंगे बदन रहे ? राख के ढ़ेर में खेलने के लिए छोड़ने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चाहे टमाटर की सॉस बनाने की फैक्टरी खोल देना, गन्ने की रस की फैक्टरी खोलना और कुछ भी करना, लेकिन अब इस प्रदेश की छाती को पॉवर प्लाण्ट के बोझ को सहने की ताकत नहीं है । अगर आप किसी स्वार्थ के तहत पॉवर प्लाण्ट की अनुमति देंगे, यह माना जायेगा कि आप छत्तीसगढ़ के दो करोड़ पचास लाख लोगों के हितों की बलि चढ़ाकर दे रहे है । अध्यक्ष महोदय, जाईये जांजगीर जिले में, कही खेती नहीं हो पा रही है, कोरबा में प्रदूषण से मर रहे हैं, घर में कपड़ा टांगों काला हो जाता है । घर में बर्तन घूल से जम जाता है । आखिर हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं ? इतना सुंदर हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, मैनपाट की पहाड़ियों का ताज, इन्द्रावती कल-कल करती हुई, छत्तीसगढ़ के माथ को पखारती हुई, उस छत्तीसगढ़ को आप गंदगी के रास्ते पर ले जाने की सोच रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जुर्म, यह पाप जिसने भी किया हो । लेकिन अब छत्तीसगढ़ के साथ यह अन्याय अब मत कीजिएगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का क्लिंकर, बलौदाबाजर में, सीमेंट का 6-6 प्लाण्ट, 8-8 प्लाण्ट है, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने हजारों एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ की धरती का लीज में लिया है । अध्यक्ष महोदय, सीमेंट बनाना चाहिये ना। वह क्लिंकर बनाकर बाहर भेज रहे हैं । क्लिंकर का मतनब है, क्लिंकर में कोई पावडर मिलाकर मिक्सर मशीन में पीसने से वह सीमेंट बनता है और वह जी.एस.टी. भी नहीं दे रहे हैं । बलौदाबाजार में प्रतिदिन 5 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये की जी.एस.टी. की चोरी हो रही है । बलौदाबाजार के सीमेंट का मालिक इतने तानाशाह हैं कि वह पांच सीमेंट के मालिक आपस में बैठकर तय करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कल सीमेंट 200 रूपये बिकेगा या 250 रूपया बिकेगा । अध्यक्ष महोदय, हमारे खनिज संपदा में कलकत्ते में बैठे हुये बड़े-बड़े लोग, हैदराबाद में बैठे हुये बड़े-बड़े लोग, हमारे छत्तीसगढ़ का रेट तय करेंगे । हमारा क्लिंकर बाहर भेजेंगे, करोड़ो रूपये कमा रहे हैं, करोडो रूपये चोरी कर रहे हैं, इनके यहां भी रेड होना चाहिये अध्यक्ष महोदय, इनको भी जेल के सींखचों में भेजना चाहिये । इन उद्योगपतियों को हमने इसलिए उद्योग लगाने की अनुमति दी है ताकि हमारे प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, लेकिन इस प्रदेश को खोखला करने और लूटने की अनुमति नहीं है। मेरी जानकारी में जी.एस.टी. डिपार्टमेंट आपके पास है। माननीय मंत्री जी, आप इसे संज्ञान में लीजिएगा। आप रेट करवाईये। हर सीमेंट प्लांट में प्रतिदिन 10 करोड़ रूपये प्रतिदिन से ज्यादा की जी.एस.टी. की चोरी हो रही है। उसे रोकने का काम आपका है। वे लोग खदान खोद देते हैं लेकिन उसे खोदने के बाद उसे पाटेगा कौन? मनेन्द्रगढ़ के एम.एल.ए. डॉक्टर विनय जायसवाल जी बैठे थे, आप चिरमिरी को खोखा कर दिये हो। नियम है कि खदान खोदने के बाद उसे पाटना पड़ता है। कौन पाटेगा?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अगर वह नही पाट रहा है तो उसे देखना पड़ेगा। कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखने आयेगा? माननीय मंत्री जी, सेटेलाईट से नहीं दिखता है। फील्ड में जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए और वहां पर जो खदान खाली हो, जब तक वह खदान न पाटे तब तक दूसरे खदान में उसे फावड़ा और बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी रिक्त पदों की भर्ती का वायदा किया था लेकिन मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने दो विज्ञापन ड्राईवर और लाईब्रेरी के रिक्त पदों की भर्ती भर निकाला है और बाकी में आचार संहिता के नाम से खत्म कर दिये। जी.ए.डी. में आपके अधिकारी 15-15 साल से एक ही जगह बैठे हैं। आप इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं और इसमें आपसे भी विशेष रूचि लेने के लिए बहुत तैयारी से मैं यहां पर बोलना चाहता हूं। कोल इंडिया का एस.ई.सी.एल. आपके क्षेत्र में है। मंत्री जी आप भी सुन लेते तो बड़ी कृपा होती। एस.ई.सी.एल. का कुल उत्पादन 165 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। छत्तीसगढ़ में केप्टिव पॉवर प्लांट लगभग 20 के आसपास होंगे इन्हें प्रतिवर्ष लगभग 26 मिलियन टन कोयले की जरूरत पड़ती है जो कि एस.ई.सी.एल. के कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत होता है। एस.ई.सी.एल. में जो उत्पादन होता है उसका सिर्फ 15 प्रतिशत ही 26 मिलियन टन होता है। लेकिन एस.ई.सी.एल. हमारे प्रदेश के केप्टिव पॉवर प्लांट को सिर्फ 12 मिलियन टन कोयला ही दिया जा रहा है बाकी 14 मिलियन टन कोयला आस्ट्रेलिया से, मलेशिया या दूसरी जगहों से मंगाया जा रहा है। इसमें वहां से कीमत ज्यादा लगती है और केप्टिव पॉवर प्लांट का प्रोडक्सन कम हो गया है। अगर एस.ई.सी.एल. के लोग इनको पूरा 26 मिलियन टन कोयला दे दें तो कम से कम 500 करोड़ रूपये सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है क्योंकि जब वे प्रोडक्सन करेंगे, तो शासन को इनर्जी ड्यूटी और अन्य टैक्स में शासन को 500 करोड़ रूपये का फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं माननीय पंचायत मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कोल इंडिया के सी.एम.डी. को फोन करके यहां बुलवाईये और उनको बोलिए कि जब हमारी ही धरती से कोयला निकाल रहे हो, 165 मिलियन टन निकालते हो तो 26 मिलियन टन कोयला प्रदेश के उद्योगों को भी जिन्दा रखने के लिए उनको देने में क्या तकलीफ है और आप दबाव डालकर दिलवाईये। अगर वह 26 मिलियन टन कोयला उनको मिलेगा और वे आस्ट्रेलिया और मलेशिया से बुलाने से बचेंगे तो आपको 500 रूपये एनर्जी ड्यूटी के रूप में प्राप्त होगा, उसे आप बढ़ा लीजिए। अभी प्रोडक्सन स्लो-डाऊन हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने पांच-पांच होल्डिंग कंपनियां बनाई, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर, छत्तीसगढ़ जनरेशन, छत्तीसगढ़ ट्रांसमीशन, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूसन, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कार्पोरेशन। अध्यक्ष जी, इसकी जरूरत क्या है?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जब एक आदमी से काम चले तो छः बीमारी पालने की क्या जरूरत है, खर्च बढ़ाने की क्या जरूरत है ? छत्तीसगढ़ में अगर सरप्लस बिजली है, अगर आप धनाड्य हैं तो इतराने की कोई जरूरत नहीं है, अइठने की भी कोई जरूरत नहीं है, दम्भ करने की भी कोई जरूरत नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, पांचों के चेयरमेन एक ही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक या दो हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये पांचों स्टेट पावर कंपनियों को कम करिये। पहले एक था, आपको जरूरत पड़ी तो दो कर लीजिये। ये पांच सफेद हाथी पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गांवों में जो 20 साल पहले बिजली लगी हुई है, बिजली के तार सड़ गये हैं, भैंसा खंभे को छूता है तो खंभा गिर रहा है, तार गिर रहा है। बच्चे जल के मर रहे हैं, पैरावट में आग लग रही है, ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं, दो तार के तीन तार नहीं हो रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होइये, प्रैक्टिकल हो के गांव के लोगों की समस्याएं को सुनिये। यहां आंकड़ों में बैठ के बहस करने से, न उसमें छत्तीसगढ़ का भला होगा, न उसमें किसी की जीत होगी और न उसमें कोई हारेगा। तेलंगाना को आपने 3 रूपये या कुछ रूपये में बिजली दिया।

श्री अमितेष शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी वैसे विधानसभा का अपना महत्व है और यहां चर्चा में थोड़ा बहुत फायदा होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। बाहर भी ठीक है, लेकिन यहां विधानसभा का भी महत्व है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बोला वो आप समझे नहीं। मैंने ये कहा कि आंकड़ों में बहस करके कोई जीत हार नहीं होती। आप प्रैक्टिकल होइये, गांव की समस्या लाईये, यहां पर चर्चा करिये, उसका हल निकालिये।

अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहने के लिये खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- जो बोल रहे हैं वे इजाजत देंगे, मैं नहीं दे सकता ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर जी मैं तो अपनी बात कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- आपको डिस्टर्ब करने वालों को इजाजत दे रहे हैं तो दे दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो उनसे कुछ बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको देख रहा हूं और कभी कभी बाबा साहब की तरफ देख लेता हूं। अभी दो लोग ही लग रहे हैं कि यहां मैं बोलूंगा तो कुछ होगा बाकी जगह तो लोग खुद ही चिल्लाते रहते हैं, नरूवा, गरूवा, घुरूवा बाड़ी करके। मुझे अभी आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप भी उस क्षेत्र की समस्या से वाकिफ हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी भैया को प्रभावित कर रहे हैं लगता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पद मिला है आप अच्छे से काम करिये लेकिन

असंशोधित/पुर्नावलोकन के लिए नहीं

याद रखिये, पद में अगर आप बदले की भावना लेकर का करेंगे उसी वक्त आपके विनाश का समय शुरू हो जायेगा। इसलिए सहृदयता से विशाल दिल से, जो गलत है उसको सजा दीजिये, लेकिन अगर मैं नापसंद हूं तो मुझको सजा मत दीजिये। मैं आपको नापसंद हो सकता हूं लेकिन आप मुझे तंग करके कुछ नहीं पा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि हमने राजनीतिक इतिहास में देखा है। ये 68 के बहुमत में इतना अहंकार करने की जरूरत नहीं है। हमने हिन्दुस्तान के इतिहास में देखा है, 425 सीट पा करके भी एक नेता चार साल बाद बहुत बुरी स्थिति में चुनाव में पराजित हुआ। 1977 में हिन्दुस्तान में एक बड़े नेता की सरकार को बदल करके दूसरे नेता बने लेकिन उन्होंने उनका नाम जपना नहीं छोड़ा तो ढाई साल में भी उस सरकार का पतन हो गया। मैंने पहले दिन ही कहा था कि आप 68 के बहुमत पर हैं, लेकिन जब आप सरकार में बैठेंगे तो आपको अहंकार आना शुरू होगा। तब मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप अपने अहंकार को रोकें और लोगों को सम्मान दें। हम विरोधी दल के लोग चुन करके आये हैं। कल एक घटना हुई है। एक मंत्री जी से अगर एक पूर्व विधायक जा करके कोई अपनी बात कहना चाहता है तो पुलिस की लाठियों का शिकार होता है। हम लोग भी तो जनता से चुन करके आये हैं, ये कहां लिखा है कि हमको जनादेश नहीं मिला है लेकिन अगर कोई आपका कार्यक्रम हो, आप हमारे भी मंत्री हैं। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, अगर आपका कुछ कार्यक्रम होता है तो विरोधी दल के विधायक को वहां सम्मान सहित नहीं बुलायेंगे, नहीं बैठायेंगे, तो ये प्रजातंत्र का अपमान होगा। हमको अगर लाठियों के तत्पर से दूर करेंगे तो ये प्रजातंत्र का अपमान होगा। इसलिए जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने की संस्कृति भी इस सरकार में पैदा हो। अध्यक्ष जी अभी तक तो 15 साल 15 साल का जवाब सुनते आये हैं। आपका समय शुरू होता है कल, और जब कल विनियोग विधेयक पेश होगा उसके बाद जवाबदेही आपकी होगी। तब अगले सत्र में आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा ? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

समय :
4:00 बजे

<u>विनियोग विधेयक के प्रस्तुत करने की समय में वृद्धि</u>

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 के उप नियम (2) के अंतर्गत अनुदान के मांगों के लिये नियत अंतिम दिन 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है। चूंकि अभी मांगों पर चर्चा शेष है, अत: अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने हेतु समय की वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

अशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों का चर्चा (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा। आप दोनों समय का उपयोग कर लीजिए। उनका भी अपना भी और खत्म कर दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। वह भी दो मिनट क्षेत्र के लिए बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- फिर आपको मैं तीन मिनट का समय देता हूँ। आपके लिए उससे ज्यादा समय नहीं है। 5.30 बजे मुख्यमंत्री जी भाषण देंगे। उसके पहले ये आधा घण्टा बोलेंगे। आप कम से कम समय में अपनी बात रखें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपका निर्देश है, मैं उसका पालन किया हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांग में बोले बर खड़े होए हों। ये अनुदान मांग में सबसे महत्वपूर्ण हे सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग एकर बर महत्वपूर्ण हे, कि योजना कोई भी बनए, जब तक ओ योजना ला लागू करे बर, प्रशासन हर मुस्तैदी के साथ नइ खड़े रही, प्रशासन में कसावट नई रही तो योजना सफल नइ हो सके। आज सरकार ला भले ज्यादा दिन नइ होय हे, लेकिन हमला प्रशासन में कोई फेर बदल नइ दिखत हे। प्रशासन में कोई कसावट नइ दिखत हे, कोई योजना ला लागू करे बर, कोई जनता मन के हित मा काम करे बर। हा नेता मन के कहे मा अगर कोई काम कर देत हो ही ते अलग बात हे लेकिन सामान्य आदमी बर कोई अच्छा काम करत हे प्रशासन हर। प्रशासन में बइठे हुए अधिकारी मन अइसे कहीं महसूस नइ होवत हावए।

माननीय अध्यक्ष महोदय,पिछले सरकार में भी हमर एके ठन बात रहिसे कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आथे, वो जनता मन के प्रति जवाबदेह होथे अउ जनप्रतिनिधि ला जनता मन कथे कि कोई जगह अन्याय, अत्याचार होवत हे तो एकर से हमला निजात दिलावव। कोई सरकार के योजना के लाभ नइ मिलत हे तो हमला लाभ ला दिलावव। लेकिन प्रशासन के अधिकारी मन जनप्रतिनिधि मन के बात ला भी नइ सुनत रिहिन हे, अउ आज भी वही स्थिति हे। अगर एक विधायक, सांसद चिट्ठी लिखत हे तो पूरा प्रदेश के अधिकारी ओकर जवाबदेह ला अपन जवाबदारी अउ जिम्मेदारी नइ समझत हे। अउ अगर कहीं गलती से जवाब आ जावत हे तो कलेक्टर के जवाब आवत हे कि आपके पत्र ला मय तहसीलदार ला भेज दे हों। हम जनता के का हित कर सकत हन ? जे आवाज ला ये प्रशासन के अधिकारी मन दबाए के काम करत हे। जनसमस्या निवारण शिविर के आयोजन होवत हे, प्रत्येक सप्ताह कलेक्टोरेट मा

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुविभाग मा जन दर्शन के कार्यक्रम आयोजित होवत हावय। ये केवल एक औपचारिकता निभाए के काम होवत हे, कोई जनता मन के हित करे के काम नइ होवत हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन मा कसावट लाए के आवश्यकता हे। अधिकारी कर्मचारी जेमन के रूझान भ्रष्टाचार के तरफ हे, लेनदेन के तरह हे ओमा कसावट लाए के जरूरत हे। जे दिन ये व्यवस्था ला ये सरकार बना लिही, निश्चित रूप से ये सरकार के योजना के लाभ आम जनता ला मिलही। ये प्रदेश हा खनिज के प्रदेश है, इहां खनिज के भण्डार हे, अउ खनिज के भण्डार मा खदान के मालिक मन तो लाभ कमात हे, खदान के मालिक मन पइसा कमात हे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो ये खनिज के मालिक हे तेमन बहुत दु:खी, लाचार, बेबस हे। आदरणीय धर्मजीत जी बतात रिहिन हे कि 4 करोड़ रुपया के जुर्माना पड़े हे, तो जुर्माना कोई अवैध खनिज के काम करईया ला नइ पड़े हे, गांव के गरीब आदमी जे हा एक ट्रेक्टर लाकर के अपन प्रधानमंत्री आवास में घर बनावत हे, ओकर ट्रेक्टर ला पकड़ करके ओला जुर्माना किये गे हे। कहीं कोई आदमी अपन घर बनाए बर कोइ तरिया, नरवा मा एको ट्रेक्टर पथरा निकाले हावए, तेला पकड़ कर के ओकर बर जुर्माना किये गे हे, अवैध काम करईया कोई खनिज के गिरोह हे तेकर बर कोई आज तक कार्यवाही नइ होए हावए। ये मन के ऊपर कार्यवाही होय, तो आज खनिज के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश मा जतका कन राजस्व आत हावय, ओकर 10 गुना से भी ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ प्रदेश मा खनिज के माध्यम से आही। माननीय अध्यक्ष महोदय, जतका खदान हे, जब ओला ठेका दिये जात हे तो नियम अलग बनथे। स्थानीय आदमी ला ओकर रोजगार मिलय का के बात होत हे। लेकिन जैसे ही ठेका होत हे, ठेकेदार बड़े-बड़े मशीन लात हे, जतका क्षमता नहीं हे, तेखर ले ज्यादा बारूद जला थे, जेकरा भी खदान हे, आज ओ गांव के घर मन टूटे लागत हें, सरकारी बिल्डिंग मन टूटत हवय, काबर की ज्यादा क्षमता के ऊंहा बारूद चलात हें, पत्थर ला तोड़त हावय। ऊहां कोई क्षेत्रीय आदमी ला काम नई मिलत हावय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला खनिज न्याय संस्थान के गठन किये गईस। अउ ओकर से प्रभावित क्षेत्र मा ओ राशि के उपयोग किये जाय करके नियम बनाय गईस। अभी नवा सरकार ओमा रोक लगा देय हे। हमन जांजगीर चांपा जिला मा एक साल में 100 करोड़ डी.एम.एफ मद मा आत हे। कई ठन ऐसे स्कूल हे, जे भवनविहीन हे, ओकर बर स्वीकृति दे रहिन हे, ओला भी रोके के काम करे हवय। अब कौन सा राशि के दुरूपयोग होत हे, जे स्कूल में भवन नहीं हे, लईका मन ला बैठे बर भवन के स्वीकृति हो गये हे तो कौन सा दुरूपयोग होत हवय। माननीय मुख्यमंत्री जी कहत रहिन आप डॉक्टर, मास्टर रखा, मास्टर रखना सरकार के काम हे, आप रखा न, कौन मना करत हे। विज्ञापन निकाला, छत्तीसगढ़ में 50 हजार मास्टर के कमी हवय, मास्टर के भर्ती करा। रायपुर के अस्पताल मा डॉक्टर नई

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

पात हव तो जांजगीर चांपा जिला के डी.एम.एफ. के पैसा मा ओ कलेक्टर हा कहां ले खोज के लागही। कौन डॉक्टर ला वहां नियुक्ति देही?

समय :
4:07 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अमरजीत भगत :- नहीं गा, ऐमे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करत हे तो अच्छा बात हे न। अगर डॉक्टर, मास्टर व्यवस्था होवत हे, ये बात हे अच्छा हे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अमरजीत भैया, क्या स्कूल नई बनना चाहिए ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- तैं तो एक जिम्मेदार मंत्री बरोबर जवाब देथस भाई। तैंहा चुप बैठ नई सकस।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मंत्री ले कम थोड़े हय।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- तय अपन जगह ओला दे दे न।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र के सेमराडीह गांव मा स्कूल नई हे, एको ठन सरकारी बिल्डिंग नई हे, खुला में लइका मन बैठत हें। उहां स्कूल के बिल्डिंग स्वीकृत हो गये हे, ओला रोक देव हवव, भौंथिया में स्कूल नई हे, ओला रोक देय हवय। जैजैपुर में 30 बिस्तर के अस्पताल हें, 12 ठन बिस्तर लगथे, ओकर विस्तार बर 76 लाख स्वीकृत हो गये हे, ओला रोक देव हवय। ते ये गलत हे न। हां एकर बर रोक देय होईहा कि चल ओ विपक्ष के विधायक हे, आने दल के विधायक हे, ता ओकर क्षेत्र के काम ला रोक देई, ऐसे अगर राजनीतिक दुर्भावना से कोई काम होत होईही तो आप मन ठीक करत हन।

श्री अमरजीत भगत :- नई गा, एमन जा हे, बंदरबाट करे रहिन, जो काम के जरूरत नई रहिस ओहू मन ला स्वीकृत कर देय रहिन, एकर सती ओला रोके गईस हे। ओला प्राथमिकता तय करके करल जाही।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- गौंण खनिज के राशि मा प्रशासन के नियत खराब हे। गौंण खनिज जें गांव में खदान हे, ओ गांव मा पंचायत में पूरा पैसा जात हे, जनपद मा पैसा जात हे तो भई, ग्राम पंचायत तय करही, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एक स्वंतत्र संस्था हे, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हे, ओमन तय करही कि हम का काम करवाई। ओमन तय करत हे, प्रस्ताव बना कर भेजत हें, कलेक्टर नई कहत हे, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. नई कहत हे, मैं जे काम ला कहिहौं तेला अगर प्रस्ताव बनाबे तो ओ काम आ होईही। ऐसे प्रशासनिक आतंकवाद ऐ प्रदेश में हे। 15 साल तक एमन करिन, 15 सीट में सिमट गेईन। ऐ मन जो करिन, ते तो करिन, अब तो ठीक-ठाक कर लेव, अब तो सुधार कर लेवव,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रशासनिक आतंकवाद ला अब तो समाप्त करा। जब तक ये प्रशासनिक आतंकवाद ला समाप्त नई करिहा तो वही गिरोह मा तुहू मन घिरा जाहे। फिर ओई मन अपन हिसाब से तुमन ला चलाये के काम करिही और वो दिन तुम्हर सोच हा जनता के प्रति नई बनय, बल्कि केवल अपन व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ बर रहिही। तेकर बर मैं कहना चाहत हौं कि छत्तीसगढ़ के जो खनिज साधन हे, केवल सरकार के न होय, हम सब मन के, छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी मन के, मजदूर के, किसान के हे और एकर से प्रभावित छत्तीसगढ़ के एक-एक नागरिक होत हावय। ओकर से जो राजस्व आत हावय ओला बाहिर प्रदेश के उद्योगपति मन ला मत कमान देवव, बल्कि छत्तीसगढ़ के हित मा ओकर काम ला करा।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम ऊर्जा के बारे में दो मिनट बोल लेथओं । हमर प्रदेश मा बिजली बनत हे । बड़े-बड़े कारखाना आ गिस, हमरे जमीन हे, हमरे नदी हे, ओकर पानी के उपयोग होत हे अऊ हमरे जमीन के अंदर के कोयला हे लेकिन बिजली के का हालत हे ? जेन प्रदेश में हम बिजली बेचत हन उंहां सस्ता हे अऊ सब चीज ला प्रदूषण ला खात हन, धूल ला खात हन, हमर संपत्ति ला लगाये हन, उंहां बिजली महंगा हे, सरकार ला आधा करे के जरूरत पड़त हावय कि बिजली बिल हाफ करे के जरूरत पड़त हे । बिजली हाफ करे के जरूरत नइ हे, छत्तीसगढ़ के धरती में अगर उद्योग लगाये हओ, इंहां ले अगर बिजली बनात हओ, बाहिर प्रदेश में बेचत हावा तो इंहा के अगर जनता मन ला लाभ दिहा तो आप जो आधा करे हओ तेकर से भी सस्ता इंहां के बिजली ला मिलना चाहिए । बिजली के विस्तार होगे, खंभा बढ़ गे, तार बढ़ गे, ट्रांसफार्मर बढ़ गे, सब-स्टेशन बढ़ गे, बिजली के उपभोक्ता बढ़ गे लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी मन हा खियागिन हावय, कम होगे । अब हमन ला कैसे बिजली मिलय, डॉ. बांधी जी कहत रहिन लूज कनेक्शन हे । बांधी जी कइसे लूज कनेक्शन नइ रइही ? ट्रांसफार्मर जल जात हे, 10 दिन में ट्रांसफार्मर नइ बदलत हे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल तक लूज सरकार आगे रहिसे तेकरे सेती लूज होगे रहिसे । अब टाईट सरकार आगे हे अब टाईट होही ।

श्री अमरजीत भगत :- ऐकर कनेक्शन तो पहिली से लूज है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 10 गांव ला टाईट कर दओ । अच्छा बिजली कनेक्शन मिल जाये, पॉवर मिल जाये ता हम जान जईन ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, उपभोक्ता के अनुरूप, बिजली लाईन के अनुरूप जब तक बिजली विभाग में कर्मचारी नइ रहिसे, सबला ठेका दे दिन । एक खंभा टूटही ता ठेकेदार बनाही । एक ठन सामान लगही ता ठेकेदार लाही अऊ ओ सामान मन में गुणवत्ता नइ हे, ऐमा जब तक सुधार नइ करहीं तब तक हमन के हित नइ होवए । ट्रांसमिशन लाईन लगात हैं । कौन जने

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

बडे-बड़े लाईन जाथे, कहां ले कहां जाथे ? हमन ला तो मालूम नइ हे लेकिन हमर जमीन में गडत है, हमर पेड़ कटत हे, हमर फसल के क्षति होत हे, आजे राजस्व मंत्री करा हमन ध्यानाकर्षण लगाये रहेन लेकिन किसान मन ला मुआवजा नइ मिलत हावय । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला कहना चाहत हंओं कि आप प्रशासन में कसावट लावओ, छत्तीसगढ़ के जनता के हित मा, छत्तीसगढ़ के जनता मन ला परेशान मत करओ, कोई रेता के नाम से, कोई एक ट्रेक्टर गिट्टी के नाम से, ओमन के ट्रेक्टर ला जब्ती कर लेत हांवय । बड़े-बड़े खदान के मालिक हैं । जेन मन रॉयल्टी के चोरी करत हैं ओला परेशान करओ, ओला तंग करओ । निश्चित रूप से ओकर लाभ मिलही अऊ बिजली के व्यवस्था ला भी, ट्रांसफार्मर के व्यवस्था ला भी देखओ, ए साल आप मन छूट देहा तो भारी अकन धान लगे हावय अऊ दू दिन ट्रांसफार्मर अगर जल जही ता ओ धान हा खत्म हो जही तो आप ओकर व्यवस्था ला भी बनावओ । माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले बर मौका दे हओ तेकर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांग के समर्थन में खड़े हंओं।

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहत हंओं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण अऊ मध्यप्रदेश अऊ छत्तीसगढ़ काबर बनिस ? वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होइस, छत्तीसगढ़ मा अलग होए के बाद मा छत्तीसगढ़ में एक उम्मीद जागे रहिस हे कि छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा पानी है, छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा कोयला है, छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा वन है, इहां के प्रदेश मन के भी आज हमन विकास करबो अइसे सोच बनाकर ओ प्रदेश से अलग होए रहिस हे । 15 साल तक इंहां राज करे गिस लेकिन 15 साल में का मिलिस ? मैं ओ क्षेत्र के रहइया हंओं जहां पर 3-3 ठा पॉवर प्लांट लगे हे । 3 ठा पॉवर प्लांट जा के देखिहओ ता चिरई हा बुलके नइ सकत हे, हमन नान-नान रहे हावन ता गुड़ेरा चिरई देखन, मैना देखन, बाज देखन, सुआ देखन लेकिन आज जाके देखिहओ ता जतका हे ओ हा तार मा झटक के मर गे हे, एक ठन चिरई-चिरकुन नइ पावओ । मैं आज ए छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दिहूं कि आज छत्तीसगढ़ के महतारी, छत्तीसगढ के बेटा मन गौरवांवित होत हे कि अइसे आज मुख्यमंत्री पाये हन जेन नरूवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी के बात करथे । आज मैं ए बात ला बार-बार सुनथओं नरूवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी । मैं आज सदन से कहना चाहत हंओं आप मन जय स्तम्भ चौक पर, घड़ी चौक पर जाकर देखिहा ता काय स्कॉय वाक बने हे, हम छत्तीसगढ़िया आदमी मन तो गोठिया ला नइ जानन । ओकर का उपयोग । ओमा कोन आदमी रही । लेकिन जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के दुख दर्द ला समझ करके नरवा, गरवा, घुरवा बारी करके ए परदेस ला आगे बढ़ाए के बात करथे तो एमन ला समझ नइ आत हे ।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें रामकुमार जी ।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय जी, मैं थोरे से समय लेहौं, मुख्यमंत्री जी ले भी कइहौं कि मोला थोड़े से बोले के मउका दिये जाए । आज ए प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज हम जाकर देखथन, एखर पहिली सरकार बडे बड़े कोयला ला जोर के लेजावत राहय । हमन मोटर सायकल मा जात रहन तो कहय..ए रोको, रोको, रोको । हमर दाई ददा मन झोला मा दवाई रखे रहेन । ओला दुनिया भर के जांच करए, चेक करए । आने के मोटर सायकल मांग के जात रहेत आउ 200, 300 रूपए पेट्रोल भराए बर रखे राहन ओला भी ले लेवय । अउ बड़े बड़े खनिज वाला मन ले जावय ओखर कोई ठेका झेका नई । लेकिन धन्यवाद देहौं मैं हा मुख्यमंत्री जी ला । जब हमर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हे तो आज छत्तीसगढ़िया बेटा मन भी सीमा तानकर चलते हैं, तेखर लिए मैं मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देवत हौं । अंत में कहना चाहत हौं । वइसे गोठियाना तो बहुत सारा रिहिस हे लेकिन कुछ विषय ला कहना चाहत हौं । सामान्य प्रशासन मोर मुख्यमंत्री जी करा हावय । मैं निवेदन करिहौं, मुख्यमंत्री जी थोड़ा मोरो ओर देखौ, मैं निवेदनपूर्वक कहना चाहत हौं, छत्तीसगढ़ मा एक कहावत हे, कोस कोस में पानी बदले, अउ 15 कोस मा बानी । कोस कोस में पानी बदले, 15 कोस मा बानी । यहां पर आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी ले बनकर आवत हैं, कोना आंध्रप्रदेश, कोनो तामिलनाड़, कर्नाटक दुनिया भर के मन इहां आवत हैं, अच्छी बात हे, बहुत अच्छी बात हे । हमर लोकतंत्र के संविधान के अनुसार कलेक्टर बन गे ।

सभापति महोदय :- समाप्त करे रामकुमार जी ।

श्री रामकुमार यादव :- बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़िया बात हे तेला बोलिहौं साहब । आत हवै अउ कलेक्टर बनके कोना जिला में चल दिस, हमर दाई ददा मन जाकर काहत हें बेटा कलेक्टर साहब, मैं बासी ला खाकर आए रहेंव मोर काम हे तेला कर दौ आप । लेकिन वो हा छत्तीसगढ़ी बोली ला समझत नइ हे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला कहना चाहत हौं कि अइसे आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर मन ला, जब बनकर आवत हे तो कोई बोली ला भी चाहे बस्तरिया हो, चाहे सरगुजिया हो चाहे छत्तीसगढ़ी बोली हो ओखरों लिए भी ट्रेनिंग दिये जाये । ताकि हमर छत्तीसगढ़िया मन के बोली ला समझ सकय ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- अंत में, अपन क्षेत्र के बात कहि के अपन वाणी ला विराम देवत हौं । मोर क्षेत्र मा तीन पावर प्लांट हे ।

सभापति महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी ।

श्री रामकुमार यादव :- पावर प्लांट के कारण वो गांव प्रभावित हे । कबीर साहब के दोहा हे, जल में रहिके प्यासी, मोला सुन सुन आवै हंसी । ओमन के बिजली, कोयला, पानी, रोड सब चले गे है अउ ओमन के बड़े बड़े बिजली बिल आथे। कम से कम ओ गांव मा जो गांव बिजली से प्रभावित हे, जहां

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पावर प्लांट लगे हे ओ गांव ला बिजली बिल से फ्री कर दिये जाए, अइसे निवेदन करिहौं । कम से कम जो गांव प्रभावित हे, पावर प्लांट जलत रथे आउ ओमन दिया ला बात के रहे रथे । अंत में मोर क्षेत्र में एक ठो डी.ई. स्तर के डभरा में एक कार्यालय खोल दिये जाए । धन्यवाद ।

समय :

4:19 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता । छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता । माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, आप नेता जी की जगह भाषण दे रहे हैं या वो अलग भाषण देंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- नेता जी आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- वे भी भाषण देंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- हां देंगे ना ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप कम समय में समाप्त करेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- ये उपनेता भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- तो फिर उन्हीं को बोलने दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- माने सचेतक हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आठ-आठ विभाग हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- तो 9-9 लोग तो बोल रहे हैं आप लोग ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कहां 9 लोग बोले हैं, 5 लोग बोले हैं, छठवां बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- 9 की लिस्ट है ।

श्री नारायण चंदेल :- बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं ।

श्री कवासी लखमा :- जब बोल रहे थे तो आप नाम काटने की बात कर रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी से विशेष अनुमति प्राप्त कर रहा हूं भाई मैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय :- कम समय में बोलिए ।

श्री नारायण चंदेल :- हमारे विद्वानों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना तो कठिन है । हम शपथ तो ले लेते हैं । हम संविधान को साक्षी मानकर शपथ

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो ले लेते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब इस पूरे बजट को हम देखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग को देखते हैं तो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंधित विभागों में छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसे विकास के रास्ते पर जाए, सिवाय गरवा, घुरवा, नरवा, बारी एकर छोड़के अउ कुछ दिखत नहीं हे एमा संगवारी। शब्दों का चयन अच्छा है।

श्री मोहन मरकाम :- वही में सब राज है संगवारी साहब। आप देखते तो जाइए।

श्री नारायण चंदेल :- पहली ते चुप बइठ तो। पहली चुप बइठ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक ठल अउ हे सर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ओला भुलागे रहो। गढ़बो।

श्री नारायण चंदेल :- शब्दों का चयन अच्छा है। हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। बधाई इसलिए कि शब्दों का चयन अच्छा किये हैं लेकिन बजट में पूरे छत्तीसगढ़ को हम कैसे विकास के रास्ते पर ले जायेंगे ? कैसे यहां की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ? यहां की बुनियादी समस्याओं का कैसे निदान करेंगे? इसके लिए कोई ठोस आधार कोई ठोस नीति का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां सदन में बैठे हैं। सभी जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। डिप्टी कलेक्टर से लेकर बाकी अन्य कर्मचारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारी केन्द्र की सरकार जो दिल्ली में चल रही है। माननीय मोदी जी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप दिल्ली के मंत्रालय में जाइए। अधिकारी समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- किस तरह का माननीय । ये 15 लाख वाला सीखना है। 15 लाख वाला सीखना है।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा पहली चुप बइठ तो ते।

श्री नारायण चंदेल :- वैसे ही अनुशासन का पालन मंत्रालय में होना चाहिए और सभी विभाग के। जितने भी शासकीय कार्यालय हैं। अधिकारी समय पर आये, कर्मचारी समय पर आयें और समय पर जायें। क्योंकि हमारी जो गरीब जनता है, जो गांवों से आती है, सुदूर क्षेत्रों से वे छोटे-मोटे काम को लेकर आते हैं। हमारे अधिकारी और कर्मचारी भाई 11 बजे आते हैं, एक बजे लंच में जाते हैं और फिर 3 बजे वापस आते हैं। 5 बज नहीं पाता साढ़े चार बजे से जाने की तैयारी करते हैं तो इसलिए काम का समय सुनिश्चित हो। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए और कड़ाई से पालन होना चाहिए। मैं अपने जिले की बात बताता हूं वहां पर जांजगीर-चांपा जिले में अधिकारी और कर्मचारी अप-डाउन करते हैं क्योंकि अधिकारियों के आवास की ढंग से कोई सुविधा नहीं है। जांजगीर-चांपा जिले में 25 मई, 1998 को जिले का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक वहां कलेक्ट्रेट में कंपोजिंग बिल्डिंग नहीं है। कई

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो अन्य ऑफिस हैं, वे इतने साल बाद भी किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। तो इन सब बातों पर वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, आपको भी धन्यवाद है। (हंसी) लेकिन मैं बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया हूं। मैंने समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया है (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद दिये हैं।

श्री नारायण चंदेल :-नहीं, वे समय दिये हैं कहां बोला हूं। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत विभाग, ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। बहुत से बातें माननीय सदस्यों ने कही है कि ट्रांसफार्मर की, लाइन की। सब ढिला हो गया है। जर्जर हो गया है। उसमें विद्युत का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। सब स्टेशनों का निर्माण जहां पर आवश्यकता है, वहां होना चाहिए लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बिजली की चोरी को रोकने का प्रयास करना चाहिए और जो बिजली चोरी हो रही है, उस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इस पर कोई ठोस नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। बिजली का बिल अनाप-शनाप आ रहा है और मध्यम वर्ग आदमी या जो छोटा आदमी है, किसान आदमी है, वह बिजली के बिल को लेकर परेशान है और जब वह उसको सुधरवाने के लिए बिजली ऑफिस जाता है तो वहां पर जो अधिकारी-कर्मचारी बैठते हैं, वे बार्गेनिंग करते हैं तो यह उचित नहीं है। हमारे जिले में बहुत से उद्योग है, पावर प्लांट हैं और भी निजी उद्योग हैं, पूरे प्रदेश में लेकिन सी.एस.आर. मद से जो काम होना चाहिए, उसमें कंडीशन है, वह अपनी कमाई का, अपने लाभ का इतना प्रतिशत हिस्सा जनहित में खर्च करेगा। लेकिन उस 2 प्रतिशत की राशि को कई उद्योगपति कभी भी खर्च नहीं करते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर उद्योगपति के साथ कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। उसकी मानीटरिंग हो। उसने हर साल जो लाभ अर्जित किया है, क्योंकि यहां की मिट्टी, यहां की हवा, यहां की पानी से उसका उद्योग चल रहा है। यहां की पानी और यहां की जवानी लग रही है। लेकिन उसके बाद भी जनहित में उस राशि को खर्च नहीं करते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। क्योंकि उनके विभाग पर चर्चा हो रही है, हमारे जो विधायक मित्र हैं, जो हमको जनसम्पर्क निधि साढ़े तीन लाख रूपया दिया जाता है, उसमें बढ़ोत्तरी करने की कृपा करें।

श्री अमरजीत भगत :- चंदेल जी, विधायक निधि बढ़ाये हैं, उसके लिए एक बार बधाई तो दे दो भाई।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- बधाई।

श्री अमरजीत भगत :- बढ़िया से दे दो।

श्री नारायण चंदेल :- तगड़ा बधाई। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सित्तो के बधाई देवत हे, अमरजीत जी।

श्री मोहन मरकाम :- चंदेल साहब, हमर सी0एम0 साहब, अति उदारत से देवत हे, ओखर बाद भी कटौती प्रस्ताव लावत हा।

श्री नारायण चंदेल :- तै सरोत्तर बैठ तो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने चुनाव के पहले हसदेव की पदयात्रा की थी। जहां कोरिया जिले में हसदेव नदी का उदगम स्थल है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा और आपका विधान सभा क्षेत्र लगा हुआ है। जांजगीर-चाम्पा जिले में जो बांगो बांध है, वह हमारी जीवनदायिनी हसदेव पर है। लेकिन हसदेव नदी दिनोंदिन प्रदूषित हो रही है। उसमें सारा कचरा डाला जा रहा है। इसलिए हसदेव को बचाने के लिए कोई कारगर योजना सरकार को बनाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया सुझाव है, इसी तरीके से 2-4 सुझाव दे दीजिये और खत्म करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चाम्पा जिला एक ऐसा जिला है, जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित है। जहां पर सिंचाई का रकबा सबसे ज्यादा है और उद्योग भी सबसे ज्यादा है। प्रदेश नहीं, देश में ऐसे बिरले जिले बहुत कम मिलेंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, विमानन विभाग भी उनके पास है, बड़ी संख्या में आवागमन होता है। आपको भी आसपास जाना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाना पड़ता है। तो जांजगीर-चाम्पा जिले में कोई हवाई पट्टी का निर्माण हो जाए, यह अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से है।

अध्यक्ष महोदय :- जमीन आप बता दीजिये, मैं भी सिफारिश कर दूंगा।

श्री नारायण चंदेल :- वह तो आपकी सिफारिश से ही होगा।

अध्यक्ष महोदय :- जमीन बताना।

श्री नारायण चंदेल :- वो हम बैठ के बताबो। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे प्रदेश में, अपने जिले में बड़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में इन अनुदान मांगों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे। उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा-पत्र में किया था। उस पर कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई है। मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि बेरोजगार नवजवानों के लिए कोई ठोस नीति बनाये। ताकि उनको रोजगार मिल सके या उनको समय पर बेरोजगारी भत्ता मिल सके। माननीय अध्यक्ष

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रश्मि आशीष जी। तीन मिनट में बोलिये।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर (तखतपुर) :- मेरा नंबर पांचवे नंबर में था, तो मैं सोची कि शायद अब नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए आपको दो मिनट दिया गया है।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बोलने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- रोज मिलता है।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बहुत से विषय उठे। मैं उसमें से सबसे पहले अधिकारियों के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। आप हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिये कि मारी सरकार उन्हीं अधिकारियों से काम ले रहे हैं, जो अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के समय काम कर रहे थे, जो आप छोड़कर गये थे। सरकार ने कोई भी आयातित अधिकारी नहीं लाया है। आप सभी विधायक, मंत्रियों के ऊपर शासन कर रहे थे, सरकार बदलते साथ ही तीन दिन में छत्तीसगढ़ छोड़कर चले गये। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न सुरक्षा कानून के बारे में भोजन के अधिकार पर चर्चा हो रही थी। मैं पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम उन्हें सदन में यह उल्लेख तो करना पड़ गया कि यह यू0पी0ए0 शासन की लाई हुई योजना थी, भोजन के अधिकार कानून के अन्तर्गत यह कानून लाई थी। (मेजों की थपथपाहट) तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि यदि परिवार में 5 सदस्य से कम हैं, तब भी 35 किलो चांवल प्रति राशन कार्ड में दिया जायेगा और पांच से अधिक संख्या होने पर 7 के गुणांक से उन्हें अनाज दिया जाएगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि क्योंकि हम में से अधिकांश सदस्यों ने अपने क्षेत्र में वादा किया था कि परिवार में पांच सदस्य से अधिक होने पर 7 के गुणांक से अनाज दिया जायेगा, इसके लिए नियम-कानून में बदलाव किया जा रहा है । तीसरी महत्वपूर्ण बात स्काई के बारे में चर्चा हो रही थी कि मोबाईल बांटा । मोबाईल बांटने की हड़बड़ी उसके भ्रष्टाचार की ओर इशारा है। पहले 15 हजार गांव में कनेक्टिविटी दी जानी थी, उसके बाद मोबाईल बांटने की बात थी, लेकिन आचार संहिता के डर से हड़बड़ी में मोबाईल बांट दिया गया, फिर भी कई लाख मोबाईल नहीं बांटे गए । ये भ्रष्टाचार की ओर ही इशारा करता है । मैं कहना चाहती हूं कि मोबाईल बांटने की बजाय सरकार ने किसानों के धान का बोनस बांट दिया होता तो क्षेत्र का ज्यादा भला हुआ होता। मोबाईल का दुरूपयोग छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं, अभी बताया गया कि माताओं के हाथ में मोबाईल है, बहुत सी

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

महिलाओं के हाथ में मोबाईल आये, इससे पहले महिलाएं मोबाईल से वंचित थीं तो मां के मोबाईल को एक 6-7 साल का बच्चा लेकर हर विधान सभा क्षेत्र में जब आप कार्यक्रम में जाते होंगे तो छोटे-छोटे बच्चे लाईव वीडियो बनाकर नेट में डालने लगते हैं, मुझे लाईव फेसबुक करना भी नहीं आता और वे छोटे-छोटे बच्चे आपके भाषण को लाईव करके दिखाने लग जाते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहती हूं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मेरा आग्रह है कि तखतपुर को अनुविभाग बनाने की चर्चा बहुत समय से चल रही है तो तखतपुर विधान सभा में एक एसडीएम कार्यालय खोल दिया जाये तो मैं मुख्यमंत्री जी की आभारी रहूंगी । इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव है, जो लोरमी क्षेत्र से लगे हुए हैं । वहां की विद्युत व्यवस्था का नियंत्रण लोरमी के अधिकारियों के द्वारा होने के कारण वहां की शिकायत और समस्या पर सुनवाई नहीं होती है, यदि वह व्यवस्था सुधारी जा सके तो अच्छा है । नहीं तो उन अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि तखतपुर विधान सभा क्षेत्र की समस्या का भी अतिशीघ्र निराकरण किया करें या इसे युक्तियुक्त करण करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सोलर के बारे में बात हो रही है । मैं जानना चाहूंगी कि सोलर में अभी सौर ऊर्जा से चलित पम्प, सौर ऊर्जा से बस्तर के सुदूर आदिवासी गांव में जगमगाहट आ गई है, यह उल्लेख हुआ तो सौर ऊर्जा की लाईफ कितनी है, उस बैटरी की लाईफ कितनी है, उनकी उपयोगिता कितनी है और ये जिस दाम में खरीदे गए, क्या उस दाम के लायक रिटर्न देकर समाप्त होंगे या उसके पहले समाप्त होने वाले हैं । इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि बिलासपुर में सिम्स में चूंकि मैं बिलासपुर से हूं और अखबारों में आये दिन पढ़ती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाईट लगाने के लिए सिम्स में सोलर की व्यवस्था की गई थी और उस सोलर लाईट के उपयोग उस पैनल के मेंटनेंस की अवधि आने के पूर्व ही वह व्यवस्था ध्वस्त हो गई । उस बारे में कहना चाहती हूं कि इसमें लंबा भ्रष्टाचार हुआ है, सिम्स में पैसे की बरबादी पूर्ववर्ती सरकार के समय में सोलर के रूप में की गई है, मुख्यमंत्री जी से उसकी जांच के लिए मेरा आग्रह है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुप्रतीक्षित चकरभाटा विमानतल जो है, उसके नामकरण का मैं आग्रह करूंगी कि विलासा विमान पट्टना उस विमानतल का नाम रखा जाये और उसे अतिशीघ्र चालू करने के लिए आदेशित करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी । मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक क्रेशर संचालित हैं, वहां स्वीकृति से भी ज्यादा खनन हो रहा है, उसकी भी जांच की मैं मांग करती हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहती हूं कि इतिहास सीखने के लिए होता है, दोहराने के लिए नहीं और जब 1956 में

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

पंजाब का बंटवारा हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री बंशीलाल जी जो हरियाणा के थे, उन्हें आज भी विकास पुरूष के नाम से जानते हैं या पंजाब कैरो जी को भी याद करते हैं । जब हमारे देश में सिकंदर महान ने आक्रमण किया था तो उसने पुरू राजा (पोरस) को हराया था और जब दोनों आमने-सामने आये तो सिकंदर ने पुरू से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाये तो उसने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जोगी जी का भाषण पढ़ रही हैं क्या ? (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- नहीं, मैं अपना ही भाषण पढ़ रही हूं। क्योंकि वातावरण इतना नीरस हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि नींद से जगाने के लिए कुछ हटकर बात की जाये । पोरस ने जवाब दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है । इसलिए यह सुनकर सिकंदर ने पोरस को ससम्मान अपने पास राजगददी में बिठाया, आवभगत की, उसका राजपाठ उसे वापस किया । यह बातें इतिहास की है । माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह कहना चाहती हूं कि आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य बने हुये 18 साल बीत चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 लकीरें खींच चुकी है, आपको उन लकीरों को पार करके आगे जाना है । प्रदेश के विकास में अग्रणी होना है । इसके लिए जब आपने टाटा की जमीन लोहाण्डीगुड़ा में वापस की, सब को खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं आई कैम्प मे जा चुकी हूँ । मेरा सोच था कि मेरी आपसे अपेक्षा है, जैसे जमशेदपुर कितना विकसित शहर बना है, टाटा अगर वापस बस्तर में स्टील प्लाण्ट लगाना चाहे तो उसे वापस लायें । लोहाण्डीगुड़ा में नहीं हो तो अन्य जगहों पर जहां बंजर जमीन है, वहां उसे स्थापित करें तो आपका नाम छत्तीसगढ़ में अमर हो सकता है । बस्तर का विकास हो सकता है। महिलाओं की कमजोरी रहती है, हीरा, सोना, एलेक्जेंडराईट, रूबी आदि बहुमूल्य खनिज हमारे प्रदेश की धरती में समाये हुये हैं, इतने वर्ष हो गये हैं, 25 साल हो गये है, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, डीबीयर्स कंपनी उसको लेने में उत्सुक थी, कृपया उस ओर भी आप ध्यान दें । ताकि गरीब जनता उन सब का उपयोग करके प्रदेश में अपना आर्थिक स्तर सुधार सके । सूचना और प्रौद्यौगिक विभाग, इलेक्ट्रानिक्स भी आपके पास है, अभी मेदान्ता हॉस्पीटल में जोगी जी का ईलाज चल रहा था, सेक्टर 38 था । उसके बाद सुना है कि 120 सेक्टर भी बन गये हैं । मानेसर तक जापानीज लोगों की कॉलोनी है, चौटाला जी का विजन था, सोच था कि गुडगांव जैसे नीरस छोटे से गांव को उन्होंने एक आई.टी. हब के रूप में उन्होंने विकसित किया । हमारे यहां भी नई राजधानी वैसे ही दिखती है, एकदम बंजर और उपेक्षित सी दिखती है । यदि आप आई.टी. संस्थान को जैसे कि चन्द्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में आई.टी. हब बनाया, या बंगलौर में बनाया गया, हमारा प्रदेश भी सेंटर में स्थित है, आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिए, आई.टी. हब के रूप में यह क्षेत्र विकसित हो । हमारे क्षेत्र के नवजवानों को रोजगार मिल सके । पॉवर प्लाण्ट के बारे में

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चन्द्रपुर के विधायक, जांजगीर वगैरह के विधायक कह रहे थे कि एथिना आरकेएम जीएमआर एसकेएस वर्धा प्लाण्ट जो अकलतरा में स्थिता है, हम लोगों ने रोगदा बांध के संबंध में आंदोलन भी किया था, धरमजीत जी कह रहे थे कि हमारे एस.ई.सी.एल. मे इतना उत्पादन होता है कि जो भी अड़चन उनको स्टार्ट करने में पॉवर प्लाण्ट को आ रही है, उसे आप दूर करें, क्योंकि सब बंद होने के कगार पर खड़े हैं, बिकने की कगार पर है । यह चुनौती आपके सामने है कि खनिज विभाग आपका ही है, आप उसे किसी भी तरह प्रारंभ करें, जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित हुआ था, राईस मिनलें बंद थी, पता नहीं क्या करके स्टील प्लाण्ट बंद करके उनको जो भी आवश्यक मदद दी गयी, फिर इतने स्टील प्लाण्ट लगे, इतनी राईस मिलें लगी, हमारा प्रदेश उन्नति के पथ पर गया। अंत में हेल्थ के बारे में स्वास्थ्य मंत्री की बहुत अच्छी मंशा रही होगी । वह थाईलैण्ड गये थे, मैं थाईलैण्ड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छे विकसित राष्ट्र के रूप में मानती हूँ, पर जीवन में मैंने पहली बार थाईलैंड को एक अच्छा स्वास्थ्य के रूप में विकसित देश के रूप में सुना। क्योंकि सिंगापुर में कई लोग इलाज कराने जाते हैं जो कि नियरेस्ट है, श्री अमर सिंह की किडनी ट्रांसप्लांट भी वहीं हुई, अमेरिका तो है ही, कई माननीय राजनेता भी वहां इलाज कराने गये और कहीं दूर न जाएं तो मैं हमेशा सुनती रहती हूं कि श्री राजशेखर रेड्डी जो कि हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्वास्थ्य की कोई योजना बनाई थी कि वहां के ड्राईवर से लेकर गरीब व्यक्ति भी उनसे बहुत प्रसन्न थे और उसकी वजह से वह दो चुनाव तो जीते भी थे, तीसरा चुनाव जीतने की कगार पर थे जब उनका असामयिक देहांत हो गया। आप इसके पहले कि मुझे रोकें मैं अपने क्षेत्र की बात बोलना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में तेंदुआ ग्राम पंचायत में सिर्फ डोलोमाईड होता है। लोरमी के कोई ठेकेदार 20 साल से उसका उत्खनन कर रहे हैं। तो डोलोमाईड तो खत्म हो गया, वह क्रेशर लगाकर एक पहाड़ जहां आदिवासियों की धूंधी माता का मंदिर है उसको उन्होंने लगभग आधा काट दिया है। लोगों का कहना है कि वे बिना लीज आदि लिये वह निरंतर डोलोमाईड की आड़ में उसका खनन हो रहा है। और दूसरी बात जो सौर उर्जा के बारे में बात होती है, पूर्व में सौर उर्जा चूल्हा भी आता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्जवला गैस बांटा वह अच्छा है पर गांव के लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि वह दोबारा सिलेंडर भरवा सकें। तो सौर उर्जा का चूल्हा करीब 25-30 साल पहले मिलता था। वह पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। आप कृपया उसे उपलब्ध करायें। मैंने भी उसमें कई बार खाना बनाया है इसलिए मैं उसके बारे में जानती हूं। मेरे यहां 100 प्रतिशत बैगा बाहुल्य दो-तीन ग्राम पंचायतें हैं- कुरदर, उमरिया हैं जहां पिछले 8-10 साल से राजीव गांधी विद्युतीकरण स्वीकृत है, किंतु फारेस्ट के कारण वह रूका हुआ है और अभी इस साल के बजट में मैं देख रही थी कि पांच करोड़ का ईको-टूरिज्म भी वहां स्वीकृत हो गया है तो यदि वह लग जाता है, वह अड़चनें दूर हो जाती हैं तो उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पूरा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. फंड छत्तीसगढ़ में एक बड़ी राशि है और पूर्ववर्ती सरकार ने डी.एम.एफ. फंड के उपयोग के लिए कुछ नार्म्स तय किए थे और इस सरकार ने सरकार में आने के बाद सबसे पहले डी.एम.एफ. के फंड का उपयोग बंद किया और पिछले दो महीने से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। वास्तव में डी.एम.एफ. फंड से बहुत से टीचर, डॉक्टर और सिंचाई के कनेक्शन के लिए राशि जारी की जा रही थी और वह सब रूकी पड़ी है। इस पर आपको समीक्षा करके तत्काल निर्णय लेना चाहिए। दूसरा विषय- पूर्ववर्ती सरकार ने 1975 में आपातकाल में जिनको मीसा बंदी बनाया गया और जो छः महीने से ज्यादा जेल में रहे उन्हें पेंशन देने की शुरूआत की थी और वास्तव में वह लोग जो जेल गये थे, वह कोई अपराधी नहीं थे बल्कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे। क्योंकि आपातकाल के विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस पेंशन को आपने रोकने का काम किया है। वह पेंशन सरकार को जारी करना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके 15 साल के शासनकाल में ऐसे ही धरना-प्रदर्शन में हम लोग भी जेल में रहे हैं, हम लोगों को भी पेंशन दे देते।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को आवास देने की घोषणा की थी। बिलासपुर में लगभग डेढ़ सौ पत्रकारों को आवास मिल भी गया। रायपुर में भी 900 पत्रकारों को आवास देने की बात थी, आचार संहिता लगने के चलते वह काम नहीं हो पाया था। एक योजना के अंतर्गत पत्रकारों ने रायपुर नगर निगम में लगभग तीन करोड़ रूपये जमा किया हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकारों को उनका मकान मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की कि मैं विधायक निधि को बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये से 2 करोड़ रूपये करता हूं। उसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक को दो करोड़ रूपये की अनुशंसा करना है या पहले जो 75 एवं 25 का रेशियो था उस हिसाब से अभी भी 25 एवं 75 का रेशियो रहेगा। उसे वह क्लीयर कर दें। मैं तो आग्रह करूंगा कि अगर विधायकों को 2 करोड़ की राशि दे रहे हैं। उसकी पूरी अनुसंशा का अधिकार विधायक को ही रहना चाहिए। भले उसमें बांड कर दें कि उसमें 50 लाख रूपया कनवर्जन के वर्ग के लिये ले लें। ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें, पर उसकी पूरी अनुसंशा का अधिकार विधायक को ही मिलना चाहिए। ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल बाद आपको याद आया। हम लोग तो बहुत तंग रहे हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको क्या क्या याद आया। बहुत समय लगेगा, समय नहीं दे पायेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 25 प्रतिशत राशि प्रभारी मंत्री की अनुसंशा....।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बृहस्पत जी मैं सब बातों का जवाब दे सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी समय नहीं देंगे। नहीं तो बोलो सब बातों का एक एक लाईन जवाब देता हूं। समय दिलवा दो मैं पूरी बातों का जवाब देता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जनाब आप तो श्री अजय चंद्राकर जी को समय दे दिये थे । आप खुद इसी सदन में बोले हैं। आपने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि चंद्राकर जी को समय दिया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिवेदन में बहुत से काम सरकार के जिम्मे हैं, विशेष रूप से ए.सी.बी के हैं। ए.सी.बी का इन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें लिखा है कि कुल 17 प्रकरण ऐसे हैं, जो पंजीबद्ध किये गये हैं और जिनका अभी चालान प्रसतुत नहीं किया गया है। ए.सी.बी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित हुई। इस सरकार ने नई परंपरा की शुरूआत एस.आई.टी गठन से की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एस.आई.टी के गठन पर प्रदेश के हाईकोर्ट ने क्या कमेंट्स किये हैं। इसकी जानकारी वे सदन को जरूर दें। वहीं एक्सिडेंट जो होता है, उसमें मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये का प्रावधान है, घायल को 10 हजार रूपये देने का प्रावधान है, प्रतिवेदन में बताया गया है। ये राशि आज के समय में बहुत कम होती है। इस राशि में कम से कम 10 गुणा वृद्धि करने की आवश्यकता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिये जो रिक्त पद हैं, उसमें कुल 10 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। अनुकंपा नियुक्ति ऐसा विषय है जिसमें जिस परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता होती है वास्तव में वह बहुत आवश्यकतामंद होता है। इसमें निर्णय होना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति के जितने आवेदन आयेंगे, उनको एक समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी। इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय श्री बृहस्पति जी कुछ बातें बोल रहे थे। माननीय श्री बृहस्पति जी आपकी सरकार जो छत्तीसगढ़ में तीन चौथाई बहुमत के कारण बनी है। उस बहुमत की सरकार बनने के पीछे कारण आपके जन घोषणा पत्र का है। जन घोषणा पत्र में कुछ विषय ऐसे थे ...।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यख महोदय, माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, हम सब की है, हमारी नहीं आपकी भी सरकार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र में कुछ विषय ऐसे थे, जिसमें आपने कहा था कि हम सरकार बनने के तत्काल बाद करेंगे। एक भी काम करने में असफल हुए हो। एक

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

भी काम आप नहीं कर पाये हो। जो बार बार किसानों की ऋण मुक्ति की बात करते हो न, आज भी किसानों को नो ड्यूस नहीं मिल रहा है। इस बात को हम लोग विधानसभा में उठा चुके हैं। आज भी जिस विषय को हम लोगों ने शून्यकाल में उठाया था । किसानों को 1800 से 2000 रूपये सरकार देने वाली है। किसानों को प्रतिवर्ष देने वाली है।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा न बोलें कि कुछ काम नहीं हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग को जो फार्मेल्टी पूरी करनी चाहिए, वो भी आप नहीं कर रहे हो। आपने बिजली बिल हाफ करने की बात कही। बिजली बिल हाफ करने के लिए बजट प्रावधान 400 करोड़ रूपये का किया है।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 घोषणा पत्र है किसानों की पूरी की है, ये क्या बात कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपको बिजली बिल हाफ करना है तो चार लाख किसानों के पास पंप कनेक्शन हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री अमितेष शुक्ल जी को उकसाते हैं।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकारी तो पूरी रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अमितेष जी षडयंत्रों को आपको बता दिया। पूरा षडयंत्र है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गजब बात आप विधानसभा में कुछ भी बोल रहे हैं। घोषणा हुई है और एक भी घोषणा नहीं हुई बोलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी में नहीं थे लेकिन मौके में जरूर थे। राजिम मेले का उद्घाटन हुआ, उस दिन श्री अमितेष शुक्ल जी आरती करते करते रो क्यों रहे थे, ये आप जरूर बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, रोते हुए का कारण था कि मुख्यमंत्री जी ने धोखा दे दिया। मेरे को मंत्री नहीं बनाये करके।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। बड़े दुख की बात है कि इनको ये नहीं पता है कि मेरे पिता जी का देहावसान हुआ था। जब

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं रो रहा था, मेरे पिता जी की याद में जरा थोड़ा भावुक हो गया था। उसी दिन का वो मामला है, इनको पता नहीं है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, कुछ समझते नहीं हो, बीच बीच में बोल देते हो।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री नहीं बने, इसलिए रो रहे थे, ऐसा बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रो क्यों रहे थे, मंत्री नहीं बने इसलिए रो रहे थे। (व्यवधान)

श्री अमितेष शुक्ल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कुछ आइडिया नहीं है। ये चीजों को समझते नहीं, क्योंकि मैं भावुक हो गया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री नहीं बने, इसलिए रो रहे थे। ऐसा बोल रहे थे।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री रहकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई कार्यक्रम हो रहा था, उस समय दोनों हंस रहे थे। ये दुनिया देख रही थी। पूरा देश मानता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको छत्तीसगढ़ दिया है, उसको सब मान रहे थे। उस दिन आप लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कब रोया बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ये बिल्कुल सही।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भावुक आदमी रोयेगा नहीं तो क्या करेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अमितेश जी, मेरी बात को ध्यान देना, आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। जो षड़यंत्र हो रहा है, उसके आप शिकार हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय दादी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे तब आप हाऊस में कहां थे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय शर्मा जी, आप कितनी बार षडयंत्र के शिकार रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप शुरू करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का भाषण रह गया। हम अपने क्षेत्र की बात केवल दो-दो मिनट में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जिन-जिन माननीय सदस्यों के भाषण रह गये हैं वे लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दें।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान मांग संख्या 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71 और 65 पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं और खासकर के उनके द्वारा जो किये हुए वायदे हैं। हम समझते थे कि शायद इस बजट के माध्यम से उनको पूरा कर पायें और एक जनता की जो भावनाएं हैं कि सरकार हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, किंतु इस बजट को देखने के बाद निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों में एक घोर निराशा का वातावरण बना है। खासकर जहां इस प्रदेश में 65 प्रतिशत युवा हैं और उन युवाओं के लिए रोजगार, नये रोजगार का सृजन, उसके साथ बेरोजगारी भत्ता से लेकर, युवाओं के रोजगार के लिए बहुत सारी बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकार गणों के लिए प्रथम तल पर की गई है। सुविधा अनुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवा आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े हो सके। वे आत्मनिर्भर बन सकें और उसके लिए कोई न कोई ऐसी ठोस योजना, नीतिगत निर्णय इस बजट के माध्यम से हम अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इस बजट को देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आने वाले समय में हम 2-3 सालों तक भी उन युवाओं के लिए कोई ठोस कार्ययोजना सुनिश्चित कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का आने वाला भविष्य हमारे युवा हैं और यदि हमारे युवा खाली रहेंगे, यदि युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके मन में भी एक घोर निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। किन्तु इस बजट को प्रस्तुत होने के बाद सारे युवाओं की जो अपेक्षाएं रही हैं, इन युवाओं के संदर्भ में हम कोरी कल्पना ही कह सकते हैं और ठोस योजना नहीं होने से उनको हम एक निश्चित दिशा में ले जा सकें, उस दिशा में उनके लिए कार्य कर सकें। उनके लिए कोई योजना प्लानिंग करके कर सकें, यह अभाव हम सब को दिखाई दे रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ में महिलाओं को लेकर कोई कार्ययोजना नहीं दिखती है। हमारी महिलाओं की स्व सहायता समूह ने जो ऋण लिया हुआ है उसमें छूट देने या उससे मुक्ति देने की बात कहीं नहीं दिखती है। आज इस प्रदेश में 50 प्रतिशत की आबादी महिलाओं की है। इन महिलाओं के लिए आने वाले समय में कोई दिशा देकर कोई कार्ययोजना बनाये और कार्ययोजना बनाकर के उस दिशा आगे बढ़ने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकें। उनके रोजगार से लेकर सृजन तक उसके लिए कोई कार्ययोजना बनायें। किन्तु हम देख रहे हैं कि जहां 50 प्रतिशत महिलाओं की जो अपेक्षाएं रही हैं। आज इस बजट देखने के बाद में बिल्कुल यह नहीं लगा कि हम उनको कोई कार्ययोजना

अनसंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बना करके दे सकें। आज इस बात की आवश्यकता है। डॉ. रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके द्वारा पंचायतों, जनपदों के निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और आरक्षण के बाद में वह जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई और आज उसका लाभ इस प्रदेश में हम विधानसभा में देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि जिनको कभी जिला पंचायत, जनपद में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, आज विधानसभा में भी हम उनको देख रहे हैं। उस समय एक बड़ी योजना प्रारंभ की गई कि रोजगार की दिशा में रेडी टू ईट से लेकर एक बड़ी कार्ययोजना बनाई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, रोजगार की दिशा में उनका सृजन हो सके। जो पहले कभी कुछ लोगों के हाथ में, ठेकेदारों के हाथ में हुआ करता था, उससे निकाल करके उन महिलाओं को दे करके एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन हमें लगता था कि महिलाओं को ले करके सरकार की गंभीरता दिखाई देगी। इस गंभीरता के साथ में उन महिलाओं के लिए कोई कार्ययोजना बने जिसके माध्यम से एक नई रोजगार की दिशा में उनका सृजन हो सके। बल्कि इतना ही नहीं हुआ, जो पूर्ण शराबबंदी को ले करके एक आशायें जगाईं। लेकिन पूर्ण शराबबंदी की बात में मंत्री का जो बयान पढ़ने को आया, देशी और विदेशी दारू की ठेके की बात होने लगी। जब आपको ठेका ही देना था, जब आपको दारू बंद करना ही नहीं था, यदि आपकी नीयत साफ थी तो उस दिशा में बात करने की आवश्यकता क्या है? उनको बहला करके वोट लेने की क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने उनकी भावनाओं को जगाया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, आप लोगों ने दारू बंद करने की जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने ही सिफारिश किया था कि दारू की दुकानें बढ़ा दी जायें, बियर बार के लाईसेन्स बढ़ा दिये जायें।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या आप उस कमेटी की रिपोर्ट को आज लागू करेंगे? आप तो एक नई कमेटी बनाने वाले थे, वह कमेटी का भी गठन नहीं हुआ और कमेटी की अनुशंसायें आने के पहले मंत्री का बयान आ गया कि हम देशी शराब दुकान को ठेका में देने वाले हैं। आपने महिलाओं का कितना सम्मान किया है? आपने उन महिलाओं की भावनाओं को जगाया, उसका आपने कितना मान रखा है। इसके साथ ही साथ में उनके लिए एक ठोस कार्ययोजना बना करके काम करें, उस दिशा में भी कोई कारगर पहल नहीं किया। मुझे लगता था कि इन महिलाओं के लिए निश्चित कार्ययोजना बना करके काम करेंगे, लेकिन उसका भी अभाव हम देख रहे हैं। इस दिशा में जो पहल होनी चाहिए, उस दिशा में कोई पहल नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की सिंचाई से लेकर के, कोई योजना बनाने को लेकर के अनेक संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसमें जो लोन, बजट में वृद्धि की बात आई, केवल उतनी ही वृद्धि हुई कि किसानों का जो कर्ज छूटना है, धान खरीदी के लिए जो व्यवस्था करनी है, उसके लिए लोन ले करके व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में किसान

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपने पैरों पर खड़ा हो सके, क्योंकि हम आज भी यह कह सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है। लेकिन किसानों के प्रदेश होने के बाद भी यहां पर 80 प्रतिशत आबादी जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि के ऊपर परिवार निर्भर है। आज भी यदि हम छत्तीसगढ़ में रोजगार की दिशा में बात करें तो उद्योग हमारा सेकेण्डरी है, प्रथम हमारा कृषि है, जिसके ऊपर प्रदेश की सबसे जयादा आबादी निर्भर है। लेकिन कृषि पर निर्भर होने के बाद में उनकी धान खरीदी, अल्पकालीन कर्ज को छोड़ करके, उनके लिए कैसे कोई नीति, कार्ययोजना किसानों के संबंध में बना करके अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। सरकार ने उस दिशा मे एक इंच भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है कि आने वाले समय में हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम हो सकें। यह इस प्रदेश में किसानों का सम्मान हो सके।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, धान का दाम 2500 रुपया किया, कर्ज माफ किया, किसानों के लिए इतना कुछ किया, इसके बाद बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। कुछ तो धन्यवाद, बधाई दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं दोनों विषय को बता दिया। मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर साहब तो बधाई भी दिये। हम भी उसके लिए बधाई देते हैं तो काम किये हैं। लेकिन उसको छोड़ करके इस बजट के माध्यम से हम किसानों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाये हैं, उस दिशा में बिल्कुल शून्य है और उस किसान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें ऐसी कोई एक कार्ययोजना जो बननी चाहिए आने वाले समय के लिये उसका अभाव हम सब कोई देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात का बहुत सारे सदस्यों ने उल्लेख किया वित्तीय प्रबंधन । निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी जो देनदारियां हैं वह बढ़ती जा रही हैं और देनदारियों के साथ में जो ब्याज की राशि है उसकी अदायगी भी हमारी बढ़ती जा रही है । अभी जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसको मैं पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको हम एक लिमिट के अंदर में लायेंगे और उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे लेकिन जिस प्रकार से अभी लोन लिये हैं आने वाले समय में जिस लोन को लेंगे और उसके बाद में जो लोन लेने वाले हैं तो उसको वित्तीय प्रबंधन को रोकने में कैसे सफल होंगे ? यह तो आने वाले समय में बतायेंगे कि कैसे उसको रोकेंगे ? लेकिन एक दृष्टि देखने से ऐसा लगता है निश्चित रूप से जिन कार्यों को लेकर, वित्तीय प्रबंधन को लेकर देश में छत्तीसगढ़ का एक नाम और उसको एक लिमिट तक रखने के बाद में जो सुविधायें इस प्रदेश को मिली हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसके लिये स्वाभाविक रूप से चिंता करने की आवश्यकता है कि हम उसको पार करेंगे, जो सुविधायें मिल रही हैं उससे यदि वंचित होंगे तो कैसे अब उसको, उस वित्तीय प्रबंधन को एक लिमिट के अंदर में रखेंगे ? माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में अभी चर्चा करेंगे, बतायेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसको रोकने में सफल होंगे ।

असंशोधित/अप्रमाणित के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ प्रदेश में जिस बात को लेकर सारे सदस्यों ने चर्चा की । एस.आई.टी. को लेकर, ईओ.डब्ल्यू. को लेकर कि किस प्रकार से एक युवा अधिकारी को उसके प्रमुख बनाया जाता है और बनाने के बाद में उस पर दबाव बनाया जाता है कि वे एफ.आई.आर. करे और यदि वह अधिकारी एफ.आई.आर. करना नहीं चाहता, सरकार के दबाव में यदि आना नहीं चाहता तो तत्काल उसको हटा दिया जाता है, हटाकर दूसरे को बैठा दिया जाता है । मुझे लगता है कि जो दो डी.जी.पी. की बात हो रही है, वह शायद छत्तीसगढ़ में ही है । एक डी.जी.पी. ऐसा हो जिसको जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हमारे पुलिस अधीक्षक हैं वे उनको रिपोर्ट करें और दूसरा डी.जी. ऐसा हो जो गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रिपोर्ट करे । यह जो दोहरी व्यवस्था है एक प्रदेश में यह आखिर किस प्रकार से प्रशासन चला रहे हैं, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं ? और उसके साथ ही साथ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाले जो डी.जी.पी. बनाये गये हैं और जो पुलिस महानिदेशक हैं उससे वे 3 साल के सीनियर हैं और वह 3 साल के सीनियर हैं वह पुलिस महानिदेशक को कहां रिपोर्ट करेंगे, क्या रिपोर्ट करेंगे ? निश्चित रूप से इस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के जो सरकार के कार्यकाल का और उनके निर्णय का जो परिणाम हमारे सामने आया है ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी आज जो सोचते हैं और सोचने के बाद में उसको अमल में लाते हैं लेकिन वह अधिकारी उनकी इच्छानुसार यदि काम न करे तो उस अधिकारी को बदल दिया जाये, अनेक ऐसे अनिर्णय की स्थिति में मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ है । उदाहरण हमारे सामने आया है जशपुर से लेकर, जांजगीर से लेकर के और सूरजपुर से लेकर, नारायणपुर से लेकर कि कब उनको बनाया गया ? कब उनको दायित्व दिया गया और पता लगा कि उसके बाद में उनको पुन: बदल दिया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इस बात को कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ऐसी ही एक घटना हुई है, उन्होंने आत्महत्या की, आत्महत्या करने के बाद में उन्होंने एक नोट लिखा और उस नोट में उन्होंने विस्तार से लिखा कि हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी कोई बदनामी हो, आने वाले समय में दूसरे प्रदेश के लोग इसका मजाक उड़ायें इसलिये आपको अधिकार है, आपकी सरकार को अधिकार है कि आप नीतिगत निर्णय करें, ट्रांसफर-पोस्टिंग का आपका अधिकार है । आप उसको करिये लेकिन करने के बाद में रातोंरात यदि आप उसको बदल दें तो ऐसा लगता है यह अनिश्चितता की स्थिति और आपके मन में अनिर्णय की स्थिति क्यों आ रही है ? आपको तो जनता ने यहां पर 5 साल के लिये बैठाया है, 5 साल के लिये बैठाया है तो उसी अनुसार सरकार का निर्णय भी दिखना चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है कि वह निर्णय की स्थिति में सरकार है बल्कि वह कोई नायक के बारे में बीच में कोई बता रहे थे । एक दिन के मुख्यमंत्री नहीं हैं भई, हम लोग भी एक दिन के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उसी स्थिरता के साथ में आपका जो निर्णय हो और उस निर्णय के बाद में कायम रहे इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं उसके बारे में बोल रहा था, शर्मा जी एसपी थे, उन्होंने आत्महत्या की थी । सरकार की प्रताड़ना के नाम से ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- बिलासपुर एसपी राहुल शर्मा ने 7 वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी । उस समय जी.बी.सिंह साहब थे लेकिन आत्महत्या क्यों हुई थी यह आज तक नहीं मालूम पड़ा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- वह मुझे मालूम है । उसके लिए भी एक एसआईटी बना देना चाहिए । मुख्यमंत्री जी उसे लिए एसआईटी बना दें । जिस अधिकारी का आप नाम ले रही हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आपने पहले क्या किया था वह बता दीजिएगा?

श्री धरमलाल कौशिक :- जिनके कार्यकाल में उन्होंने आत्महत्या की है । एक एसआईटी बनाकर जांच करवा दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । हमारा उसमें समर्थन रहेगा, हम क्यों विरोध करेंगे ? यदि घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए । हम उसका समर्थन करते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप एसआईटी को बहुत हल्के में ले रहे हैं । जिनका जिनका नाम आ रहा है वो जान रहे हैं..।

श्री धरमलाल कौशिक :- जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे तो उस समय उस एसआईटी का गठन कर दें । उस अधिकारी के खिलाफ जांच हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है । हमने किसी अधिकारी को बचाने का काम नहीं किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय हमारा बिजली का उत्पादन था, 15 सालों में डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में हम सरप्लस स्टेट की स्थिति में आ गए थे । जीरो पावर कट की स्थिति में हम लोग आए । लेकिन अभी दो दिन पहले आपने देखा होगा । यहां जो चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर सरप्लस स्टेट में लोड शेडिंग की आवश्यकता क्यों, बिजली कटौती क्यों ? उसमें भी एक घंटा, दो घंटा नहीं, जोगी जी तो बोल रहे थे कि 6-7 घंटे बिजली कटौती हो रही है । निश्चित रूप से ऐसे सरप्लस स्टेट में लोड शेडिंग की आवश्यकता क्यों ? इन 60 दिनों में यहां पर न तो कोई नया कारखाना खुला है, जिसे बिजली देनी पड़ रही हो । न तो कोई उद्योग लगा है या ऐसी कोई घटना घटी हो जिसके कारण हमारे प्रोडक्शन में कमी आई हो । लेकिन उसके बाद भी लोड शेडिंग की आवश्यकता क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो अभी एग्रीमेंट हुए हैं, उसके तहत निजी पावर सेक्टर में उत्पादन शुरू हो गया है । 443 मेगावाट बिजली वेरियेशन चार्ज पर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खरीदना है । उत्पाउन भी चालू हो गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि हमें कम रेट में मिले तो जो लोड शेडिंग का मामला है, क्या उसके लिए बिजली खरीदेंगे और खरीदकर, प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती को समाप्त करेंगे । मुझे लगता है कि इस दिशा में भी चिंता और विचार करने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 400 यूनिट बिजली की बात आई है । प्रश्न और अन्य विषयों में बातें आईं, आपने हाफ तो वैसे ही कर दिया । अगर किसी का 600, 700, 800 यूनिट है तो उसको आपने 400 में लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद जो खासकर हमारे किसान हैं, हम लोग किसानों के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं । डोमेस्टिक कनेक्शन का तो ठीक है । ऐसे किसानों का जो पहले सरकारों के द्वारा माफ की गई है लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम किसान हैं जिनके 2 पम्प हों, 3 पम्प हों, 4 पम्प हों, ऐसे किसानों की संख्या प्रदेश में कम है। उनका बिजली बिल हाफ की जो बात आई है । आज मुख्यमंत्री जी उस विषय में घोषणा कर सकते हैं कि डोमेस्टिक कनेक्शन के बाद एक पम्प के बाद अन्य पम्पों के जो कनेक्शन हैं । उसमें उनके बिजली बिल हाफ की जो बात है, यदि उसका क्रियान्वयन करेंगे तो इस प्रदेश के किसानों का भला होगा और इस प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा । इसमें बहुत ज्यादा राशि खर्च होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने एक पम्प का तो वैसे ही फ्री कर दिया है । लेकिन उसके बाद के पम्प जो उनके नाम पर हैं, उससे उनको लाभ मिलेगा । इसलिए इस फैसले पर विचार करने की आवश्यकता है । यदि इस पर विचार करके घोषणा करें तो इस प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमारा जो ऊर्जा विभाग है । निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा प्रदेश खनिज सम्पदा, वन सम्पदा से परिपूर्ण है और ये हमारी राजस्व और आय के भी स्रोत हैं। इसके साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि रेत की उस दिन जो बात आयी थी कि छत्तीसगढ़ मिनरल कार्पोरेशन को देने के बाद में उसमें तय हो जाए लेकिन आप देखे होंगे कि दूसरे दिन यह पेपर में आ गया लेकिन घोषणा करने के बाद में 1500 रूपये रेत की दर में वृद्धि हो गई। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और अलग होने के बाद जब हम लोग विधायक थे, आप भी थे, उस समय हमने देखा था कि रेत माफियाओं के चंगुल में लोग कैसे फंसते हैं? और रेट में जो वृद्धि हुई थी, इसके कारण पूरे लोग परेशान रहें। इसके कारण यह अधिकार पंचायतों को दिया गया और पंचायतों को देने के बाद में रेत का जो रेट है, वह कम हुआ। मुझे लगता है कि हमारे जो अन्य सीमावर्ती प्रदेश हैं यदि सबसे कम दर पर रेत यदि उपलब्ध कराई जाती है और रेत मिलती है तो यह छत्तीसगढ़ है । अगर आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ इसमें काम नहीं करेंगे तो जो पूर्व में स्थिति रही है, शायद वह स्थिति न आ जाए और यह जो रेत घाट है किसी न किसी माध्यम से रेत माफियाओं के हाथ न जाए और माफियाओं के हाथ में आने के बाद रेत के कारण इन छत्तीसगढ़ के लोगों को जूझना पड़े और उनका शोषण हो इसलिए मुझे लगता है कि यदि इसमें

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पारदर्शिता के साथ काम हो तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो हम फिर पूर्व स्थिति में आयेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं।

श्री अमरजीत भगत :- रेत से तेल आज मत निकालिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी रेत का तेल निकलेगा आपका। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पिछली सरकार द्वारा बहुत छोटे-छोटे कार्य जैसे पंप कनेक्शन को लेकर, उनके गांव के विकास को लेकर और अन्य बातों को लेकर प्राधिकरण का गठन हुआ। प्राधिकरण के गठन के पश्चात् उसकी नियमित बैठक और बैठक के साथ उनके हितों पर चर्चा और चर्चा करने के उपरांत उनको प्रदेश स्तर के छोटे-छोटे कार्यों के लिए यहां न आना पड़े, जूझना न पड़े। इसलिए इसमें एक निश्चित बजट के माध्यम से उनको यह उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई लेकिन 2 महीने की सरकार हो जाने के बाद मुझे लगता है कि आज तक प्राधिकरण की एक भी बैठक नहीं हुई है जोकि मुझे जानकारी में है। यह जो प्राधिकरण की बैठक नहीं होने के कारण उनके हितों का जो संरक्षण होना चाहिए, जो क्रियान्वयन होना चाहिए, वह लंबित है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात को लेकर जो पूर्व निर्धारित समय-सीमा है उसके अनुसार बैठक होनी चाहिए और जो उसका क्रियान्वयन है तथा नीति निर्धारण में जो उनको लाभ मिलना चाहिए, उसे प्रॉयरटी से देखने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 04 फरवरी, 2019 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से एक निर्णय आया है। यह पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को लेकर के है । पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देने से प्रदेश के लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इसको लेकर सरकार के द्वारा यहां पर 23 फरवरी, 2019 को आदेश जारी कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इसमें आदेश जारी करने की बजाय हमारे आदिवासी समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, इस निर्णय के बाद में प्रभावित हुए हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए अपर कोर्ट में जाने की आवश्यकता है। अपील करने की आवश्यकता है और अपील करने के बाद उन्हें उनके हितों से वंचित रखने की बजाय उसको लाभ मिल सके, इस दिशा में यदि सरकार सार्थक पहल करे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलेगा और उनको लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हम बस्तर नेट की और बाकी चीजों की जो बात कर रहे थे, यह जो मोबाइल का मामला आया और उसके साथ आबादी वाले क्षेत्र को कवरेज करने के लिए जिस प्रकार से वहां काम प्रारंभ हुए हैं कि हम उनको कनेक्टिविटी से जोड़ सकें और जोड़ने के लिए टावर लगाने का काम और बाकी चीजें हैं। आज के समय में हमारे वनांचल और दूरांचल के लोग हैं कि दिल्ली में कोई घटना घटित हो रही है, दिल्ली में कोई योजना बन रही है, विश्व की जो परिस्थितियां हैं, उन सारी बातों से वे जुड़ सकें और कनेक्ट हो सकें, उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाकर के डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा उस समय प्रारंभ किया गया था। मुझे लगता है कि यदि आज उस योजना को पूर्ण करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारे लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे, जिसका लाभ आने वाले समय में उन सब लोगों को मिलेगा। यह बात आई थी कि मोबाइल क्यों बांट दिए, वहां पर टावर की व्यवस्था नहीं है, वहां पर कवेरज नहीं है। वास्तव में हम यह अनदेखा नहीं कर सकते कि कवरेज एरिया नहीं है तो हम उनको छोड़ दे।

श्री अमरजीत भगत :- आपने स्काय सेन्टर क्यों बनाया ?

श्री धरम लाल कौशिक :- हम उनको कवरेज एरिया में कैसे ला सके, इस बात की चर्चा होनी चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय नेता जी, आप जो टावर लगा रहे थे, वह पंचायत के पैसे से लगा रहे थे। जब विरोध हुआ तो आपको निर्णय वापस लेना पड़ा।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, जब अपने आप में आ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं होगा। यदि कवरेज एरिया में नहीं है तो यह कोई तर्क नहीं हुआ। मान लो जिस गांव में सड़क नहीं है तो आपने स्कूल क्यों खोल दिया। अब वहां के लोग बोलेंगे कि वहां शिक्षक नहीं जा रहे है। तो बोलेंगे कि साहब, जब सड़क नहीं है तो स्कूल क्यों खोल दिया। क्योंकि सड़क नहीं है, इसलिए शिक्षक नहीं जायेंगे। जब आप स्कूल खोले हैं तो वहां तक शिक्षक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए सड़क की व्यवस्था आप करें।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय नेता जी, आपकी सरकार ने तीन हजार स्कूल बंद कर दिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप वहां पर उनको कनेक्टिविटी से कैसे जोड़ सकते हैं, जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, तो उनको छोड़ने के बजाय वहां तक हमारा एप्रोच हो, हम उनको मुख्य धारा में जोड़ सकें, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें न कोई राजनीति की बात है न कोई दल की बात है। बल्कि खास करके ऐसे हमारे सरगुजा और बस्तर लोग हैं, उनको इस कनेक्टिविटी से जोड़ सकें, यह प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विमानन विभाग के अन्तर्गत जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में काफी खर्च कर चुके हैं। मुझे उसमें लगता है कि औपचारिकता ही बाकी हे। शासन की ओर से दिल्ली तक, उसमें भी बहुत सारे अनुबंध हुए हैं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम लोग इसको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। जगदलपुर का एयर प्रारंभ हुआ था। किन्तु किसी कारण बंद हो गया है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है।

श्री अमरजीत भगत :- उसका उद्घाटन मोदी जी किए थे, इसलिए बंद हो गया।

श्री धरम लाल कौशिक :- जो भी कारण से हो। उसके साथ ही साथ चकरभाठा मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, जो बिलासपुर का एयरपोर्ट है। बिलासपुर में खासकर हाईकोर्ट है, एन0टी0पी0सी0 और एस0ई0सी0एल0 है तथा बिलासपुर एक व्यवसायिक सेन्टर के रूप में है। जब कोई पक्षकार दिल्ली जाता

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

है तो वहां पर यह पूछा जाता है कि कहां जायेंगे और कहां से कितना जाना पड़ेगा। यह वहां हम एयर कनेक्टिविटी प्रारंभ करते हैं और यदि यह सुविधा प्रदान करेंगे तो न केवल हाईकोर्ट, बल्कि एस0ई0सी0एल0 से लेकर एन0टी0पी0सी0 तक को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जांजगीर भी लगा हुआ है। तो पूरे अंचल के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्दी प्रारंभ कर सकते हैं। सारी औपचारिकता पूरी हो गई है, थोड़े बहुत बाकी होंगे। एग्रीमेंट करने की आवश्यकता है तो उस दिशा में एग्रीमेंट करें। तो इस दिशा में काम करने से हम सबको लाभ मिलेगा।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप जिस कालोनी में रहते हैं, वहां का सड़क नहीं बना है। पिछली सरकार ने तो नहीं बनाया है। इसलिए कम से कम मांग कर लीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- मुझे मांग करने की आवश्यकता नहीं है। शिव डहरिया जी उस दिन इस बात की चर्चा कर रहे थे। शिव डहरिया जी वहां देखकर जो भी छोटी-मोटी समस्या है, उसको देखकर करा सकते हैं। मुझे मांग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी विधायक रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप भी समाप्त कर दीजिये, क्या है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन सारी परिस्थितियों और बातों को देखते हुए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में जाना चाहिए, जिन ऊचांईयों में जाना चाहिए, वह नहीं जा रहा है। नीयत और नीति में अंतर दिखाई दे रहा है। उसके कारण बहुत सारे, हाईकोर्ट से लेकर बहुत सारी टिप्पणियां भी हो रही है। उससे बचने की आवश्यकता है। इन्हीं सब कारणों को लेकर, न युवाओं के लिए चिंता की, न महिलाओं की चिंता की, न किसानों की चिंता की। उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, उन बातों की चिंता नहीं की। इसलिए मैं असहमति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, देखिये। विधायक निधि बढ़ाया है। उसके बाद भी नकार रहे हो।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने महाशिवरात्रि के अवसर पर राजिम में दिनांक 19 फरवरी से 4 मार्च, 2019 तक आयोजित माघी पुन्नी मेले में आयोजित संत समागम कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है । आज सायं 7 बजे माननीय सदस्यों के लिए राजिम जाने के लिए विधान सभा परिसर में बसों की व्यवस्था की गई है ।

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

आज की कार्यसूची में पद क्रमांक 7 का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ।

(मेजों की थपथपाहट)

<u>वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे विभाग की चर्चा में भाग लिया, जिसमें डॉ. रमन सिंह जी, माननीय मोहन मरकाम जी, अजय चन्द्राकर जी, संतराम नेताम जी, सौरभ सिंह जी, शिशुपाल सिंह जी, रजनीश कुमार सिंह जी, अनूप नाग जी, रंजना डीपेन्द्र साहू जी, शैलेश पाण्डेय जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, धर्मजीत सिंह जी, केशव प्रसाद चंद्रा जी, रामकुमार यादव जी, नारायण चंदेल जी, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह जी, डॉ. रेणु जोगी जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरम लाल कौशिक जी ने हिस्सा लिया, सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भाभी जी अभी सदन में नहीं हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आ रही हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आ रही हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बोलकर गई हैं कि भैया से बड़ा लकीर आपको खोजना है । दोनों बड़े भैया लोगों से बड़ी लकीर खींचने के लिए बोल रही थीं।

श्री भूपेश बघेल :- भाभी का आशीर्वाद तो देवर के ऊपर ज्यादा ही रहता है और उन्होंने कहा कि दोनों से ज्यादा बड़ी लकीर खींचनी है । उन्होंने सिकंदर और पोरस का जिक्र किया था । उनका इशारा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि आपके साथ व्यवहार कैसा किया जाये । तब पोरस ने कहा था कि एक राजा को राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए । ये इसलिए इतिहास में दर्ज है, जो हारा हुआ व्यक्ति है, हारा हुआ सेना है या सेनापति है या राजा है, वह केवल लड़ाई नहीं हारता, बल्कि अपने समस्त अस्तित्व संकट में डाल देता है और साथ ही उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका होता है और ऐसे समय में पोरस ये कहे कि एक राजा को राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए, ये अपने उस मनोबल को बरकरार रखा, जो आत्मबल बरकरार रखा, इस कारण से इतिहास में वह बातें दर्ज है। अब सवाल इस बात का है, अब तो राजतंत्र नहीं रहा,

अप्रमाणित/मुद्रण हेतु नहीं

न उस प्रकार का युद्ध होता । एक देश और दूसरे देश के बीच में युद्ध होता है । अब तो प्रजातंत्र आ गया है और इस प्रजातंत्र में जनता ही किसी के सजा देती है और किसी को सत्ता देती है तो इस समय जो चुनाव हुए, उसमें हमें जनता ने 68 सीट दिया, आपको 15 सीट दिया और आपको 5 सीट दिया । (मेजों की थपथपाहट) तो माफ करना या सजा देना जनता का हक है, ये हमारा अधिकार नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंदेल जी ने बहुत अच्छी बात कही, शिवरतन जी ने बातें कहीं, मैं उसमें बाद में आऊंगा । माननीय रमन सिंह जी ने जो बातें कहीं, आज भी वे भूल नहीं पाये हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनके तेवर आज भी वैसे ही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, अभी आपने पौरूश की बात की कि पौरूश का मनोबल कितना था । हमारे मुख्यमंत्री जी का मनोबल भी उतना ही मजबूत है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी आप विपक्ष का मुख्यमंत्री अलग बना लिये हैं क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पौरूश नहीं, पोरस ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां पोरस । सुधार लो, गलती हो गई ।

श्री भूपेश बघेल :- गलती आप करें, सुधारने का काम इनका है । उनकी भाषा और उनके तेवर ऐसे हैं, जैसे सत्ता में रहते हुए, संविदा अधिकारियों से घिरे हुये थे, उस समय जो तेवर थे, वही तेवर आज भी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संविदा अधिकारियों के बल पर सत्ता चला रहे थे, उसी के कारण से आप 15 सीट पर पहुंच गये हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको 65 सीट का सपना दिखा रहे थे और 15 में लाकर पटक दिये । डॉ.साहब हमको शासन का गुर सीखा रहे हैं ? जिस संविदा अधिकारी के दल ने आपके टाइटैनिक का जो हश्र किया है, टाइटेनिक जो जहाज डूबा है, वह अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ओएसडी के रूप में आता है । देखते-देखते संयुक्त सचिव भी बन जाते हैं और सचिव बन जातो हैं, प्रमुख सचिव बन जाते हैं, आज हमें प्रशासन चलाना सीखा रहे हैं ? आपने सारे आई.ए.एस. अधिकारियों को सर पर बिठा कर रखा था । आप इस बात को भूल गये ? आप कहते हैं कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, आप एक आदमी की बात सुनते थे ? विधायक और मंत्री की भी नहीं चलती थी, आज हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारे विधायकों से पूछकर कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) आप इसको उद्योग का नाम दे रहे हैं तो आप यह भी समझ लीजिएगा, आप अपने अनुभव का बखान कर रहे हैं, कैसे एक आदमी के द्वारा सब कुछ बटोर रहे थे, यह भी परिलक्षित होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि अपने मूल विभाग में होता तो प्रमुख सचिव के रूप में रिटायर होता । जिस तेजी से वह आगे बढ़े, वह तो आपके जैसे चमत्कारिक मुख्यमंत्री के रहते ही संभव था । ऐसा न तो पहले छत्तीसगढ़ में ही हुआ है, न हिन्दुस्तान में हुआ है । छत्तीसगढ़ के प्रति उसका प्रेम ऐसा जागा कि नौकरी तक छोड़ दी, ट्रांसफर होते तो जाते, लेकिन नौकरी तक छोड़ दी । ट्रांसफर होते तो कहीं जाते, इतना प्रेम ? ऐसा क्या

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ कि वह मुख्यमंत्री सचिवालय को छोड़ नही पाये ? जैसे आप हटे, छत्तीसगढ़ का प्रेम समाप्त । इस्तीफा देकर भाग गये। गैर प्रशासनिक अधिकारी, इंजिनियरिंग की पढ़ाई की, अनेक विषय के एक्सपर्ट बन बैठे, आई.टी. के एक्सपर्ट, केमिकल इंजिनियरिंग, पर्यावरण, वह भी विभाग ले लिया, एनआरडीए का भी बन गये, उर्जा का भी बन गये, इलेक्ट्रिकल का भी बन गये, सारे विभागों का एक्सपर्ट बन गये, यही कारण है कि जो संविदा के टाइटेनिक चालक थे, उसके कारण से आप सपना देखते रहे, 65 प्लस का और 15 में आ गये । जो गडढ़ा आपने खोदा है, वहीं गिर रहे हैं । यह हमारा दोष नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी डी.एम.एफ. फंड की बात कर रहे थे। इसके उपयोग के संबंध में आप जब सरकार में थे तब आपने ही नियम बनाया था। लेकिन उस नियम में ऑक्सीजोन बनाना कहां लिखा था, कलेक्टर के बंगले और ऑफिस में लिफ्ट लगाने का कहां लिखा था, अधिकारियों के बंगले में अतिरिक्त कमरे बनाना कहां लिखा था, डी.एम.एफ. के फंड से हवाई पट्टी बनाना कहां लिखा था?

श्री मोहन मरकाम :- स्वीमिंग पुल भी तो था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उजड़ रहे हैं और शहर में आप ऑडिटोरियम बना रहे हैं? ये डी.एम.एफ. फंड का पैसा है? शिवरतन जी, आपने सही कहा कि उसका उपयोग उसकी शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में, वहां की कनेक्टिविटी में होना चाहिए। और तो और बस्तर में जिस कनेक्टिविटी की बात अभी नेता जी कर रहे थे उसमें भी डी.एम.एफ. का पैसा लगा है। पहले आप कनेक्टिविटी कर लेते उसके बाद मोबाईल बांटते। मोबाईल तो खराब होने वाली चीज है कब तक कोई उसे रखेगा। यदि आप पहले टॉवर लगा लेते, कनेक्टिविटी कर लेते उसके बाद मोबाईल देते तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होता, लेकिन आपने तो उल्टा ही कर दिया। हमारे नारायण चंदेल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अनुशासन और समय की पाबंदी की बात कही। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन आपको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम दूसरा मड़वा नहीं बनने देंगे। छः हजार करोड़ में बनने वाला प्लांट 9 हजार करोड़ रूपये में बना है और उतने में तमिलनाडु में 1500 मेगावॉट का बना है और आप एक हजार मेगावॉट का बनाये हैं और वह भी पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है। तीन हजार करोड़ रूपये का नुकसान। यदि वह पैसा रहता तो गरीबों के हक में, आदिवासियों के हक में, अनुसूचित जातियों और नौजवानों के हक में हम कितना काम कर लेते। आप वित्तीय अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। आपने, ये तीन हजार करोड़ रूपये क्यों बर्बाद होने दिया? आप बहुत वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हैं तो प्लांट लगा नहीं और मशीन पहले खरीद लिये और उसका ब्याज भर रहे हैं? ये कौन सा वित्तीय अनुशासन है?

श्री बृहस्पत सिंह :- कमीशन का सवाल था।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उसका खामियाजा पूरा छत्तीसगढ़ भोग रहा है। हिन्दुस्तान में यदि कहीं पर सबसे महंगा बिजली उत्पादन हो रहा है तो वह मड़वा में हो रहा है। ऐसी मशीन आप लाये कि वह चालू ही नहीं हुआ और उसे आप बनाने के लिए भेज दिये। आया तो उसमें आग लग गई। आप छत्तीसगढ़ के धन को बर्बाद करने का दस कारण बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे दूसरा कोई उदाहरण मिलेगा? डी.जी. की नियुक्ति के बारे में डॉक्टर साहब ने बात उठाई। ये सारा ज्ञान वर्ष 2012-13 में कहां चला गया था जब आपने डी.जी. की नियुक्ति की थी? सारे सीनियारिटी को दरकिनार करके आपने जिस व्यक्ति को बिठाया था तब आपको ध्यान नहीं था और आज हमने कर दिया तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे? आपने तो वह काम किए हैं, आपके पास पोस्ट नहीं है और प्रमोशन कर दिये हैं। आचार संहिता लग गयी तब भी प्रमोशन हो रहा है। डॉक्टर साहब, जब आप उँगली उठाते हैं तो तीन उँगली आपकी तरफ होती है। एस.आई.टी. की बड़ी चर्चा हुई। उस दिन आप नहीं थे, भाषण देकर चले गये थे लेकिन श्री अजय चंद्राकर जी को, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री शिवरतन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जी से मैंने पूछा था कि बदलापुर की बात, ये आपके शब्द हैं। डॉक्टर साहब जी सबसे पहले आपने इजाद की बदलापुर। उसके बाद तो मजबूरी में इन लोगों को बोलना पड़ा। मैं माननीय सदस्यों से उस दिन पूछा था, आपने हमारे सदस्यों का कोई अहित किया है, कोई नुकसान पहुंचाया है। जब श्री बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री थे, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, श्री शिवरतन शर्मा जी भाजपा के बड़े प्रभावशाली नेता थे और अब भी हैं। जब आपने हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम बदला किससे लेंगे। बदला तो उससे होता है न कि आप चांटा मारे और मैंने गाली दी, तभी तो बदला कहलायेगा। डॉक्टर साहब मैं तो पूछ रहा हूं कि आपने हमारा कुछ नुकसान पहुंचाया है। यदि नुकसान नहीं पहुंचाया है तो बदला किस बात की। (मेजों की थपथपाहट) अब जो दौर चल रहा है वह बदलाव का है। हम बदलाव के दौर में हैं। इस बात को समझ लीजियेगा, जनता ने हमें चुना है, हम उन्हीं बातों को लेकर जनता की बीच में गये थे, जिनको हम पूरा कर रहे हैं। आपने जो बातें कही, आपने झीरम घाटी के बारे में कहा, क्या आपके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं ? उसी से पूछ लेते, कितना दुर्भाग्य है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, उस घटना के बाद फिर से चुने गये और यदि आपको जानकारी थी तो फिर आप चुप क्यों थे ? इसके लिये किसकी जिम्मेदारी है, आपने क्यों छिपाया, आपके पास तथ्य थे, आप क्यों नहीं बताये। एन.आई.ए. को हमने पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हम मामले को पूरे क्लोज कर दिये हैं लेकिन आप जांच करेंगे तो हम सहयोग करने को तैयार हैं, हमारे साथ जांच कर सकते हैं। ये हमारे पास जवाब आया है। वो तो क्लोज कर चुके हैं, हम चाहते हैं जांच हो। पूरा प्रदेश, पूरा सदन चाहता है कि जांच हो, सच्चाई सामने आये, कौन है, कौन नहीं है ये मैं नहीं कहता। उसके लिये एस.आई.टी गठन कर रहे हैं, अब रहने दीजिये, आपके नेता तो कभी बैठे नहीं। 15 साल भी नहीं बैठे और आज भी श्री अमरजीत

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं।

भगत कुछ बोलने का प्रयास किये तो बैठे ही नहीं। आज भी वही अकड़ बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप झीरम घाटी की एस.आई.टी की बात कर रहे हैं। इस सदन में झीरम घाटी के बारे में कई बार चर्चा हुई है। मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास तथ्य हैं। मैंने आपको कहा था कि आप तथ्य को जांच समिति के सामने क्यों नहीं रखते। आपका जवाब था कि मैं तथ्य रखूंगा तो उन लोगों को कौन सुरक्षा प्रदान करेगा। अब आप स्वयं मुख्यमंत्री है, सबको सुरक्षा दे सकते हैं। प्रशांत मिश्रा का न्यायिक आयोग बना हुआ है। उसके सामने तथ्य क्यों नहीं रखते।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवरतन शर्मा जी विद्वान सदस्य हैं। मैं जानता हूं न कि किसके किसके पास तथ्य है। इसीलिये तो एस.आई.टी का गठन किया है। सभी सदस्यों ने मिल के एस.आई.टी का गठन किया है, पहले दिन मंत्रिमंडल बनने के पहले दिन पहली बैठक में हमने एस.आई.टी का गठन किया है। (मेजों की थपथपाहट) अब आप अपनी भारत सरकार से कहिये, आपके गृहमंत्री जी से कहिये अनुमति प्रदान करिये। हमने जो केस आपको सौंपा था उसका वापस करने में आप मदद करिये। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं ? गृहमंत्री जी से क्यों नहीं बोलते वे केस वापस करें। वे सारे लोग, एस.आई.टी का काम करने दीजिये। सारे लोग आ के जानकारी देंगे। सभी जानकारियां पड़ी हुई हैं, वह सामने आएंगी। लेकिन रोक रहे हैं। माननीय शिवरतन जी, दाल में कहीं काला है? (शेम-शेम की आवाज) अनुमति दिलवा दीजिए, हमने पत्र लिखा। हमने अधिकारी भेजा। उसके बाद भी नहीं, उसमें देख रहे हैं हमारे पास संविधान में कुछ व्यवस्था है, उसमें हम अध्ययन करवा रहे हैं कि हम कैसे जांच शुरू कर सकते हैं ? कोई अड़ंगा डाले, कितना भी अड़ंगा डाले। लेकिन उसकी सच्चाई हम सामने लाकर रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अभी ताजा-ताजा हाईकोर्ट गये हैं नान की और जांच नहीं होनी चाहिए। फरदर इंवेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पी.आई.एल. लगायी है। पूरा चालान आप तत्काल बाद कर देते हैं, आचार संहिता लगने के बाद। आप इतने दिन क्या करते रहे ? उस अधिकारी पर कार्यवाही करने के बारे में आज कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया ? उनको क्यों बचाये रखें ? क्या वह राज जानता था जिसके कारण से आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे ? आपको किसने रोका था ? आज इस सदन को बताते हुए अब इसमें कहूं कि कितनी तकलीफ हो रही है एक अधिकारी बिना अनुमति के फोन टेपिंग कर रहा है। किसके-किसके फोन टेप हो रहे हैं वह तो रिकॉर्ड में है तो पता चला और हमारे पूर्व भोले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उसे तो सी.एस. लेवल के अधिकारी उसकी अनुमति देते हैं। यहां तो बिना अनुमति के फोन टेपिंग हो रही है हूजूर। उसमें कहां की अनुमति ? आप क्या करते रहे ? आपने कैसे होने दिया ? आपके सारे मंत्रिमण्डल के सदस्य, आपके सारे अधिकारी कोई फोन में बात

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं कर पाता था। कहते थे कि आप लैण्ड लाईन में बात करिये या किसी दूसरे फोन में बात करिये या सिग्नल या वॉट्स अप में बात करिये। आपने इतना डर का माहौल बनाकर रखा था। अधिकारियों के हाथ में खेलते रहे और आज हमें शासन चलाना सिखा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को केवल दो महीने हुए हैं। हमने आम जनता से वायदा 36 बिन्दुओं पर किया था, उसमें से आधे बिन्दुओं पर हमने दो महीनों में वायदा पूरा किया है। (मेजों की थपथपाहट) आधा वायदा, आप पूरे 5 साल का कार्यकाल निकाल लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आपके केन्द्र की सरकार का 60 महीने का कार्यकाल निकाल लीजिए और हमारा 60 दिनों का कार्यकाल निकाल कर देख लीजिए।(मेजों की थपथपाहट) आपने जनता से जो वायदा किया था और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया था वह, 60 साल बनाम 60 दिन। हम तेजी से काम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- 60 महीने।

श्री भूपेश बघेल :- हां आपके 60 महीने, केन्द्र सरकार के 60 महीने। आपके 15 सालों का हिसाब निकाल कर देख लीजिए, आप अपने घोषणा पत्र को निकाल कर देख लीजिए कि आपने क्या-क्या वायदा किया था और कितना पूरा किये? आप हमें घोषणा पत्र की याद मत दिलाईये। हम उस घोषणापत्र के हिसाब से पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिये हैं। आप तो उन पन्नों को छुए तक नहीं थे। हम घोषणा पत्र की याद दिलाते थे तो इधर-उधर की बात करते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की दर के बारे में बड़ी बातें हुई। 15 सालों में आपने 5 गुना बिजली बढ़ाई। 5 गुना बिजली की दर। 80 पैसे की बिजली को 3 रूपये 70 पैसा, कृषि में जो बिजली दर थी वह 1 रूपये से बढ़ाकर 4 रूपये 70 पैसा, ये किसने बढ़ाया है ? आपने बढ़ाया है। क्यों बढा ? ये मड़वा टाईप का जितना भी किये, उसके कारण से बढ़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटर शिफ्टिंग में आपने क्या कारनामे किये? सत्यनारायण शर्मा जी, पिछले विधानसभा सत्रों में इस बात को खूब उठाते थे। मीटर शिफ्टिंग में मीटर शिफ्ट हुआ नहीं, बिलिंग हो गया। जांच कराओ तो इनको बदलापुर नजर आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के बारे में चर्चा हो रही थी। आपने कहा कि हम बरबाद हो जायेंगे, रसातल में चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो लोन लिया है, आपने किसलिए लोन लिया था, इसको तो पता नही, लेकिन हमने अन्नदाताओं को ऋण मुक्त करने के लिए, 2500 रुपये में धान खरीदी करने के लिए लोन लिया है, कमीशन खाने के लिए नहीं लिया है। हम करेंगे और अगले साल देख लीजियेगा हमारी स्थिति क्या रहेगी। यह 18 हजार करोड़ का बजट घाटा बता रहे हैं, ये जनवरी 2019 के अंत में अनुमान की स्थिति है। मार्च अंत तक व्यय में कटौती करेंगे, नियंत्रण रखेंगे और इसमें

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिये नहीं

घाटे में कमी लायेंगे। 2018-19 में ऋण 12700 करोड़ है और 2019-20 में 10500 करोड़ का होगा, आप जो बोल रहे थे न कि आपको लोन नहीं मिलेगा, अगले साल 2019-20 में 10500 करोड़ का होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पंचायतों से जो रायल्टी मिलती थी, वह केवल 10 करोड़ की है। वर्तमान रेत की रायल्टी 50 रुपया प्रति घनमीटर है और प्रदेश में कुल 300 खदानें संचालित हैं। कुल प्राप्त हो रही रायल्टी के हिसाब से देखा जाये तो आश्चर्य होगा कि इन खदानों से प्रतिदिन 2 या 3 ट्रक रेत निकलती है। अब यदि माननीय सदस्यों कों इसमें संतुष्टि है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। कोई मान सकता है कि इन खदानों से दो या तीन ट्रक निकलता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- 300 ट्रक तो मेरे क्षेत्र में एक खदान से निकलती थी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत निर्माण कार्य में, नगरीय निकायों में खपत हो रहे हैं, रायल्टी ईमानदारी से वसूली नहीं जा रही है। हम तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं। हम तो सी.सी. कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं ताकि कोई चोरी न कर सके। रिवर्स ब्रीडिंग करेंगे, ताकि रेट में उछाल न आये। अभी जो रेत के रेट में उछाल की बात समाचार पत्रों के आधार पर आप कह रहे हैं, हमने कड़ी कार्यवाही की है। सैकडों डम्पर, ट्रक और हाईवा हमने पकड़े हैं। क्या हम चोरी पकड़ना बंद कर दें? ये गुंडागर्दी, बदमाशी जितनी अभी हो रही है, आपके समय में हुआ तो कोई बोल नहीं पा रहा था। कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कौन किसके रिश्तेदार हैं, कौन कितने गुरूगे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हमको एक साथ समाप्त करना है तो ये सारी चीज में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब वह जमाना निकल गया, जब टेन्डर होते थे, उसमें गुंडागर्दी करते थे। आज तो सेटेलाईट का जमाना है, आप सेटेलाईट से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप सी.सी. कैमरा लगा कर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आफिस में बैठकर उसको देख सकते हैं कि कितने ट्रक निकली है। ट्रकों में जी.पी.एस. लगा सकते हैं , सारे तरीके हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी । पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है वह नहीं होगा । लोगों को सस्ते दर पर रेत मिलेगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और हमने यह कहा है कि पंचायतों को 25 प्रतिशत बढ़ाकर देंगे । इसमें क्या बुराई है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी बाजार में रेत के रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, सीमेंट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं उसको कम करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? जो सामान्य उपभोक्ता है वह परेशान है और सीमेंट के मामले में तो यह है कि सरकार की सहमति से सीमेंट के रेट बढ़ाये गये हैं और रेत के रेट बढ़ गये हैं तो आप उस पर नियंत्रण करने के लिये क्या कर रहे हैं ? हमारे समय सीमेंट के रेट बढ़े थे तो सरकार ने उन कंपनियों पर दबाव डालकर रेट कम करवाये

अनसुधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थे । आपने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, पिछले एक महीने में 50 रूपये सीमेंट की एक बोरी के रेट बढ़े हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है और यह जो रेट नियंत्रण है वह आज भारत सरकार के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है । बैठक बुलायेंगे, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इस कारण से रेट बढ़े हैं । (शेम-शेम की आवाज) मुंबई में बैठक किये, वहां आपकी सरकार है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंदा नागपुर देना होगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के चुनाव के समय तो नहीं बढ़ा था, लोकसभा का चुनाव आया तो 50 रूपये उछाल आ गया । केंद्र सरकार का नियंत्रण है, मुंबई में बैठक हो रही है और आप हमको कह रहे हैं फिर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम उनको बुलाकर बात करेंगे, यह रेट ठीक नहीं है इसमें कमी लानी पड़ेगी । हम इसको करेंगे, विधानसभा सत्र चल रहा है, शायद इसी दौरान बुलायेंगे या इसके बाद बुलायेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग । आज इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया है । छत्तीसगढ़ में भी इसका बहुत असर हुआ, जब हमारी सरकार थी, मैं उस समय राजस्व विभाग देखता था तो किसानों के जो नक्शे हैं, गांव के जो नक्शे हैं, उसको कम्प्यूटराईज करने की बात कही थी । आज इन 15 वर्षों में क्या स्थिति है ? आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, ऑनलाईन कुछ भी नहीं हो रहा है, नक्शा कुछ बता रहा है, मौके में कुछ बता रहे हैं, बी-वन पॉचशाला कुछ और बता रहा है यह स्थिति है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेजर मिनरल्स के बारे में भी चर्चा हुई । मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों की नीलामी हुई तो उस समय राज्य को 500 से 3200 रूपये प्रति टन नीलामी की राशि मिलती थी लेकिन अब बिना नीलामी के खदानें स्वीकृत किये जा रहे हैं । राज्यों को आवंटित किये जा रहे हैं, एम.डी.ओ. का फैशन चल पड़ा है और आप दूसरे राज्यों को आवंटित कर रहे हैं तो हमको केवल 100 रूपये प्रति टन मिल रहा है । कहां नीलामी में 500 से 3200 प्रतिटन हमको मिलता था, आज केवल 100 रूपये प्रतिटन तो आपने तो नीलामी ही बंद कर दी और इससे राज्य के राजस्व में भारी नुकसान हुआ है । यदि यह सारी नीलामी होती तो हमको लाखों-करोड़ों रूपये मिलता इसके बावजूद भी खनिज विभाग के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार कल्याण की बात आयी । जो वर्तमान व्यवस्था है वह 5000 रूपये न्यूनतम है यदि कोई बीमारी हो जाये और अधिकतम 50,000 रूपये की सहायता दी जाती है । अब हमने निर्णय लिया है कि पत्रकार साथियों को न्यूनतम 10,000 रूपये और अधिकतम 2 लाख रूपये उसको सहायता दी जायेगी । (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार ने पत्रकारों के कल्यण के लिए एक

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

समिति का गठन कर दिया है । उनके जो सुझाव आएंगे उन्हें निश्चित रूप से लागू करेंगे । मीडिया कर्मी के सम्मान की योजना है, मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि के रूप में 5 हजार रूपया प्रतिमाह का प्रावधान है । साथ ही 62 वर्ष से अधिक आयु के मीडिया कर्मियों को यह सुविधा दी गई थी । अब न्यूनतम आयु घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है और मासिक सम्मान निधि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रूपया कर दिया जाएगा (मेजो की थपथपाहट) प्रचलित योजना में यह सम्मान निधि सिर्फ 5 साल के लिए थी । इस प्रावधान को आजीवन किया जा रहा है (मेजो की थपथपाहट) । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय काफी हो चुका है । हमारे साथियों ने हवाई पट्टी के बारे में बात कही । उसके बारे में अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर हवाई पट्टी, एयरपोर्ट को विकसित करने का काम हम लोग तेजी से पूरा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू किया था लेकिन उसे पूरा करने का काम हम लोग करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे । हवाई जहाज आए तो केवल उद्घाटन ही न हो, वह चले ऐसी व्यवस्था करेंगे (मेजो की थपथपाहट) इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं । जांजगीर-चांपा जिले में हवाई पट्टी का निर्माण हो । क्योंकि वह सबसे बड़ा कृषि प्रधान जिला है और सबसे ज्यादा उद्योग वहां पर हैं । उसकी तरफ भी विशेष रूप से कृपा कर देते।

अध्यक्ष महोदय :- वे नहीं थे, उस समय आपने मांग की थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पांच-पांच होल्डिंग कंपनियां बनी हुई थीं उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए । उनको कम करेंगे या वैसे ही रखेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, वहां लाफार्ज की हवाई पट्टी खाली पड़ी है और परमिट भी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कब्जा कर लीजिए (हंसी)।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पांच कंपनियों के बारे में हम शुरू से कह रहे हैं कि ये कम होना चाहिए और उसे दो कंपनियों तक सीमित रखने का हमारा प्रयास होगा । इस मामले में बहुत जल्दी फैसला करेंगे । चंदेल जी ने जो कहा उस पर बाद में विचार करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 1, 6, 60, 12, 25, 32, 71 एवं 65 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए-तीन सौ बहत्तर करोड़ बारह लाख, तेरह हजार रूपये

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-तीस करोड़ अन्ठावन लाख, पैंतीस हजार रूपये

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए-आठ हजार पांच सौ छिहत्तर करोड़, पैंसठ लाख रूपये

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए-एक सौ चार करोड़, अस्सी लाख रूपये

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो हजार तीन सौ सात करोड़, एक लाख इक्यासी हजार रूपये

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- सात सौ पच्चीस करोड, पचपन लाख, दो हजार रूपये

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए-एक सौ छियासी करोड़, बयासी लाख, पन्चानबे हजार रूपये

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए- एक सौ अटठाईस करोड़, निन्यानबे लाख, अन्ठानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिए- सड़सठ करोड़, चौरानबे लाख, चालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजो की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

6:00 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5, सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(सायं 6 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 फरवरी (फाल्गुन 8, शक् संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
26 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं